रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—25 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—25

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122025-267303
CG-DL-E-02122025-267303

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2 — अनुभाग 1क
PART 2 — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 02] नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2025/ज्येष्ठ 26, 1947 (शक) [खंड LXI
No. 02] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2025/JYAISTHA 26, 1947 (SAKA) [VOL. LXI

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 16 जून, 2025/26 ज्येष्ठ, 1947 (शक)

दि इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020; (2) दि नेशनल एन्टी–डोपिंग ऐक्ट, 2022; (3) दि एनर्जी कंजर्वेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022; (4) दि इंडियन इंस्टीटयूट्स ऑफ मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (5) दि इंटर–सर्विसिज आर्गेनाइजेशन्स (कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन) ऐक्ट, 2023; (6) दि एडवोकेट्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (7) दि जम्मू एंड कश्मीर रिआर्गेनाइजेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (8) दि सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (9) दि जम्मू एंड कश्मीर रिआर्गेनाइजेशन (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (10) दि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरिज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (11) दि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज (स्पेशल प्रोविजन्स) सेकेंड (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (12) दि टेलीकम्यूनिकेशन ऐक्ट, 2023; (13) दि कांस्टिट्यूशन (जम्मू–कश्मीर) शिडयूल्ड कास्ट्स आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2024; (14) दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2024 और (15) दि मुसलमान वक्फ (रिपील) ऐक्ट, 2025 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, June 16, 2025/Jyaistha 26, 1947 (Saka)

The Industrial Relation Code 2020; (2) The National Anti-Doping Act, 2022; (3) The Energy Conservation (Amendment) Act, 2022; (4) The Indian Institutes of Management (Amendment) Act, 2023; (5) The Inter-Services Organisations (Command, Control and Discipline) Act, 2023; (6) The Advocates (Amendment) Act, 2023; (7) The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Act, 2023; (8) The Central Universities (Amendment) Act, 2023; (9) The Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Act, 2023; (10) The Government of UnionTerritories (Amendment) Act, 2023; (11) The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Act, 2023; (12) The Telecommunications Act, 2023; (13) The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Act, 2024; (14) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2024 and (15) The Mussalman Wakf (Repeal) Act, 2025 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 35) 279
The Industrial Relations Code 2020

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 15) 353
The National Anti-Doping Act, 2022

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 19) 379
The Energy Conservation (Amendment) Act, 2022

भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 23) 389
The Indian Institutes of Management (Amendment) Act, 2023

अंतर–सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 28) 395
The Inter-Services Organisations (Command, Control and Discipline) Act, 2023

अधिवक्ता संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 33) 401
The Advocates (Amendment) Act, 2023

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 35) 405
The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Act, 2023

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 36) 409
The Central Universities (Amendment) Act, 2023

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 38) 411
The Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Act, 2023

संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 39) 413
The Government of UnionTerritories (Amendment) Act, 2023

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 42) 415
The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Act, 2023

दूर संचार अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 44) 417
The Telecommunications Act, 2023

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 4) 449
The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Act, 2024

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 7) 451
The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2024

मुसलमान वक्फ (निरसन) अधिनिमय, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 15) 453
The Mussalman Wakf (Repeal) Act, 2025

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 35)

[28 सितम्बर, 2020]

व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 है । संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ; और इस संहिता के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस संहिता के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

परिभाषाएं ।

2. इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अपील प्राधिकारी" से समुचित सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे ऐसे क्षेत्र में ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उस सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) "समुचित सरकार" से—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाए जाने वाले किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के संबंध में, या किसी ऐसे नियंत्रित उद्योग से सरोकार रखने वाले, जिसे इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या रेल स्थापन, जिसके अंतर्गत मेट्रो रेल भी हैं, खान, तेल क्षेत्र, महापत्तन, वायु परिवहन सेवाएं, दूर-संचार, बैंककारी और बीमा कंपनी या कोई निगम या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य प्राधिकरण या कोई केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, मूल उपक्रमों द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियां या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई स्वशासी निकाय, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, ऐसे स्थापन, निगम, अन्य प्राधिकरण, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कोई कंपनी, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा कम से कम इक्यावन प्रतिशत समादत्त शेयर पूंजी धारित की जाती है, के प्रयोजनों के लिए संविदाकारों के स्थापन सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए समुचित सरकार बनी रहेगी, यद्यपि इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात्, उस पब्लिक सेक्टर उपक्रम में केन्द्रीय सरकार की धारित राशि पचास प्रतिशत साधारण शेयर से कम हो जाए ;

(ii) किसी अन्य औद्योगिक स्थापन के संबंध में, जिसके अन्तर्गत राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम, मूल उपक्रम द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियां और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन स्वशासी निकाय, राज्य सरकार भी हैं :

परन्तु किसी औद्योगिक स्थापन में, जहां ऐसा विवाद पहली बार पैदा हुआ है, किसी ठेकेदार और ठेकेदार के माध्यम से नियोजित ठेका श्रमिक के मध्य विवाद की दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जिसका ऐसे औद्योगिक स्थापन पर नियंत्रण है, समुचित सरकार होगी ;

(ग) "मध्यस्थ" के अन्तर्गत अधिनिर्णायक भी है ;

(घ) "औसत वेतन" से किसी कर्मकार को संदेय मजदूरी का औसत अभिप्रेत है, जो—

(i) ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे मासिक संदाय किया जाता है, उन तीन पूरे कलैंडर मास में ;

(ii) ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे साप्ताहिक संदाय किया जाता है, उन चार पूरे सप्ताह में ;

(iii) ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे दैनिक संदाय किया जाता है, उन

बारह पूरे कार्य दिवस में,

उस तारीख से पूर्ववर्ती तारीख को, जब औसत वेतन संदेय होता है, यदि उस कर्मकार ने, यथास्थिति, तीन पूरे कलैंडर मास या चार पूरे सप्ताह या बारह पूरे कार्य दिवस तक काम किया है, और जहां ऐसी गणना नहीं की जा सकती है, वहां औसत वेतन की गणना किसी कर्मकार को संदेय मजदूरी के औसत के रूप में की जाएगी जो उस कालावधि के दौरान, जिसमें उसने वास्तव में काम किया है ;

(ङ) "अधिनिर्णय" से धारा 44 में निर्दिष्ट किसी औद्योगिक अधिकरण या धारा 46 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा किसी औद्योगिक विवाद या उससे संबंधित किसी प्रश्न का अंतरिम या अंतिम अवधारण अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत धारा 42 के अधीन किया गया कोई माध्यस्थम् अधिनिर्णय भी है ;

1949 का 10
1989 का 39
1970 का 5
1980 का 40

(च) "बैंककारी कंपनी" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 में यथा परिभाषित कोई बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय आयात-निर्यात बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी नया बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी नया बैंक भी सम्मिलित हैं ;

(छ) "प्रमाणकर्ता अधिकारी" से अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन किसी प्रमाणकर्ता अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) "बंदी" से नियोजन के किसी स्थान या उसके किसी भाग को स्थायी रूप से बंद करना अभिप्रेत है;

(झ) "सुलह अधिकारी" से धारा 43 के अधीन नियुक्त कोई सुलह अधिकारी अभिप्रेत है;

(ञ) "सुलह कार्यवाही" से इस संहिता के अधीन किसी सुलह अधिकारी द्वारा की गई कोई कार्यवाही अभिप्रेत है ;

(ट) "नियंत्रित उद्योग" से ऐसा कोई उद्योग अभिप्रेत है जिसका नियंत्रण किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में संघ द्वारा समीचीन घोषित किया गया है;

1961 का 52

(ठ) "कर्मचारी" से ऐसा कोई व्यक्ति (प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन नियोजित प्रशिक्षु से भिन्न) अभिप्रेत है जो किसी कुशल, अर्धकुशल या अकुशल, शारीरिक, संक्रियात्मक, पर्यवेक्षीय, प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी या भाड़े या पारिश्रमिक के लिए लिपिकीय कार्य, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हों, करने के लिए किसी औद्योगिक स्थापन द्वारा नियोजित है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो समुचित सरकार द्वारा कर्मचारी घोषित किया गया हो, परन्तु इसके अंतर्गत संघ के सशस्त्र बल का कोई सदस्य नहीं है ;

(ड) "नियोजक" से ऐसा कोई व्यक्ति, जो अपने स्थापन में, चाहे प्रत्यक्षत: या किसी व्यक्ति के माध्यम से या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति की ओर से एक

या अधिक कर्मचारी या कर्मकार को नियोजित करता है और जहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा ऐसे स्थापन को चलाया जाता है, वहां इस निमित्त विभागाध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी या जहां कोई प्राधिकारी इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं है, वहां विभागाध्यक्ष, और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जाने वाले किसी स्थापन के संबंध में, प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) किसी ऐसे स्थापन के संबंध में, जो एक कारखाना है, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ढ़) में यथापरिभाषित कारखाने का 1948 का 63
अधिभोगी और जहां कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन कारखाने के प्रबंधक के रूप में नामित किया गया है, वहां इस प्रकार नामित व्यक्ति ;

(ii) किसी अन्य स्थापन के संबंध में, वह व्यक्ति जो या प्राधिकारी, जिसका स्थापन के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण है या रखता है और जहां उक्त कार्य किसी प्रबंधक या प्रबंध निदेशक को सौंपे गए हैं, वहां ऐसा प्रबंधक या प्रबंध निदेशक ;

(iii) ठेकेदार ; और

(iv) किसी मृत नियोजक का विधिक प्रतिनिधि है ;

(ढ़) किसी व्यवसाय संघ के संबंध में, "कार्यपालक" से ऐसा निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जिसे किसी व्यवसाय संघ के कार्यों का प्रबंधन सौंपा गया हो ;

(ण) "नियत अवधि नियोजन" से किसी नियत अवधि के लिए नियोजन की किसी लिखित संविदा के आधार पर किसी कर्मकार को वचनबंध करना अभिप्रेत है :

परन्तु—

(क) उसके कार्य के घंटे, मजदूरी, भत्ते और अन्य फायदे, वही कार्य या उसी प्रकृति का कार्य करने वाले किसी स्थायी कर्मकार से कम नहीं होंगे ;

(ख) वह, उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप से, किसी स्थायी कर्मकार को उपलब्ध सभी कानूनी फायदों के लिए पात्र होगा, चाहे उसके नियोजन की अवधि कानून में अपेक्षित नियोजन की अर्हित अवधि तक विस्तारित भी न हो ; और

(ग) यदि वह संविदा के अधीन एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा प्रदान करता है तो वह उपदान के लिए पात्र होगा ;

(त) "उद्योग" से किसी नियोजक और कर्मकार (चाहे ऐसे कर्मकार को ऐसे नियोजक द्वारा सीधे या किसी अभिकरण, जिसके अंतर्गत ठेकेदार भी हैं, के माध्यम से नियोजित किया गया है) के बीच सहयोग से मानवीय आवश्यकताओं या इच्छाओं को पूरा करने की दृष्टि से माल या सेवाओं के उत्पादन, पूर्ति या वितरण के लिए किया गया कोई व्यवस्थित क्रियाकलाप अभिप्रेत है (जो केवल आध्यात्मिक

या धार्मिक प्रकृति की आवश्यकताएं या इच्छाएं न हों), भले ही—

(i) ऐसे क्रियाकलाप को करने के प्रयोजन के लिए किसी पूंजी का विनिधान किया गया हो या नहीं, या

(ii) ऐसा क्रियाकलाप कोई अभिलाभ या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है या नहीं,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है—

(i) किसी पूर्त, सामाजिक या परोपकारी सेवा में पूर्णत: या सारत: लगे हुए संगठनों के स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा प्रबंध की जा रही संस्थाएं ; या

(ii) समुचित सरकार के प्रभुत्वसम्पन्न कृत्यों से संबंधित समुचित सरकार का कोई क्रियाकलाप, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के रक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष संबंधी विभागों द्वारा चलाए जा रहे सभी क्रियाकलाप भी हैं ; या

(iii) कोई घरेलू सेवा ; या

(iv) कोई अन्य क्रियाकलाप, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(थ) "औद्योगिक विवाद" से नियोजकों और नियोजकों के बीच या नियोजकों और कर्मकारों के बीच या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच कोई विवाद या मतभेद अभिप्रेत है, जो नियोजन या गैर-नियोजन या नियोजन के निबंधनों या किसी व्यक्ति की श्रम की शर्तों से संबंधित है और जिसके अंतर्गत किसी व्यष्टि कर्मकार तथा किसी नियोजक के बीच ऐसे कर्मकार की सेवोन्मुक्ति, पदच्युति, छंटनी या पर्यवसान से संबंधित या इससे उद्भूत कोई विवाद या मतभेद भी है ;

(द) "औद्योगिक स्थापन या उपक्रम" से ऐसा कोई स्थापन या उपक्रम अभिप्रेत है, जिसमें कोई उद्योग चलाया जाता है :

परन्तु जहां किसी स्थापन या उपक्रम में अनेक क्रियाकलाप किए जाते हैं और ऐसे क्रियाकलापों में से केवल एक ही क्रियाकलाप उद्योग है या कुछ क्रियाकलाप उद्योग हैं, तो—

(i) यदि ऐसे स्थापन या उपक्रम की कोई इकाई जो उद्योग के रूप मे किसी क्रियाकलाप को कर रही है, ऐसे स्थापन या उपक्रम की अन्य इकाई या इकाइयों से, जो किसी ऐसे क्रियाकलाप को नहीं कर रही हैं या करने में सहायता नहीं कर रही हैं, पृथक्करणीय हैं, ऐसी इकाई को एक पृथक् औद्योगिक स्थापन या उपक्रम समझा जाएगा;

(ii) यदि ऐसे स्थापन या उपक्रम या उसकी किसी इकाई में किया जाने वाला प्रमुख क्रियाकलाप या प्रमुख क्रियाकलापों में से प्रत्येक क्रियाकलाप एक उद्योग है और ऐसे स्थापन या उपक्रम या उसकी किसी इकाई में चलाए जा रहे अन्य क्रियाकलाप या अन्य क्रियाकलापों में का प्रत्येक क्रियाकलाप ऐसे प्रमुख क्रियाकलाप या क्रियाकलापों के चलाए जाने या चलाए जाने में सहायता करने के प्रयोजन के लिए पृथक्करणीय नहीं है, यथास्थिति, संपूर्ण स्थापन या उपक्रम या उसकी इकाई को एक औद्योगिक स्थापन या उपक्रम समझा

जाएगा;

(ध) "बीमा कंपनी" से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है ; 1938 का 4

(न) "कामबंदी" (इसके व्याकरणिक रूपभेद और सजातीय पदों सहित) से किसी ऐसे कर्मकार को, जिसका नाम उसके औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है और जिसकी छंटनी नहीं की गई है, कोयला, विद्युत या कच्चे माल की कमी या स्टाक के संचयन या मशीनरी के ठप्प हो जाने के कारण या प्राकृतिक विपत्ति या किसी अन्य संबंधित कारण से, नियोजन देने में किसी नियोजक की असफलता, इंकार या असमर्थता अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण—प्रत्येक कर्मकार, जिसका नाम औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है और जो किसी दिन काम के प्रसामान्य घंटे के दौरान उस समय, उस प्रयोजन के लिए नियत समय पर, औद्योगिक स्थापन में काम करने के लिए स्वंय उपस्थित होता है और उसके ऐसे उपस्थित होने के दो घंटे के भीतर नियोजक द्वारा रोजगार नहीं दिया जाता है, तो इस खंड के अर्थ के अन्तर्गत उस दिन के लिए उसकी कामबंदी की गई समझी जाएगी :

परन्तु यदि कर्मकार को किसी दिन की किसी पारी के प्रारंभ में रोजगार दिए जाने के बजाय उससे कहा जाता है कि वह उस दिन की पारी के दूसरे अर्धभाग के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपस्थित हो और तब उसे रोजगार दिया जाता है तो उसकी उस दिन के केवल आधे भाग के लिए कामबंदी मानी जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि उसके इस प्रकार उपस्थित होने के पश्चात् भी उसे ऐसा कोई रोजगार नहीं दिया जाता है तो उसके बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि उस दिन की पारी के दूसरे अर्धभाग के लिए कामबंदी की गई है और वह उस दिन के उस भाग के लिए पूरी आधारिक मजदूरी और महंगाई भत्ते का हकदार होगा ।

(प) "तालाबंदी" से नियोजन के स्थान का अस्थायी रूप से बंद करना या नियोजक द्वारा कार्य का निलंबन, या उसके द्वारा किसी संख्या में नियोजित व्यक्तियों की किसी संरक्षा को नियोजन में रखने से इन्कार करना अभिप्रेत है ;

(फ) "महापत्तन" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 3 के खंड (8) में यथापरिभाषित कोई महापत्तन अभिप्रेत है ; 1908 का 15

(ब) "मेट्रो रेल" से मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (1) के उपखंड (झ) में यथापरिभाषित मेट्रो रेल अभिप्रेत है ; 2002 का 60

(भ) "खान" से खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में यथापरिभाषित कोई खान अभिप्रेत है ; 1952 का 35

(म) "राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण" से धारा 46 के अधीन गठित कोई राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण अभिप्रेत है ;

(य) "वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद्" से धारा 14 में निर्दिष्ट वार्ताकारी

संघ या वार्ताकारी परिषद् अभिप्रेत है;

(यक) "अधिसूचना" से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र में या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का अर्थ इसके व्याकरणिक रूपभेद और सजातीय पदों सहित तद्नुसार लगाया जाएगा ;

(यख) "पदाधिकारी" के अंतर्गत, किसी व्यवसाय संघ के संबंध में, उसकी कार्यपालिका का कोई भी सदस्य है, किन्तु उसके अंतर्गत कोई संपरीक्षक नहीं आता है ;

(यग) "विहित" से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

1989 का 24 (यघ) "रेल" से रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (31) में यथापरिभाषित रेल अभिप्रेत है ;

(यङ) "रजिस्ट्रीकृत कार्यालय" से किसी व्यवसाय संघ का कार्यालय अभिप्रेत है जो इस संहिता के अधीन उसके मुख्यालय के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

(यच) "रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ" से इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अभिप्रेत है;

(यछ) "रजिस्ट्रार" से धारा 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यवसाय संघ का कोई रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(यज) "छंटनी" से नियोजक द्वारा चाहे किसी भी कारण से किसी कर्मकार की सेवा समाप्ति अभिप्रेत है, जो अनुशासन संबंधी कार्यवाही के रूप में दिए गए दंड से भिन्न हो, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(i) कर्मकार की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ; या

(ii) अधिवार्षिकी की आयु हो जाने पर कर्मकार की सेवानिवृत्ति ; या

(iii) नियोजक और संबद्ध कर्मकार के बीच हुए नियोजन संविदा की समाप्ति पर उसका नवीकरण न किए जाने या उस निमित्त उसमें अंतर्विष्ट किसी अनुबंध के अधीन ऐसी संविदा का पर्यवसान किए जाने के परिणामस्वरूप कर्मकार की सेवा की समाप्ति ; या

(iv) नियत अवधि नियोजन की अवधि पूरी होने के परिणामस्वरूप कर्मकार की सेवा की समाप्ति ; या

(v) लगातार खराब स्वास्थ्य के आधार पर कर्मकार की सेवा की समाप्ति ;

(यझ) "समझौता" से सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किया गया कोई समझौता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सुलह कार्यवाही के अनुक्रम से अन्यथा नियोजक और कर्मकार के बीच हुआ कोई ऐसा लिखित करार भी है जहां ऐसे करार पर उसके पक्षकारों ने ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, हस्ताक्षर किए हों और उसकी एक प्रति समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को और सुलह अधिकारी को भेज दी गई हो ;

(यञ) "स्थायी आदेश" से पहली अनुसूची में दिए गए विषयों से संबंधित

आदेश अभिप्रेत हैं ;

(यट) "हड़ताल" से किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के किसी निकाय द्वारा मिलकर काम बंद कर देना या कुछ व्यक्तियों का, जो इस प्रकार नियोजित हैं, या नियोजित रहे हैं, काम करते रहने से या नियोजन स्वीकार करने से सम्मिलित रूप से इन्कार करना या सामान्य मति से इन्कार करना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी उद्योग में नियोजित पचास प्रतिशत या उससे अधिक कर्मकारों का किसी निश्चित दिवस पर सम्मिलित रूप से आकस्मिक छुट्टी पर रहना भी है ;

(यठ) "व्यवसाय संघ" से कोई ऐसा समुच्चय अभिप्रेत है जो चाहे अस्थायी हो या स्थायी, कर्मकारों और नियोजकों के बीच या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच के या नियोजकों और नियोजकों के बीच के संबंधों को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए या किसी व्यवसाय या कारबार के संचालन पर निर्बंधित शर्तें अधिरोपित करने के लिए प्राथमिक रूप से बनाया गया है, और इसके अंतर्गत दो या अधिक व्यवसाय संघों का कोई परिसंघ भी है:

परन्तु इस संहिता के अध्याय 3 के उपबंधों का निम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा—

(i) भागीदारों के बीच किसी करार पर, जो उनके स्वयं के कारबार के लिए हो ; या

(ii) किसी नियोजक और उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों के बीच किसी करार पर जो ऐसे नियोजन के बारे में हो; या

(iii) किसी कारबार की गुडविल के विक्रय या किसी वृत्ति, व्यवसाय या हस्तशिल्प में शिक्षण के प्रतिफल में किसी करार पर ;

(यड) "व्यवसाय संघ विवाद" से दो या दो से अधिक व्यवसाय संघों के बीच या किसी व्यवसाय संघ के सदस्यों के बीच आपस में उत्पन्न कोई विवाद अभिप्रेत है ;

(यढ़) "अधिकरण" से धारा 44 के अधीन गठित कोई औद्योगिक अधिकरण अभिप्रेत है ;

(यण) "अनुचित श्रम व्यवहार" से दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी व्यवहार अभिप्रेत है ;

(यत) "असंगठित सेक्टर" का वही अर्थ होगा, जो असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (ठ) में उसका है ; 2008 का 33

(यथ) "मजदूरी" से वह सभी पारिश्रमिक अभिप्रेत हैं, जो चाहे वेतन, भत्ते या अन्यथा के रूप में हो, धन के रूप में अभिव्यक्त या इस प्रकार अभिव्यक्त किए जाने योग्य हो, जो, यदि रोजगार के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित की पूर्ति हो गई होती तो, उसके नियोजन या ऐसे नियोजन में किए गए कार्य की बाबत उसे संदेय होता, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) मूल वेतन ;

(ii) महंगाई भत्ता ;

(iii) प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो,

किन्तु, इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संदेय कोई बोनस, जो नियोजन के निबंधनों के अधीन संदेय पारिश्रमिक का भाग नहीं है ;

(ख) किसी गृहवास-सुविधा का या लाइट, जल, चिकित्सीय परिचर्या या अन्य सुख-सुविधा के प्रदाय का या समुचित सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा मजदूरी की संगणना से अपवर्जित किसी सेवा का मूल्य ;

(ग) किसी पेंशन या भविष्य-निधि में नियोजक द्वारा संदत्त कोई अभिदाय और ब्याज, जो उस पर प्रोद्भूत हुआ हो ;

(घ) कोई वाहन भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य ;

(ङ) किसी नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन की प्रकृति द्वारा उस पर हुए विशेष व्यय को चुकाने के लिए संदत्त कोई राशि ;

(च) मकान किराया भत्ता ;

(छ) पक्षकारों के बीच किसी अधिनिर्णय या समझौता अथवा किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेश के अधीन संदेय पारिश्रमिक ;

(ज) कोई अतिकालिक भत्ता ;

(झ) कर्मचारी को संदेय कोई कमीशन ;

(ञ) नियोजन की समाप्ति पर संदेय कोई उपदान ; या

(ट) कर्मचारी को संदेय कोई छंटनी प्रतिकर या अन्य सेवानिवृत्ति फायदा या नियोजन की समाप्ति पर उसे किया गया कोई अनुग्रहपूर्वक संदाय :

परन्तु इस खंड के अधीन मजदूरी की संगणना करने के लिए, यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को खंड (क) से खंड (झ) के अधीन किए गए कोई संदाय, इस खंड के अधीन संगणित सभी पारिश्रमिकों के आधे या ऐसे अन्य प्रतिशत से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अधिक हो जाती हैं तो ऐसी रकम, जो ऐसी आधी रकम या इस प्रकार अधिसूचित प्रतिशत से अधिक होती है, को पारिश्रमिक समझा जाएगा और तदनुसार उसे इस खंड के अधीन मजदूरी में जोड़ दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि सभी महिला-पुरुषों के लिए समान मजदूरी के प्रयोजन के लिए और मजदूरी के संदाय के प्रयोजन के लिए खंड (घ), खंड (च), खंड (छ) और खंड (ज) में विनिर्दिष्ट परिलब्धियों को मजदूरी की संगणना के लिए लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—जहां किसी कर्मचारी को उसे संदेय पूर्णत: या भागत: मजदूरी के स्थान पर, उसके नियोजक द्वारा वस्तु के रूप में कोई पारिश्रमिक दिया जाता है, तो वस्तु के रूप में ऐसे पारिश्रमिक के मूल्य को, जो उसको संदेय कुल मजदूरी के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं है, ऐसे कर्मचारी की मजदूरी का एक भाग समझा जाएगा ;

1961 का 52 (यद) "कर्मकार" से कोई ऐसा व्यक्ति (शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (कक) के अधीन यथापरिभाषित किसी शिक्षु के सिवाय) अभिप्रेत है, जो किसी

उद्योग में भाड़े या पारिश्रमिक के लिए कोई शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी संक्रियात्मक, लिपिकीय या पर्यवेक्षीय कार्य करने के लिए नियोजित है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हों या विवक्षित और जिसके अंतर्गत श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित श्रमजीवी पत्रकार तथा 1955 का 45
विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 की धारा 2 के खंड (घ) में 1976 का 11
यथापरिभाषित विक्रय संवर्धन कर्मचारी भी हैं तथा किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी उस विवाद के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप पदच्युति, सेवोन्मुक्ति या छंटनी या अन्यथा सेवा समाप्ति कर दी गई है या जिसके पदच्युति, सेवोन्मुक्त या छंटनी होने से वह विवाद हुआ है, किन्तु इसके अतंर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है—

(i) जो वायुसेना अधिनियम, 1950 या सेना अधिनियम, 1950 या 1950 का 45
नौसेना अधिनियम, 1957 के अधीन है ; या 1950 का 46 1957 का 62

(ii) जो पुलिस सेवा में या किसी कारागार के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित है ; या

(iii) जो मुख्यतः प्रबंधकीय या प्रशासनिक हैसियत से नियोजित है; या

(iv) जो पर्यवेक्षी हैसियत में नियोजित है और जो प्रतिमास अठारह हजार रुपए से अधिक मजदूरी या कोई ऐसी रकम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, आहरित कर रहा है :

परन्तु अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए, "कर्मकार"—

(क) से व्यवसाय या उद्योग में नियोजित सभी व्यक्ति अभिप्रेत है ; और

(ख) के अंतर्गत अंसगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 2008 का 33
की धारा 2 के खंड (ड) में यथापरिभाषित कर्मकार भी है ।

अध्याय 2

द्विपक्षीय मंच

कार्य समिति ।

3. (1) किसी औद्योगिक स्थापन की दशा में, जिसमें एक सौ या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन नियोजित रहे हैं, तो समुचित सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियोजक से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नियोजक के प्रतिनिधियों और स्थापन में लगे हुए कर्मकारों से मिलकर बनने वाली कार्य समिति का गठन करने की अपेक्षा कर सकेगी :

परन्तु ऐसी समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या, नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी ।

(2) कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन, स्थापन में नियोजित कर्मकारों में से और धारा 9 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत उनके व्यापार संघ, यदि कोई हो, के परामर्श से ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(3) कार्य समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह नियोजक और कर्मकारों के बीच मैत्री और अच्छे संबंध को सुनिश्चित करने और बनाए रखने के उपाय बढ़ाए और इस उद्देश्य के लिए ऐसे मामलों पर, जिनमें उनका सामान्य हित या सरोकार है, समीक्षा करे तथा ऐसे मामलों की बाबत राय के संबंध में किसी तात्त्विक मतभेद का समाधान करने का प्रयास करे ।

शिकायत निवारण समिति ।

4. (1) प्रत्येक औद्योगिक स्थापन, जिसमें बीस या अधिक कर्मकार नियोजित हैं, वहां व्यष्टिक शिकायतों से उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए एक या अधिक शिकायत निवारण समितियां होंगी ।

(2) शिकायत निवारण समिति, नियोजक और कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों, जो ऐसी रीति में चुने जाएं, जो विहित की जाए, की समान संख्या से मिलकर बनेगी ।

(3) शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष का चयन, प्रत्येक वर्ष वैकल्पिक रूप से चक्रानुक्रम के आधार पर नियोजक और कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में से किया जाएगा ।

(4) शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की कुल संख्या दस से अधिक नहीं होगी :

परन्तु शिकायत निवारण समिति में महिला कर्मकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व औद्योगिक स्थापन में नियोजित कुल कर्मकारों में महिला कर्मकारों के अनुपात से कम नहीं होगा।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद के संबंध में कोई आवेदन, किसी व्यथित कर्मकार द्वारा शिकायत निवारण समिति के समक्ष, ऐसी तारीख से, जिसको ऐसे विवाद का वाद हेतुक उत्पन्न होता है, एक वर्ष के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, फाइल किया जा सकेगा ।

(6) शिकायत निवारण समिति, उपधारा (5) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अपनी कार्यवाहियां पूरी कर सकेगी ।

(7) उपधारा (5) के अधीन फाइल किसी आवेदन पर शिकायत निवारण समिति का विनिश्चय, समिति के बहुमत के दृष्टिकोण के आधार पर किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले आधे से अधिक सदस्य ऐसे विनिश्चय पर सहमत हों, अन्यथा यह समझा जाएगा कि समिति किसी विनिश्चय पर नहीं पहुंच सकी है ।

(8) ऐसा कर्मकार, जो शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय से व्यथित है या जिसकी शिकायत का, उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त समिति में कोई समाधान नहीं हुआ है, वह, यथास्थिति, शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर या उस तारीख से, जिसको उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाती है, सुलह अधिकारी को व्यवसाय संघ के माध्यम से, जिसका वह सदस्य है, ऐसी शिकायत के सुलह के लिए कोई आवेदन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, फाइल कर सकेगा ।

(9) जहां कोई नियोजक, किसी व्यष्टिक कर्मकार को सेवोन्मुक्त, पदच्युत, उसकी

छंटनी या अन्यथा सेवाओं को समाप्त कर देता है, तो उस कर्मकार और उसके नियोजक के बीच ऐसी सेवोन्मुक्ति, पदच्युति, छंटनी, या समाप्ति के संबंध में या उससे उद्भूत कोई विवाद या मतभेद, इस बात के होते हुए भी कि न तो अन्य कर्मकार न ही कोई व्यवसाय संघ विवाद का पक्षकार है, औद्योगिक विवाद समझा जाएगा ।

(10) इस धारा या धारा 53 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई कर्मकार, जैसा कि उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किया गया है उस तारीख से, जिसको उसने विवाद में सुलह के लिए समुचित सरकार के सुलह अधिकारी को आवेदन किया है, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, उसमें निर्दिष्ट विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण को सीधे आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, अधिकरण को उस विवाद पर न्यायनिर्णयन की शक्तियां और अधिकारिता वैसी ही होगी, जैसे कि धारा 53 की उपधारा (6) के अधीन फाइल किए गए आवेदन के संबंध में अधिकरण को है ।

(11) उपधारा (10) में निर्दिष्ट आवेदन, अधिकरण को, उपधारा (9) में यथा विनिर्दिष्ट सेवोन्मुक्ति, पदच्युति, छंटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा ।

अध्याय 3

व्यवसाय संघ

व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार ।

5. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार और अन्य व्यक्तियों को व्यवसाय संघ का अपर रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ का संयुक्त रजिस्ट्रार तथा व्यवसाय संघ का उप-रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी, जो रजिस्ट्रार की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे ।

(2) राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां व्यवसाय संघ का कोई अपर रजिस्ट्रार या व्यवसाय संघ का संयुक्त रजिस्ट्रार या व्यवसाय संघ का उप-रजिस्ट्रार ऐसे क्षेत्र के भीतर, जिसमें व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हैं, वहां व्यवसाय संघ के ऐसे अपर रजिस्ट्रार या व्यवसाय संघ के संयुक्त रजिस्ट्रार या व्यवसाय संघ के उप-रजिस्ट्रार को इस संहिता के प्रयोजनों के लिए उस व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार समझा जाएगा ।

रजिस्ट्रीकरण के लिए मानदंड ।

6. (1) किसी व्यवसाय संघ के कोई भी सात या उससे अधिक सदस्य व्यवसाय संघ के नियमों पर उनके नामों के हस्ताक्षर करके और अन्यथा इस संहिता के उपबंधों का अनुपालन करके रजिस्ट्रीकरण के संबंध में, इस संहिता के अधीन व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

(2) कर्मकारों का कोई व्यवसाय संघ तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे औद्योगिक स्थापन या उद्योग में लगे हुए या नियोजित कर्मकारों का कम से कम दस प्रतिशत या एक सौ कर्मकार, इसमें से जो भी कम हो, जिसके साथ व्यवसाय संघ जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य नहीं हैं ।

(3) जहां किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया गया है, वहां ऐसा आवेदन, केवल इस तथ्य के कारण कि आवेदन की

तारीख के पश्चात् किसी समय पर, किन्तु व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण से पहले, कुछ आवेदक, किन्तु उन व्यक्तियों की कुल संख्या से आधे से अधिक नहीं हैं, जिन्होंने आवेदन किया था, व्यवसाय संघ के सदस्य नहीं रहे हैं या जिन्होंने आवेदन करके उनको असंबद्ध होने की लिखित सूचना रजिस्ट्रार को दी है, अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा ।

(4) कर्मकारों के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ में सभी समयों पर कर्मकारों के दस प्रतिशत से अन्यून या एक सौ कर्मकार, इनमें जो भी कम हो, किसी औद्योगिक स्थापन या उद्योग जिससे व्यवसाय संघ संबंधित है, में लगे हुए हैं या नियोजित हैं, कम से कम सात सदस्यों के अधीन रहते हुए उसके सदस्य के रूप में बने रहेंगे ।

व्यवसाय संघ के गठन या नियमों में अन्तर्विष्ट किए जाने वाले उपबंध ।

7. कोई व्यवसाय संघ, इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकरण का हकदार तब तक नहीं होगा, जब तक कि उसकी कार्यपालिका का इस संहिता के उपबंधों के अनुसार गठन न किया गया हो और व्यवसाय संघ के नियम निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध न करते हों, अर्थात् :—

(क) व्यवसाय संघ का नाम ;

(ख) वे संपूर्ण उद्देश्य, जिनके लिए व्यवसाय संघ स्थापित किया गया है ;

(ग) वे संपूर्ण प्रयोजन, जिनके लिए व्यवसाय संघ की साधारण निधियां उपयोज्य होंगी, जिनमें से वे सभी प्रयोजन ऐसे प्रयोजन होंगे जिनको ऐसी निधियां इस संहिता के अधीन विधिपूर्वक उपयोज्य हैं ;

(घ) व्यवसाय संघ के संदस्यों की किसी सूची का रखरखाव और व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा उसके निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं ;

(ङ) ऐसे साधारण सदस्यों, (उनके शिल्प या प्रवर्ग को विचार में लाए बिना) का प्रवेश जो, यथास्थिति, ऐसे औद्योगिक स्थापन, उपक्रम या उद्योग या किसी औद्योगिक स्थापन की इकाइयों, शाखाओं या कार्यालयों में, जिनसे वह व्यवसाय संघ संबंधित है, वास्तव में लगे हुए या नियोजित व्यक्ति होंगे और ऐसे मानद या अस्थायी सदस्यों का प्रवेश, जो ऐसे कर्मकार नहीं हैं, जिन्हें धारा 21 के अधीन व्यवसाय संघ की कार्यपालिका बनाने के लिए पदाधिकारी होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है ;

(च) ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा, ऐसे अभिदान का संदाय, जो विहित किया जाए ;

(छ) वे शर्तें, जिनके अधीन कोई सदस्य, किसी ऐसे फायदे का हकदार होगा जिसे नियमों द्वारा आश्वस्त किया गया है और जिनके अधीन किसी सदस्य पर कोई जुर्माना या समपहरण अधिरोपित किया जा सकेगा ;

(ज) व्यवसाय संघ के सदस्यों की वार्षिक साधारण निकाय बैठक, ऐसी बैठक का कार्य संचालन, जिसके अन्तर्गत व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों का निर्वाचन भी है ;

(झ) वह रीति, जिसमें व्यसाय संघ की कार्यपालिका के सदस्यों और अन्य पदाधिकारियों को प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में एक बार निर्वाचित किया जाएगा और उन्हें हटाया जाएगा तथा आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना ;

(ञ) व्यवसाय संघ की निधियों की सुरक्षित अभिरक्षा, उसके लेखाओं का ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, वार्षिक संपरीक्षा और व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा लेखाबाहियों के निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं ;

(ट) वह रीति, जिसमें नियमों को संशोधित किया जाएगा, उनमें फेरफार किया जाएगा या उन्हें विखंडित किया जाएगा ; और

(ठ) वह रीति**,** जिसमें व्यवसाय संघ को विघटित किया जा सकेगा ।

रजिस्ट्रीकरण, नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन और उसकी प्रक्रिया ।

8. (1) किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, रजिस्ट्रार को इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे—

(क) ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, शपथपत्र द्वारा की जाने वाली घोषणा ;

(ख) ऐसे नियमों को अंगीकृत करने वाले व्यवसाय संघ के सदस्यों के द्वारा संकल्प की प्रति के साथ व्यवसाय संघ के नियमों की प्रति;

(ग) रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन करने के लिए आवेदकों को प्राधिकृत करने वाला व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अंगीकृत किए गए संकल्प की एक प्रति ; और

(घ) किसी व्यवसाय संघ की दशा में, जो कोई परिसंघ या व्यवसाय संघों का कोई केन्द्रीय संगठन है प्रत्येक सदस्य व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा, पृथक् रूप से बैठक करके, जिसमें व्यवसाय संघों के परिसंघ या केन्द्रीय संगठन का गठन करने के लिए सहमत हुए हों, अंगीकृत संकल्प की एक प्रति ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अंगीकृत संकल्प से किसी ऐसे व्यवसाय संघ की दशा में जो व्यवसाय संघों का परिसंघ या केन्द्रीय संगठन है, प्रत्येक व्यवसाय संघ सदस्य के सदस्यो द्वारा पृथक रूप से बैठक में अंगीकृत संकल्प अभिप्रेत हैं ।

(2) जहां कोई व्यवसाय संघ अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन करने से पूर्व एक वर्ष से अधिक समय से विद्यमान रहा है, वहां व्यवसाय संघ की आस्तियों और दायित्वों का एक साधारण विवरण, जिसे ऐसे प्ररूप में तैयार किया हो और जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट हों जो विहित की जाएं, आवेदन के साथ रजिस्ट्रार को देगा ।

(3) रजिस्ट्रार, स्वयं का यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि आवेदन इस संहिता के उपबंधों का अनुपालन करता है और व्यवसाय संघ, इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकरण का हकदार है, तो अतिरिक्त सूचना की मांग कर सकेगा तथा ऐसी सूचना प्रस्तुत किए जाने तक व्यवसाय संघ को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगा ।

(4) यदि वह नाम, जिसके अधीन व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण कराने का प्रस्ताव किया जाना है, किसी विद्यमान रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नाम के समान है या रजिस्ट्रार की राय में किसी विद्यमान व्यवसाय संघ के नाम के इतना निकट सादृश है कि ऐसे नाम से जनता या किसी व्यवसाय संघ के सदस्यों के प्रवंचित होने की संभावना है तो रजिस्ट्रार, आवेदन करने वाले व्यक्तियों से व्यवसाय संघ के नाम को

परिवर्तित करने की अपेक्षा करेगा और जब तक ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाता है व्यवसाय संघ को रजिस्टर करने से इंकार कर देगा ।

व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण और उसका रद्द किया जाना ।

9. (1) रजिस्ट्रार का, यह समाधान हो जाने पर कि व्यवसाय संघ ने रजिस्ट्रीकरण के संबंध में इस अध्याय के उपबंधों की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, व्यवसाय संघ को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रखे जाने वाले रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ संलग्न विवरण में अंतर्विष्ट व्यवसाय संघ से संबंधित विशिष्टियों को रजिस्टर में दर्ज करके रजिस्टर करेगा ।

(2) जहां रजिस्ट्रार, किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण का कोई आदेश करता है वहां वह, आवेदक व्यवसाय संघ को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रीकरण का एक प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि व्यवसाय संघ इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

(3) यदि रजिस्ट्रार ने किसी व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर दिया है तो वह उस व्यवसाय संघ का नाम और अन्य विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप में जो विहित की जाएं, इस निमित्त बनाए गए रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा ।

1926 का 16

(4) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यवसाय संघ, जिसके पास इस संहिता के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण है, को इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया हुआ समझा जाएगा :

परन्तु ऐसा व्यवसाय संघ, रजिस्ट्रार के पास एक विवरण फाइल करेगा कि व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का गठन धारा 7 के अनुसार अद्यतन व्यवसाय संघ के नियमों के साथ इस संहिता के अनुसार हैं और रजिस्ट्रार अपने अभिलेखों को तदनुसार संशोधित करेगा ।

(5) किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रार द्वारा, निम्नलिखित मामलों में वापस लिया जा सकेगा या रद्द किया जा सकेगा,—

(i) ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सत्यापित व्यवसाय संघ के आवेदन पर ; या

(ii) व्यवसाय संघ द्वारा इस संहिता या इसके अधीन बनाए गए नियमों या अपने गठन या नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त सूचना पर ; या

(iii) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि व्यवसाय संघ के सदस्य के कुल कर्मकारों का दस प्रतिशत या एक सौ कर्मकार, जो भी कम हो, से कम हो गए हैं :

परन्तु उन आधारों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिन पर किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रद्द करने का प्रस्ताव किया जाता है, साठ दिन से अनधिक की लिखित में पूर्व सूचना, व्यवसाय संघ के आवेदन से अन्यथा भिन्न रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के पूर्व, रजिस्ट्रार द्वारा व्यवसाय संघ को दी जाएगी ।

(6) किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को रजिस्ट्रार द्वारा वहां रद्द कर दिया जाएगा, जहां किसी अधिकरण ने ऐसे व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने का कोई आदेश किया है ।

(7) किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को रद्द करते समय, रजिस्ट्रार ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करेगा और संबद्ध व्यवसाय संघ को लिखित में संसूचित करेगा ।

रजिस्ट्रीकरण न किए जाने या रजिस्ट्रीकरण को रद्द किए जाने के विरुद्ध अपील ।

10. (1) धारा 9 के अधीन किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से रजिस्ट्रार द्वारा इंकार करने से या उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रद्द किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, अधिकरण को अपील कर सकेगा :

परन्तु अधिकरण, इस उपधारा के अधीन अपील करने हेतु विहित परिसीमा के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि अपीलार्थी अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि ऐसा विलंब पर्याप्त कारण से या अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुआ है ।

(2) अधिकरण, संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील को खारिज कर सकेगा या रजिस्ट्रार को यह निदेश देते हुए कोई आदेश पारित कर सकेगा कि वह व्यवसाय संघ को रजिस्टर करे और, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रद्दकरण के आदेश को अपास्त करे तथा ऐसे आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार को भेज सकेगा ।

व्यवसाय संघ को संसूचना और उसकी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में परिवर्तन ।

11. (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ को सभी संसूचनाएं और नोटिस, रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए रजिस्टर में यथाप्रविष्ट व्यवसाय संघ के मुख्यालय के पते पर, ऐसी रीति में भेजे जाएंगे, जो विहित की जाए ।

(2) व्यवसाय संघ, रजिस्ट्रार को सूचित करेगा, यदि ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्यों की संख्या कुल कर्मकारों के दस प्रतिशत या एक सौ कर्मकारों, जो भी कम हो से कम हो जाती है ।

(3) व्यवसाय संघ, रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने आवेदन में और अपने गठन या नियमों में दी गई विशिष्टियों में किसी परिवर्तन के बारे में रजिस्ट्रार को ऐसी रीति में सूचित करेगा, जो विहित की जाए ।

रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का निगमन ।

12. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, उस नाम का, जिसके अधीन उसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है, एक निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, जिससे उसे जंगम और स्थावर संपत्ति दोनों को ही अर्जित और धारित करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी, और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

कतिपय अधिनियमों का रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों को लागू न होना ।

13. निम्नलिखित अधिनियमों के उपबंध, अर्थात् :—

(क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 ; 1860 का 21

(ख) सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 ; 1912 का 2

(ग) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 ; 2002 का 39

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 ; और 2013 का 18

(ङ) किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित कोई अन्य तत्स्थानी विधि,

किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ को लागू नहीं होंगे और पूर्वोक्त अधिनियमों में से किसी अधिनियम के अधीन ऐसे किसी व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण शून्य होगा ।

वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् की मान्यता ।

14. (1) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ वाले किसी औद्योगिक स्थापन में, औद्योगिक स्थापन के नियोजक के साथ ऐसे विषयों पर, जो विहित किए जाएं, बातचीत करने के लिए, यथास्थिति, एक वार्ताकारी संघ या एक वार्ताकारी परिषद् होगी ।

(2) जहां किसी औद्योगिक स्थापन में, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों का केवल एक व्यवसाय संघ काम कर रहा हो, वहां ऐसे औद्योगिक स्थापन का नियोजक ऐसे मानदंडों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, ऐसे व्यवसाय संघ को कर्मकारों के एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता देगा ।

(3) यदि किसी औद्योगिक स्थापन में, इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों के एक से अधिक व्यवसाय संघ कार्य कर रहे हैं तो ऐसे व्यवसाय संघ, जिनके पास उस औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इक्यावन प्रतिशत या अधिक कर्मकार सत्यापित हैं जो उस व्यवसाय संघ का समर्थन कर रहे हैं, को औद्योगिक स्थापन के नियोजक द्वारा कर्मकारों के एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता दी जाएगी ।

(4) यदि किसी औद्योगिक स्थापन में, इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों के एक से अधिक व्यवसाय संघ कार्य कर रहे हैं और ऐसे किसी भी व्यवसाय संघ के पास उस औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, इक्यावन प्रतिशत या अधिक कर्मकार सत्यापित नहीं हैं जो उस व्यवसाय संघ का समर्थन कर रहे हैं तो औद्योगिक स्थापन के नियोजक द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट विषयों पर बातचीत करने के लिए एक वार्ताकारी परिषद् का गठन किया जाएगा, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी जिनके पास उस औद्योगिक स्थापन के इस प्रकार सत्यापित मस्टर रोल में कुल कर्मकारों के कम से कम बीस प्रतिशत कर्मकारों का समर्थन है और ऐसे प्रतिनिधित्व में ऐसे कुल कर्मकारों के प्रत्येक बीस प्रतिशत के लिए एक प्रतिनिधि होगा और शेष के लिए सदस्यता संगणना के पश्चात् प्रत्येक बीस प्रतिशत पर एक प्रतिनिधि होगा ।

(5) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट विषयों पर किसी नियोजक और उपधारा (4) के अधीन गठित वार्ताकारी परिषद् के बीच कोई बातचीत की जाती है वहां ऐसी बातचीत के परिणामस्वरूप कोई करार किया जाना कहा जाता है, यदि उस पर ऐसी वार्ताकारी परिषद् में के व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा सहमति हो जाती है ।

(6) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन दी गई कोई मान्यता या उपधारा (4) के अधीन गठित वार्ताकारी परिषद्, यथास्थिति, मान्यता या गठन की तारीख से तीन वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक न हो, जो पारस्परिक रूप से नियोजक और व्यवसाय संघ द्वारा विनिश्चित की जाए, विधिमान्य होगी ।

(7) औद्योगिक स्थापन द्वारा किसी वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रसुविधाएं ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

व्यवसाय संघ की साधारण निधि के उद्देश्य, पृथक् निधि की संरचना और सदस्यता फीस ।

15. (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की साधारण निधियों को विहित उद्देश्यों से भिन्न किन्हीं अन्य उद्देश्यों पर खर्च नहीं किया जाएगा ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ पृथक् रूप से उद्गृहित किए गए अभिदायों या उस निधि में किए गए अभिदायों से, एक पृथक् निधि का गठन कर सकेगा, जिससे ऐसे उद्देश्य, जो विहित किए जाएं, को अग्रसर करने के लिए, उसके सदस्यों के नागरिक और राजनीतिक हितों के संवर्धन करने के लिए संदाय किया जा सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन गठित निधि के लिए अभिदाय हेतु किसी सदस्य को विवश नहीं किया जाएगा और किसी सदस्य को, जो उक्त निधि में अभिदाय नहीं करता है, व्यवसाय संघ के अन्य सदस्यों की तुलना में (सिवाय उक्त निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के संबंध में) उक्त निधि में उसके अभिदाय न करने के कारण व्यवसाय संघ के किन्हीं फायदों से अपवर्जित नहीं किया जाएगा या प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी नि:शक्तता या किसी अलाभ की स्थिति में नहीं रखा जाएगा और व्यवसाय संघ में शामिल करने के लिए उक्त निधि में अभिदाय की कोई शर्त नहीं होगी ।

(4) व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा संदेय किया गया अभिदान वह होगा, जो विहित किया जाए ।

कतिपय दशाओं में सिविल वाद से उन्मुक्ति ।

16. (1) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसे कार्य के बारे में, जो किसी औद्योगिक-विवाद को, जिसके व्यवसाय संघ का कोई सदस्य एक पक्षकार है, ध्यान में रखते हुए या उसे अग्रसर करने में किया गया है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के या उसके किसी पदाधिकारी या सदस्य के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में केवल इसी आधार पर नहीं की जाएगी कि ऐसा कार्य, नियोजन की संविदा को भंग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है या वह किसी अन्य व्यक्ति के व्यवसाय, कारबार या नियोजन में या किसी अन्य व्यक्ति की उसकी अपनी पूंजी या उसके अपने श्रम को अपनी इच्छानुसार व्ययन करने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, किसी औद्योगिक विवाद को ध्यान में रखते हुए या उसे अग्रसर करने में उस व्यवसाय संघ के किसी अभिकर्ता द्वारा किए गए किसी अपकृत्य के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में दायी नहीं होगा, यदि यह साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति ने व्यवसाय संघ की कार्यपालिका की जानकारी के बिना या उस कार्यपालिका द्वारा दिए गए अभिव्यक्त अनुदेशों के प्रतिकूल कार्य किया था ।

व्यवसाय संघ के उद्देश्यों को अग्रसर करने में आपराधिक षडयंत्र ।

17. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य व्यवसाय संघ के किसी ऐसे उद्देश्य को, जो धारा 15 में यथा विनिर्दिष्ट है, अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए सदस्यों के बीच हुए किसी करार के बारे में, जब तक कि वह करार किसी अपराध को करने का करार न हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख की उपधारा (2) के अधीन दंडनीय नहीं होगा । 1860 का 45

करारों की प्रवर्तनीयता ।

18. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सदस्यों के बीच का कोई करार केवल इस तथ्य के कारण शून्य या शून्यकरणीय नहीं होगा कि उस करार के उद्देश्यों में से कोई उद्देश्य व्यापार का अवरोधक है :

परन्तु इस धारा की कोई बात उन शर्तों से संबद्ध किसी करार के भंग के लिए, जिन पर व्यवसाय संघ के कोई सदस्य अपना माल बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, कारबार का संव्यवहार करेंगे या नहीं करेंगे, काम करेंगे या नहीं करेंगे, नियोजन करेंगे या नहीं करेंगे या नियोजित किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, नुकसानी दिला पाने या उसे वसूल करने के प्रयोजन के लिए संस्थित किसी विधिक कार्यवाही को ग्रहण करने के लिए किसी सिविल न्यायालय को समर्थ नहीं बनाएगी ।

व्यवसाय संघ की बहियों के निरीक्षण का अधिकार ।

19. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की लेखा बहियां और उसके सदस्यों की सूची व्यवसाय संघ के किसी पदाधिकारी या सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए ऐसे समयों पर खुली रहेंगी, जो व्यवसाय संघ के नियमों में उपबंधित किए जाएं ।

व्यवसाय संघ की सदस्यता के लिए अप्राप्तवय के अधिकार ।

20. कोई व्यक्ति, जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और किसी गैर-परिसंकटमय उद्योग में नियोजित है, व्यवसाय संघ के किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य हो सकेगा और यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, किसी सदस्य के सभी अधिकारों का उपभोग कर सकेगा और सभी लिखतों का निष्पादन कर सकेगा तथा ऐसी सभी जानकारियां दे सकेगा, जिनका नियमों के अधीन निष्पादन किया जाना या दिया जाना आवश्यक है ।

व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों की निरर्हता ।

21. (1) कोई व्यक्ति, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का सदस्य या उसका कोई अन्य पदाधिकारी चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि—

(i) उसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है ;

(ii) वह किसी अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो, भारत के किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, जब तक कि उसको छोड़े जाने के पश्चात् पांच वर्ष की कालावधि न बीत गई हो ;

(iii) अधिकरण ने यह निदेश दिया है कि वह उसमें विनिर्दिष्ट किसी अवधि के लिए किसी व्यवसाय संघ के पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा ।

(2) मंत्रिपरिषद् का कोई सदस्य या संघ या किसी राज्य में लाभ का कोई पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति (जो किसी ऐसे स्थापन या उद्योग में, जिससे व्यवसाय संघ संबंधित है, वचनबंध या नियोजित नहीं है) किसी व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का सदस्य या अन्य पदाधिकारी नहीं होगा ।

व्यापार संघों के विवादों का न्यायनिर्णयन ।

22. (1) जहां कोई विवाद—

(क) एक व्यवसाय संघ और दूसरे व्यवसाय संघ के बीच उठता है ; या

(ख) एक या अधिक ऐसे कर्मकार, जो व्यवसाय संघ के सदस्य हैं और व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण, प्रशासन या प्रबंध या पदाधिकारियों के निर्वाचन से संबंधित व्यवसाय संघ के बीच उठता है ; या

(ग) एक या अधिक ऐसे कर्मकार, जिन्हें सदस्य के रूप में प्रवेश से इंकार किया गया है और व्यवसाय संघ के बीच उठता है ; या

(घ) किसी ऐसे व्यवसाय संघ के संबंध में है, जो व्यवसाय संघों का एक परिसंघ है और व्यवसाय संघ द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी के बीच उठता है,

वहां आवेदन, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उस क्षेत्र पर जहां व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, ऐसे विवादों के न्यायनिर्णयन की अधिकारिता रखने वाले अधिकरण को किया जा सकेगा ।

(2) अधिकरण से भिन्न किसी सिविल न्यायालय को, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद के संबंध में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां ग्रहण करने की शक्ति नहीं होगी ।

उद्योग से संबंधित पदाधिकारियों का समानुपात ।

23. (1) किसी असंगठित क्षेत्र में प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों की कुल संख्या के आधे से अन्यून ऐसे व्यक्ति होंगे, जो किसी स्थापन या उद्योग में, जिससे व्यवसाय संघ संबंधित है, वास्तव में लगे हुए हैं या नियोजित हैं :

परन्तु समुचित सरकार विशेष या साधारण आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि इस धारा के उपबंध आदेश में विनिर्दिष्ट किसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के किसी वर्ग को लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "अंसगठित सेक्टर" से कोई ऐसा सेक्टर अभिप्रेत है जिसे समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(2) उपधारा (1) में जैसा अन्यथा उपबंधित उसके सिवाय, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सभी पदाधिकारी, सिवाय कुल पदाधिकारियों की संख्या का एक-तिहाई या पांच से अनधिक इनमें से जो भी कम हो, ऐसे व्यक्ति होंगे, जो ऐसे स्थापन या उद्योग में जिससे व्यवसाय संघ संबंधित है, वास्तव में लगे हुए हैं या नियोजित हैं ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी कर्मचारी का, जो सेवानिवृत्त हो गया है या जिसकी छंटनी कर दी गई है, यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी व्यवसाय संघ में कोई पद धारण करने के प्रयोजन के लिए बाहरी व्यक्ति है ।

नाम में परिवर्तन, समामेलन, परिवर्तन की सूचना और उसका प्रभाव ।

24. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो-तिहाई की सम्मति से और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपना नाम परिवर्तित कर सकेगा ।

(2) कोई दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, समामेलित हो सकेंगे ।

(3) अपने नाम में परिवर्तन करने वाला व्यवसाय संघ, नाम परिवर्तन करने की दशा में सचिव द्वारा और सात सदस्यों द्वारा तथा समामेलन की दशा में, हर एक व्यवसाय संघ, जो इसका पक्षकार है, के सचिव और सात सदस्यों द्वारा प्रत्येक नाम परिवर्तन की और प्रत्येक समामेलन की हस्ताक्षरित लिखित सूचना रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी और जहां समामेलित व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय किसी भिन्न राज्य में स्थित है, वहां ऐसे राज्य के रजिस्ट्रार को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, भेजी जाएगी ।

(4) यदि प्रस्तावित नाम उसी नाम के सदृश है, जिसके द्वारा कोई अन्य विद्यमान व्यवसाय संघ रजिस्ट्रीकृत किया गया है या रजिस्ट्रार की राय में यह ऐसे नाम के इतना सदृश है कि उससे जनता को या किसी भी व्यवसाय संघ के सदस्य को प्रवंचित करना संभाव्य है तो रजिस्ट्रार उस नाम के परिवर्तन को रजिस्टर करने से इंकार कर देगा ।

(5) उपधारा (4) में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रार का यदि यह समाधान हो जाता है कि नाम परिवर्तन के बारे में इस संहिता के उपबंधों का अनुपालन हो गया है, तो

धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट रजिस्टर में नाम परिवर्तन को दर्ज करेगा और यह नाम परिवर्तन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा ।

(6) उस राज्य के रजिस्ट्रार का, जिसमें समामेलित व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि समामेलन के बारे में इस संहिता के उपबंधों का अनुपालन हो गया है और उसके द्वारा बनाया गया व्यवसाय संघ धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार है, तो उस व्यवसाय संघ को रजिस्टर करेगा और समामेलन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा ।

(7) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नाम में किया गया परिवर्तन, व्यवसाय संघ के किन्हीं अधिकारों या बाध्यताओं पर प्रभाव नहीं डालेगा और न ही उस व्यवसाय संघ द्वारा या उसके विरुद्ध की गई किसी विधिक कार्यवाही को त्रुटियुक्त बनाएगा और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाही, जो उसके पूर्व नाम से उसके द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकती थी या प्रारंभ की जा सकती थी, उसके नए नाम से उसके द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी या प्रारंभ की जा सकेगी ।

(8) दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों का समामेलन ऐसे व्यवसाय संघों में से किसी के अधिकार पर या उनमें से किसी लेनदार के किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

25. (1) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ विघटित किया जाता है, तब उस व्यवसाय संघ के सात सदस्यों द्वारा और उसके सचिव द्वारा विघटन की हस्ताक्षरित सूचना विघटन के चौदह दिन के भीतर, रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी, और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विघटन व्यवसाय संघ के नियमों के अनुसार किया गया है तो वह सूचना उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जाएगी और वह विघटन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा । विघटन ।

(2) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का विघटन रजिस्ट्रीकृत किया गया है और विघटन होने पर व्यवसाय संघ के नियम व्यवसाय संघ की निधियों के वितरण के लिए उपबंध नहीं करते हैं, वहां रजिस्ट्रार उन निधियों को सदस्यों के बीच ऐसी रीति से विभाजित करेगा, जो विहित की जाए ।

26. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ— वार्षिक विवरणी ।

(क) ऐसी विहित तारीख से ठीक पूर्ववर्ती 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की सभी प्राप्तियों और व्यय की विशिष्टियों को तथा ऐसे 31 दिसंबर को विद्यमान व्यवसाय संघ की आस्तियों और दायित्वों को अंतर्विष्ट करने वाला एक साधारण विवरण, ऐसी तारीख को या उससे पूर्व, ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में संपरीक्षित और ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रार को प्रतिवर्ष भेजेगा ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट साधारण विवरण के साथ रजिस्ट्रार को, उस वर्ष के दौरान, जिसको ऐसा साधारण विवरण निर्दिष्ट करता है, व्यवसाय संघ द्वारा किए गए पदाधिकारियों के परिवर्तन दर्शित करने वाला एक विवरण भेजेगा, जिसके साथ व्यवसाय संघ के नियमों की, उसे प्रेषण करने की तारीख तक की एक संशोधित प्रतिलिपि भी रजिस्ट्रार को भेजेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नियमों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन की एक प्रतिलिपि, ऐसा परिवर्तन करने के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी ।

(3) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यवसाय संघ से संबंधित, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सभी युक्तियुक्त समयों पर कर सकेगा या उन्हें ऐसे स्थान पर, जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, किन्तु ऐसा कोई भी स्थान ऐसे व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से पन्द्रह किलोमीटर से अधिक की दूरी पर नहीं होगा ।

केन्द्रीय और राज्य स्तर पर व्यवसाय संघों की मान्यता ।

27. (1) जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के परिसंघ को केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता दिया जाना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजन के लिए, जो विहित किया जाए, ऐसे व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के किसी परिसंघ को केन्द्रीय व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता दे सकेगी और यदि ऐसी मान्यता के संबंध में कोई विवाद उठता है, तो उसका विनिश्चय ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) जहां राज्य सरकार की यह राय है कि किसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के परिसंघ को राज्य स्तर पर राज्य व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता दिया जाना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजन के लिए, जो विहित किया जाए, ऐसे व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के किसी परिसंघ को राज्य व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता दे सकेगी और ऐसी मान्यता के संबंध में कोई विवाद उठता है, तो उसका विनिश्चय ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

अध्याय 4

स्थायी आदेश

इस अध्याय का लागू होना ।

28. (1) इस अध्याय के उपबंध, प्रत्येक ऐसे औद्योगिक स्थापन को लागू होंगे, जिसमें तीन सौ या तीन सौ से अधिक कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान किसी भी दिन नियोजित थे ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के उपबंध किसी औद्योगिक स्थापन को लागू नहीं होंगे, जहां तक उसमें नियोजित कर्मकार ऐसे व्यक्ति हैं, जिन पर मूल और अनुपूरक नियम, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, पुनरीक्षित छुट्टी नियम, सिविल सेवा विनियम, रक्षा सेवा में के सिविलियन (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम या भारतीय रेल स्थापन संहिता या कोई अन्य नियम या विनियम, जो समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए जाएं, लागू होते हैं ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा आदर्श स्थायी आदेशों का बनाया जाना और उनका अस्थायी लागू होना ।

29. (1) केन्द्रीय सरकार, सेवा शर्तों और उनसे अनुषंगी या उससे संबंधित अन्य विषयों के संबंध में आदर्श स्थायी आदेश करेगी ।

(2) धारा 30 से धारा 36 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए, जिसको यह धारा किसी औद्योगिक स्थापन को लागू होती है और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, जिसको इस संहिता के अधीन अंतिम रूप से यथा प्रमाणित स्थायी आदेश, उस स्थापन में धारा 33 के अधीन प्रवर्तन में आते हैं, उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदर्श स्थायी आदेश उस स्थापन में अंगीकृत किए गए समझे जाएंगे और धारा 33 की उपधारा (2) तथा धारा 35 के उपबंध ऐसे आदर्श स्थायी आदेशों को लागू होंगे मानो वे इस प्रकार प्रमाणित स्थायी आदेशों को लागू होते हैं ।

नियोजक द्वारा प्रारूप स्थायी आदेशों को तैयार करना और प्रमाणन के लिए प्रक्रिया ।

30. (1) नियोजक, इस संहिता के प्रारंभ की तारीख से, छह मास की अवधि के भीतर, धारा 29 में निर्दिष्ट आदर्श स्थायी आदेशों के आधार पर पहली अनुसूची में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में और उसके औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के लिए, ऐसे स्थायी आदेशों में आवश्यक उपबंधों को सम्मिलित किए जाने के लिए उसके औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के क्रियाकलापों की प्रकृति पर विचार करते हुए, उसके द्वारा आवश्यक समझे गए अन्य विषयों पर स्थायी आदेशों का प्रारूप तैयार करेगा, परन्तु ऐसे उपबंध इस संहिता के किसी भी उपबंध से असंगत न हों और पहली अनुसूची में दिए गए प्रत्येक मामलों को समावेशित करते हों ।

(2) नियोजक, व्यवसाय संघों या मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् के सदस्यों से, यथास्थिति, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के संबंध में स्थायी आदेश का प्रारूप तैयार करने के संबंध में परामर्श करेगा और उसके पश्चात् स्थायी आदेश का प्रारूप इलैक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा प्रमाणन अधिकारी को प्रमाणन के लिए भेजेगा ।

(3) जहां कोई नियोजक अपने किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम से सुसंगत मामलों के संबंध में धारा 29 में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के आदर्श स्थायी आदेश को अंगीकृत करता है, तब ऐसा स्थायी आदेश इस धारा के उपबंधों के अधीन प्रमाणित हुआ समझा जाएगा और नियोजक इसके संबंध में सूचना संबद्ध प्रमाणन अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, भेजेगा :

परन्तु यदि प्रमाणन अधिकारी का ऐसा कोई विचार है तो वह ऐसे नियोजक को, अंगीकृत आदेश का, ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संशोधन करने का निदेश दे सकेगा ।

(4) नियोजक, स्थायी आदेश में अपेक्षित उपांतरणों, यदि कोई हो, का प्रारूप इस संहिता के उपबंधों के अनुसार तैयार करेगा और ऐसी तारीख से, जब इस अध्याय के उपबंध उसके औद्योगिक स्थापन को लागू हो जाते हैं, प्रमाणन अधिकारी को केवल उन उपांतरणों प्रमाणन के लिए छह मास की अवधि के भीतर इलैक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा भेजेगा ।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रारूपों की प्राप्ति पर, प्रमाणकर्ता अधिकारी—

(i) व्यवसाय संघ या औद्योगिक स्थापन के वार्ताकारी संघ या उपक्रम, या वार्ताकारी परिषद् के सदस्यों को सूचना जारी करेगा ; या

(ii) जहां कोई व्यवसाय संघ कार्य नहीं कर रहा है, वहां औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के कर्मकारों के ऐसे प्रतिनिधियों को सूचना जारी करेगा जिनका चयन ऐसी रीति में किया गया है, जो विहित की जाए,

उस विषय में उनकी टीका-टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए और उनकी टीका-टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात्, वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् को या, यथास्थिति, व्यवसाय संघों या कर्मकारों के प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर देकर तथा यह विनिश्चय करने के लिए कि क्या प्रारूप स्थायी आदेश को प्रमाण्य बनाने के लिए ऐसे प्रारूप स्थायी आदेश में कोई उपांतरण या परिवर्धन आवश्यक है या नहीं और इस संबंध में एक लिखित आदेश करेगा :

परन्तु प्रमाणकर्ता अधिकारी, प्रमाणन के लिए ऐसी प्रक्रिया जो उपधारा (4) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट है,—

(क) इस प्रकार प्राप्त प्रारूप स्थायी आदेश को, इसकी प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर ; और

(ख) इस प्रकार प्राप्त स्थायी आदेश में प्रारूप उपांतरणों को, ऐसे उपांतरणों की प्राप्ति के साठ दिन की अवधि के भीतर,

पूर्ण करेगा, जिसके न हो सकने पर, यथास्थिति, ऐसा प्रारूप स्थायी आदेश या स्थायी आदेश के उपांतरण, उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रमाणित हुए समझे जाएंगे ।

(6) स्थायी आदेश इस संहिता के अधीन प्रमाण्य होगा, यदि—

(क) पहली अनुसूची, जो औद्योगिक स्थापन को लागू होती है, में दिए गए प्रत्येक विषय के लिए उपबंध हैं ; और

(ख) ऐसे आदेश, इस संहिता के उपबंधों के अन्यथा अनुरूप हैं ।

(7) धारा 32 में निर्दिष्ट प्रमाणकर्त्ता अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह कृत्य होगा कि वह धारा 29 में निर्दिष्ट आदर्श स्थायी आदेशों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए किन्हीं स्थायी आदेशों के उपबंधों के औचित्य या युक्तियुक्तता का अधिनिर्णयन करे ।

(8) प्रमाणकर्ता अधिकारी, प्रारूप स्थायी आदेशों या उपधारा (5) में निर्दिष्ट स्थायी आदेशों में उपांतरणों को प्रमाणित करेगा और इसके पश्चात् सात दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित स्थायी आदेशों या स्थायी आदेशों में किए गए उपांतरणों की प्रमाणित प्रतियां नियोजक और वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् या व्यवसाय संघ या उपधारा (5) के खंड (ii) में निर्दिष्ट कर्मकारों के अन्य प्रतिनिधियों को भेजेगा ।

(9) उपधारा (1) के अधीन प्रारूप स्थायी आदेशों या उपधारा (5) के अधीन स्थायी आदेशों में प्रस्तावित उपांतरणों के प्रारूप एक विवरण के साथ संलग्न होंगे, जिसमें औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों, उस व्यवसाय संघ, जिससे वह संबंधित हैं और वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद्, यदि कोई हों, की ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो विहित की जाएं ।

(10) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, समान स्थापनों में नियोजकों का कोई समूह इस धारा के अधीन और उपधारा (1), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (8) और उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए स्थायी आदेशों का एक संयुक्त प्रारूप प्रस्तुत कर सकेगा, "नियोजक", "व्यवसाय संघ" और "वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद्" पदों के अन्तर्गत क्रमशः, यथास्थिति, ऐसे समान स्थापनों के सभी नियोजक, व्यवसाय संघ और वार्ताकारी परिषद् होंगे ।

(11) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस संहिता के सुसंगत उपबंधों के प्रारंभ होने की तारीख को विद्यमान किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम से संबंधित स्थायी आदेश, जहां तक वह इस संहिता के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों से असंगत नहीं हैं, जारी रहेंगे और उपधारा (8) के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेश समझे जाएंगे तथा तदनुसार इस अध्याय के उपबंध उन पर लागू होंगे ।

प्रमाणकर्ता अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के पास सिविल न्यायालय की शक्तियों का होना ।

31. (1) प्रत्येक प्रमाणकर्ता अधिकारी और धारा 32 में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी के पास साक्ष्य ग्रहण करने, शपथ दिलाने, साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों का पता लगाने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजनों के लिए किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और धारा 346 के अर्थ के अन्तर्गत सिविल न्यायालय समझे जाएंगे । (1974 का 2)

(2) किसी प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश में लेखन या गणित संबंधी भूलों या उसमें किसी आकस्मिक छूट या लोप से उद्भूत गलतियों को किसी भी समय उस अधिकारी द्वारा या ऐसे अधिकारी के कार्यालय में उसके उत्तरवर्ती द्वारा ठीक किया जा सकेगा ।

अपीलें ।

32. कोई नियोजक या व्यवसाय संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् या जहां किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् नहीं है, कोई भी संघ या औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के कर्मकारों का ऐसा प्रतिनिधि निकाय, यदि धारा 30 की उपधारा (5) के अधीन प्रमाणकर्ता अधिकारी के दिए गए आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रमाणकर्ता अधिकारी के आदेश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार द्वारा नियुक्त अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील का निपटान करेगा ।

स्थायी आदेशों के प्रचालन की तारीख और उसकी उपलब्धता ।

33. (1) यथास्थिति, स्थायी आदेश या उपांतरित स्थायी आदेश, जब तक कि धारा 32 के अधीन कोई अपील नहीं की जाती है, उस तारीख से, जिसको उसकी अधिप्रमाणित प्रतियां धारा 30 की उपधारा (8) के अधीन भेजी जाती हैं, तीस दिन के अवसान पर या जहां यथा पूर्वोक्त कोई अपील की जाती है, उस तारीख से, जिसको अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रतियां, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, भेजी जाती हैं, सात दिन के अवसान पर प्रवर्तन में आएगा ।

(2) इस संहिता के अधीन अंतिम रूप से यथाप्रमाणित स्थायी आदेश के पाठ को नियोजक द्वारा ऐसी भाषा में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संबंधित कर्मकारों की जानकारी के लिए रखा जाएगा ।

स्थायी आदेशों का रजिस्टर ।

34. इस संहिता के अधीन अंतिम रूप से यथाप्रमाणित सभी स्थायी आदेशों की एक प्रति प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा इलैक्ट्रानिक प्ररूप में या ऐसे अन्य प्ररूप में, जो विहित किया जाए, अपलोड करने के प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में फाइल की जाएगी और प्रमाणकर्ता अधिकारी उसकी प्रति उसके लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, देगा ।

स्थायी आदेशों की कालावधि और उनका उपांतरण ।

35. (1) धारा 30 की उपधारा (8) के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेश, नियोजक और कर्मकार या कोई वार्ताकारी संघ या कोई व्यवसाय संघ या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य निकाय के बीच करार के सिवाय, उपांतरित किए जाने के लिए तब तक दायी नहीं होगा जब तक उस तारीख से, जिसको स्थायी आदेश या उनका अंतिम उपांतरण प्रवर्तन में आया था, छह मास की अवधि का अवसान नहीं हो जाता है ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई नियोजक या कर्मकार या व्यवसाय संघ या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला अन्य निकाय उपांतरित स्थायी आदेशों के लिए ऐसे आवेदन में, जो विहित किया जाए, प्रमाणकर्ता अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जिसके साथ किए जाने वाले प्रस्तावित उपांतरणों की, ऐसी प्रतियां संलग्न होंगी और जहां नियोजक और कर्मकारों या किसी व्यवसाय संघ या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य निकाय के बीच करार द्वारा उपांतरणों का किया जाना प्रस्तावित है, उस करार की एक प्रमाणित प्रति ऐसे आवेदन के साथ फाइल की जाएगी ।

(3) इस संहिता के पूर्वगामी उपबंध, उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आवेदन के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे प्रथम बार के स्थायी आदेशों के प्रमाणन को लागू होते हैं ।

स्थायी आदेशों के खंडन में मौखिक साक्ष्य का ग्राह्य न होना ।

36. इस अध्याय के अधीन अंतिम रूप से यथाप्रमाणित स्थायी आदेश में परिवर्धन करने या अन्यथा फेरफार करने या खंडन करने का प्रभाव रखने वाला कोई भी मौखिक साक्ष्य किसी न्यायालय में ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

स्थायी आदेशों का निर्वचन आदि ।

37. यदि धारा 30 की उपधारा (8) के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेशों के लागू होने या निर्वचन के बारे में या उस धारा की उपधारा (5) के अधीन किए गए किसी करार द्वारा उसमें किए गए उपांतरण के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो नियोजक या कोई कर्मकार या संबंधित कर्मकार या औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजित कर्मकार के संबंध में व्यवसाय संघ, जिसमें प्रश्न उठा है, उस अधिकरण को, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा स्थापन या कार्यालय, अनुभाग या उपक्रम की शाखा अवस्थित है, प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए आवेदन कर सकेगा और ऐसा अधिकरण सभी संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय संबंधित नियोजक और कर्मकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

अनुशासनिक कार्यवाहियों को पूरा करने की समय-सीमा और निर्वाह भत्ता संदाय करने का दायित्व ।

38. (1) जहां नियोजक द्वारा किसी कर्मकार को अन्वेषण या उसके विरुद्ध शिकायतों या अवचार के आरोपों की जांच के लंबित रहते हुए निलंबित किया जाता है तो ऐसा अन्वेषण या जांच या जहां कोई अन्वेषण करने के पश्चात् जांच की जाती है, अन्वेषण और जांच दोनों को साधारणतया निलंबन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।

(2) धारा 30 की उपधारा (8) के अधीन प्रमाणित या धारा 35 के अधीन उपांतरित स्थायी आदेश यह उपबंध करेंगे कि जहां किसी कर्मकार को उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट निलंबित किया जाता है, किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के संबंध में नियोजक ऐसे स्थापन या उपक्रम में नियोजित ऐसे कर्मकार को उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर निर्वाह भत्ते का उस अवधि के लिए संदाय करेगा जिसके दौरान ऐसे कर्मकार को उसके विरुद्ध अन्वेषण या शिकायतों की जांच या अवचार के आरोपों के लंबित रहने के दौरान निलंबित रखा गया है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन संदेय निर्वाह भत्ते की रकम—

(क) निलंबन के पहले नब्बे दिन के लिए उस मजदूरी के पचास प्रतिशत की दर से होगी, जिसका कर्मकार ऐसे निलंबन की तारीख से तुरंत पूर्व हकदार था ; और

(ख) निलंबन की शेष कालावधि के लिए ऐसी मजदूरी के पचहत्तर प्रतिशत की दर से होगी, यदि ऐसे कर्मकार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों में विलंब प्रत्यक्षत: ऐसे कर्मकार के आचरण के कारण हुआ नहीं माना जा सकता है ।

छूट देने की शक्ति ।

39. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी औद्योगिक स्थापन या औद्योगिक स्थापनों के किसी वर्ग को इस अध्याय के सभी या किन्हीं उपबंधों से सशर्त या बिना किसी शर्त के छूट प्रदान कर सकेगी ।

अध्याय 5

परिवर्तन की सूचना

परिवर्तन की सूचना ।

40. कोई भी नियोजक, जो किसी कर्मकार को लागू सेवा की शर्तों में तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे विषय के संबंध में, कोई परिवर्तन करने की प्रस्थापना करता है,—

(i) ऐसे कर्मकार को, जिन पर ऐसे परिवर्तन का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो, ऐसी रीति में, जो किए जाने वाले प्रस्थापित परिवर्तन की प्रकृति के बारे में विहित किया जाए, सूचना दिए बिना, ऐसा परिवर्तन नहीं करेगा ; या

(ii) ऐसी सूचना दिए जाने के इक्कीस दिन के भीतर ऐसा परिवर्तन नहीं करेगा :

परन्तु ऐसा कोई परिवर्तन करने के लिए किसी भी सूचना की अपेक्षा वहां नहीं होगी,—

(क) जहां किसी समझौते या अधिनिर्णय के अनुसरण में परिवर्तन किया गया है ;

(ख) जहां कर्मकारों, जिन पर उस परिवर्तन का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो, वे ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें मूल और अनुपूरक नियम, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, पुनरीक्षित छुट्टी नियम, सिविल सेवा विनियम, रक्षा सेवाओं के सिविलियन (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम या भारतीय रेल स्थापन संहिता या कोई अन्य नियम या विनियम, जो समुचित सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किए जाए, लागू होते हैं ;

(ग) स्थायी आदेशों के अनुसार से भिन्न शिकायत निवारण समिति के परामर्श से आकस्मिक स्थिति की दशा में, जिसमें पारी में परिवर्तन या पारी कार्यकरण की अपेक्षा हो ;

(घ) यदि ऐसा परिवर्तन समुचित सरकार के आदेशों के अनुसार या किसी समझौते या पंचाट के अनुसरण में किया जाता है।

समुचित सरकार की छूट देने की शक्ति ।

41. जहां समुचित सरकार की यह राय है कि औद्योगिक स्थापनों के किसी वर्ग को या किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकार के किसी वर्ग को धारा 40 के उपबंधों का लागू होना, उससे संबंधित नियोजकों पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव डालता है कि इस प्रकार लागू किए जाने से संबंधित उद्योग पर गंभीर परिणाम हो सकेगा और यह कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित है, वहां समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि उक्त धारा के उपबंध औद्योगिक स्थापनों के उस वर्ग को या किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों के उस वर्ग को, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, लागू नहीं होंगे या लागू होंगे ।

अध्याय 6

विवादों का माध्यस्थम् के लिए स्वैच्छया निर्देश

विवादों का माध्यस्थम् के लिए स्वैच्छया निर्देश ।

42. (1) जहां कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान हो या होने की आशंका हो और नियोजक तथा कर्मकार विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किए जाने के लिए सहमत हैं, वहां वे विवाद को किसी लिखित करार द्वारा माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट कर सकेंगे और यह निर्देश मध्यस्थ या मध्यस्थों के रूप में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को होगा, जिन्हें माध्यस्थम् करार में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) जहां कोई माध्यस्थम् करार यह उपबंध करता है कि विवाद समसंख्यक मध्यस्थों को निर्दिष्ट किया जाए वहां करार किसी अन्य व्यक्ति को अधिनिर्णायक के रूप में नियुक्त करने का उपबंध करेगा, जो निर्देश ग्रहण करेगा यदि मध्यस्थ अपनी राय में बराबर बंटे हों और अधिनिर्णायक का पंचाट अभिभावी होगा तथा वह इस संहिता के प्रयोजनों के लिए माध्यस्थम् पंचाट समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई माध्यस्थम् करार ऐसे प्ररूप में होगा और उस पर उसके पक्षकार ऐसी रीति से हस्ताक्षर करेंगे, जो विहित किया जाए ।

(4) माध्यस्थम् करार की एक प्रति समुचित सरकार या सुलह अधिकारी को भेजी जाएगी ।

(5) जहां कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किया गया हो और समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि निर्देश करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्षकार की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां समुचित सरकार ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, अधिसूचना जारी कर सकेगी और जब ऐसी कोई अधिसूचना जारी की जाती है तब उन नियोजकों और कर्मकारों को, जो माध्यस्थम् करार के पक्षकार नहीं है किन्तु विवाद से संबंधित हैं, मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा :

परन्तु यह कि,—

(i) जहां ऐसा औद्योगिक विवाद किसी व्यष्टिक कर्मकार को उन्मोचन, पदच्युत, छंटनी करने या अन्यथा के रूप में समाप्ति से भिन्न कोई औद्योगिक विवाद है तो कर्मकार का मध्यस्थ के समक्ष निम्नलिखित के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जाएगा, —

(क) जहां वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् है, वहां, यथास्थिति, वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् द्वारा ; या

(ख) जहां वार्ताकारी कोई संघ या वार्ताकारी परिषद् नहीं है, वहां व्यवसाय संघ द्वारा ; या

(ग) जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं है, वहां ऐसी रीति से चुने हुए, जो विहित किया जाएं कर्मकारों के ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा ;

(ii) जहां ऐसा औद्योगिक विवाद किसी व्यष्टिक कर्मकार को उन्मोचन, पदच्युत, छंटनी या अन्यथा के रूप में समाप्ति करने से संबंध रखता है, तो संबंधित कर्मकार का वैयक्तिक रूप से या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जाएगा ।

(6) मध्यस्थ, विवाद का अन्वेषण करेगा या करेंगे और यथास्थिति, मध्यस्थ द्वारा या सभी मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित माध्यस्थम् पंचाट समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा या करेंगे ।

(7) जहां कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किया गया है और उपधारा (5) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है, वहां समुचित सरकार ऐसे विवाद के संबंध में, जो निदेश किए जाने की तारीख को विद्यमान हो, की गई किसी हड़ताल या तालाबंदी के चालू रखने को, आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेंगी ।

1996 का 26 (8) माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की कोई भी बात, इस धारा के अधीन के माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी ।

अध्याय 7

औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए तंत्र

43. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, सुलह अधिकारियों के रूप में, उतने व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी, जो वह उचित समझे, जिन्हें औद्योगिक विवादों के निपटारे में मध्यस्थता करने और उसका संवर्धन करने के लिए कर्तव्य से भारित किया जाए । सुलह अधिकारी ।

(2) किसी सुलह अधिकारी को किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए या किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए या तो स्थायी रूप से या सीमित कालावधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा ।

44. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों को करने के लिए, जो इस संहिता के अधीन उसे सौंपे जाएं, एक या अधिक औद्योगिक अधिकरणों का गठन कर सकेगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार गठित अधिकरण, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 औद्योगिक अधिकरण । 1952 का 19

की धारा 2 के खंड (ड) या उस अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित अधिकरण पर प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का भी प्रयोग करेंगे ।

(2) प्रत्येक औद्योगिक अधिकरण, समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिसमें से एक न्यायिक सदस्य और दूसरा प्रशासनिक सदस्य होगा ।

(3) अधिकरण की न्यायपीठ किसी न्यायिक सदस्य और किसी प्रशासनिक सदस्य या एकल न्यायिक सदस्य या एकल प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बनेगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित अधिकरण के न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, भर्ती की पद्धति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होंगी : 2017 का 7

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का पद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार में समतुल्य श्रेणी का पद धारण किया हो, वह अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त का पात्र नहीं होगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित अधिकरण के न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य की पदावधि, उनके वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(6) उपधारा (2) में निर्दिष्ट और किसी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के वेतन और भत्तों, सेवा के निबंधन और शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभप्रद परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(7) अधिकरण की प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत अधिकरण की न्यायपीठ में मामलों का वितरण सम्मिलित भी है) वह होगी, जो विहित की जाए, परन्तु किसी न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बनने वाली न्यायपीठ केवल निम्नलिखित से संबंधित मामलों को ग्रहण करेगी और उसका विनिश्चय करेगी—

(क) किसी स्थायी आदेश का लागू होना और उसका निर्वचन करना ;

(ख) किसी कर्मकार को उन्मोचित या पदच्युत करना, जिसके अंतर्गत पदच्युत किए गए कर्मकार का पुनःस्थापन या उसे अनुतोष प्रदान करना सम्मिलित है ;

(ग) किसी हड़ताल या तालाबंदी की अविधिमान्यता या अन्यथा ;

(घ) कर्मकार की छंटनी और स्थापन का बंद किया जाना; और

(ङ) व्यवसाय संघ विवाद,

तथा शेष मामले, अधिकरण के किसी न्यायिक सदस्य या किसी प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बनने वाले अधिकरण की न्यायपीठ द्वारा ग्रहण और विनिश्चित किए जाएंगे ।

(8) न्यायिक सदस्य ऐसे अधिकरण की अध्यक्षता करेगा जहां अधिकरण की न्यायपीठ एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बनती है ।

(9) यदि किसी कारण से, किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण या किसी अधिकरण में कोई रिक्ति (अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न) उद्भूत होती है, तब ऐसी रिक्ति को यथास्थिति, उपधारा (4) या उपधारा (5) के उपबंधों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी

रीति में भरा जाएगा, जो विहित किया जाए और, यथास्थिति, ऐसे राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण या अधिकरण के समक्ष कार्यवाही उसी प्रक्रम से जारी रहेंगी, जिस प्रक्रम पर ऐसी रिक्ति भरी जाती है ।

(10) समुचित सरकार, अधिकरण के न्यायिक सदस्य के परामर्श से उतनी संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द का प्रबंध कर सकेगी, जितनी अधिकरण के कृत्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए अपेक्षित हों ।

अधिकरण के गठन की अंतिमता ।

45. समुचित सरकार की किसी अधिसूचना को, जो अधिकरण के किसी न्यायिक सदस्य या किसी प्रशासनिक सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए हो, किसी भी रीति में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ; और अधिकरण के समक्ष कोई कार्य या कार्यवाही मुख्यत: ऐसे अधिकरण में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के विद्यमान रहने के आधार पर किसी भी रीति में प्रश्नगत नहीं की जाएगी ।

राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण ।

46. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा औद्योगिक विवादों, जिनमें केन्द्रीय सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न अंतर्वलित हैं या वे ऐसी प्रकृति के हैं कि उनसे एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापनों के उसमें हितबद्ध होने की संभावना है या वह ऐसे विवादों से प्रभावित हैं, के न्यायनिर्णयन के लिए एक या अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरणों का गठन कर सकेगी ।

(2) कोई राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनमें से एक न्यायिक सदस्य और दूसरा प्रशासनिक सदस्य होगा ।

(3) कोई व्यक्ति, किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो ।

(4) कोई व्यक्ति, किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह भारत सरकार का सचिव न हो या न रह चुका हो या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में समतुल्य रैंक धारण न कर रहा हो, जिसके पास श्रम से संबंधित मामलों से निपटने का पर्याप्त अनुभव न हो ।

(5) न्यायिक सदस्य, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की अध्यक्षता करेगा ।

(6) राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य के चयन की प्रक्रिया, उनके वेतन, भत्ते, सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(7) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य के परामर्श से उतनी संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद का प्रबंध कर सकेगी, जितनी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के कृत्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए अपेक्षित हों ।

अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का विनिश्चय ।

47. (1) यथास्थिति, किसी अधिकरण या किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का विनिश्चय, सदस्यों के मतैक्य से होगा ।

(2) यदि किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के सदस्यों का किसी बिन्दु पर मतभेद होता है तो वह उन बिन्दु या बिन्दुओं का कथन करेंगे, जिन पर उनमें मतभेद है और समुचित सरकार को निर्देश करेंगे ।

(3) समुचित सरकार, उपधारा (2) के अधीन किए गए निर्देश की प्राप्ति पर, अन्य अधिकरण या किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य की नियुक्ति करेगी, जो स्वयं बिन्दु या बिन्दुओं की सुनवाई करेगा और ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं का विनिश्चय, यथास्थिति, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, जिसने पहले मामले की सुनवाई की है, के सदस्यों, जिसके अंतर्गत अन्य अधिकरण का न्यायिक सदस्य भी है, जिसने तत्पश्चात् मामले की सुनवाई की थी, के बहुमत के अनुसार किया जाएगा ।

अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के सदस्यों की निरर्हताएं ।

48. कोई व्यक्ति, क्रमश: किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा या उसे जारी नहीं रखा जाएगा, यदि—

(क) वह कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है ; या

(ख) उसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "स्वतंत्र व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद से या जो ऐसे विवाद से प्रत्यक्षत: प्रभावित किसी उद्योग से असंबद्ध है ।

मध्यस्थ, सुलह अधिकारी, अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां ।

49. (1) इस संहिता के उपबंधों और उन नियमों, जो इस निमित्त बनाए जाएं, के अधीन रहते हुए, कोई मध्यस्थ, सुलह अधिकारी, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसा मध्यस्थ, सुलह अधिकारी, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण उचित समझे ।

(2) कोई सुलह अधिकारी या अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी विद्यमान औद्योगिक विवाद या औद्योगिक विवाद होने की आशंका की जांच के प्रयोजन के लिए, युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात्, किसी स्थापन द्वारा, जिससे विवाद संबंधित है, दखलकृत परिसर में प्रविष्ट हो सकेगा ।

(3) सुलह अधिकारी, अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, 1908 का 5
अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों और तात्विक वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए विवश करना ;

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ;

(घ) ऐसे अन्य मामलों के संबंध में, जो विहित किए जाएं,

और अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा की गई प्रत्येक जांच या अन्वेषण भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के अंतर्गत कोई न्यायिक 1860 का 45
कार्यवाही समझी जाएगी ।

(4) कोई सुलह अधिकारी, ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करने के प्रयोजन से किसी भी व्यक्ति को हाजिर करा सकेगा या उसे बुला सकेगा और किसी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा जिसके लिए उसके पास औद्योगिक विवाद से सुसंगत होने पर विचार करने का आधार है या किसी पंचाट के कार्यान्वयन को सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए या इस संहिता के अधीन उस पर अधिरोपित किसी अन्य कर्तव्य का निष्पादन करने के लिए आवश्यक है तथा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए, सुलह अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो

किसी व्यक्ति को हाजिर कराने और उसकी परीक्षा करने या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने
1908 का 5 को विवश करने के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं ।

(5) समुचित सरकार, यदि उचित समझे तो विचाराधीन मामले में विशेष जानकारी रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को, यथास्थिति, किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को उक्त अधिकरणों में से प्रत्येक के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में सलाह देने के लिए असेसर या विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

(6) सभी सुलह अधिकारी और किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण
1860 का 45 के सदस्यों को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

(7) इस संहिता के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही की लागत और उसके लिए आनुषंगिक, उस अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के विवेकानुसार होगी तथा, यथास्थिति, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को यह अवधारित करने के लिए कि किसके द्वारा और किसे तथा किस विस्तार तक और किन शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, ऐसी लागतों का संदाय किया जाना है, और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक निदेश देने की पूर्ण शक्ति होगी और समुचित सरकार को पात्र व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर उस सरकार द्वारा ऐसी लागतों की उसी रीति में वसूली की जाएगी मानो वह भू-राजस्व का बकाया है ।

(8) प्रत्येक अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता,
1974 का 2 1973 की धारा 345, धारा 346 और धारा 348 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(9) किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा या के समक्ष दिया गया प्रत्येक पंचाट, जारी किया गया आदेश या किए गए निपटान का निष्पादन किसी सिविल न्यायालय के आदेशों और डिक्री के निष्पादन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता,
1908 का 5 1908 के आदेश 21 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को कर्मकार के सेवोन्मुक्त या उसके पदच्युति की दशा में समुचित अनुतोष देने की शक्तियां ।

50. (1) जहां धारा 53 की उपधारा (6) के अधीन, किसी कर्मकार के सेवोन्मुक्त या पदच्युति या अन्यथा सेवा समाप्ति से संबंधित आवेदन किसी अधिकरण में किया गया है या न्यायनिर्णयन के लिए किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट किया गया है और न्यायनिर्णयन प्रक्रियाओं के अनुक्रम में, यथास्थिति, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि सेवोन्मुक्ति या पदच्युति या अन्यथा सेवा समाप्ति का आदेश न्यायोचित नहीं था, तो वह अपने पंचाट द्वारा सेवोन्मुक्ति या पदच्युति या सेवा समाप्ति के आदेश को अपास्त कर सकेगा और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, यदि कोई हों, जैसा वह ठीक समझे, कर्मकार के पुनःस्थापन का निदेश दे सकेगा या कर्मकार को ऐसा अन्य अनुतोष दे सकेगा जिसके अंतर्गत सेवोन्मुक्ति या पदच्युति या अन्यथा सेवा समाप्ति के बदले में कोई कमतर दंड का पंचाट भी है, जैसा मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो ।

(2) यथास्थिति, कोई अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, औद्योगिक विवाद के लंबित रहने के दौरान उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मकार को न्याय के हित में ऐसा अंतरिम अनुतोष मंजूर कर सकेगा, जैसा मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो :

परन्तु इस उपधारा के अधीन किसी कार्यवाही में, यथास्थिति, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण केवल अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर ही निर्भर करेंगे और मामले के संबंध में कोई नया साक्ष्य ग्रहण नहीं करेंगे ।

लंबित मामलों का अंतरण ।

51. (1) इस संहिता के प्रारंभ की तारीख से ही, ऐसे प्रारंभ से तुरंत पूर्व—

(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन गठित श्रम न्यायालय और अधिकरण में लंबित मामले, इस संहिता के अधीन तत्स्थानी अधिकारिता रखने वाले अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे ; 1947 का 14

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन गठित राष्ट्रीय अधिकरण में लंबित मामले, इस संहिता के अधीन तत्स्थानी अधिकारिता रखने वाले राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे । 1947 का 14

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को अंतरित मामलों से नए सिरे से या उस प्रक्रम से जिस पर वह ऐसे अंतरण से पूर्व लंबित थे, जैसा ठीक समझा जाए, व्यवहार किया जाएगा ।

निरसित अधिनियम के अधीन पीठासीन अधिकारियों की सेवाओं का समायोजन ।

52. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन गठित, यथास्थिति, कोई श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का कोई पीठासीन अधिकारी, जो उस रूप में इस संहिता के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व पद धारण कर रहा है और इस संहिता के अधीन नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित है, तो वह, यथास्थिति, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का न्यायिक सदस्य होगा और अपनी शेष पदावधि के लिए पद धारण करता रहेगा । 1947 का 14

विवाद का सुलह और न्यायनिर्णयन ।

53. (1) जहां कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसकी आशंका है या धारा 62 के अधीन कोई सूचना दी गई है तो सुलह अधिकारी, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुलह कार्यवाहियां करेगा :

परन्तु सुलह अधिकारी ऐसा औद्योगिक विवाद पैदा होने की तारीख से दो वर्ष के पश्चात्, औद्योगिक विवाद से संबंधित कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा ।

(2) सुलह अधिकारी, विवाद का समझौता कराने के प्रयोजन के लिए, विवाद और उसके सार तथा उचित समझौता को प्रभावित करने वाले सभी विषयों का अविलंब अन्वेषण करेगा और ऐसी सभी चीजें कर सकेगा, जो वह विवाद के उचित और सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए पक्षकारों को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन के लिए ठीक समझे ।

(3) यदि विवाद या विवादग्रस्त विषयों में से किसी विषय पर समझौता सुलह कार्यवाहियों के अनुक्रम में होता है, तो सुलह अधिकारी उसकी एक रिपोर्ट समुचित सरकार या समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के साथ भेजेगा ।

(4) यदि ऐसा कोई समझौता नहीं किया जाता है, तो सुलह अधिकारी यथासाध्य शीघ्रता से, अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात्, संबद्ध पक्षकारों को और समुचित सरकार को तथ्यों और परिस्थितियों के पूर्ण विवरण के साथ तथा उन कारणों के, जिसके मद्दे

उसकी राय में, कोई समझौता नहीं हो सका, विवाद से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों को अभिनिश्चित करने के लिए और उसका समझौता कराने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों को उपवर्णित करने वाली एक पूर्ण रिपोर्ट इलैक्ट्रानिक या अन्य प्ररूप में, जो विहित किया जाए, भेजेगा ।

(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सुलह अधिकारी संबद्ध पक्षकारों और समुचित सरकार को सुलह कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के पैंतालीस दिन के भीतर या ऐसी लघुत्तर अवधि के भीतर, जो समुचित सरकार द्वारा नियत की जाए, रिपोर्ट भेजेगा :

परन्तु जहां कोई सुलह अधिकारी धारा 62 के अधीन सूचना प्राप्त करता है वहां वह सुलह कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के चौदह दिन के भीतर संबद्ध पक्षकारों और समुचित सरकार को रिपोर्ट भेजेगा :

परन्तु यह और कि सुलह अधिकारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, समय को ऐसी अवधि तक बढाया जा सकेगा, जैसा कि विवाद के संबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित में करार किया जाए ।

(6) कोई संबंधित पक्षकार, विहित प्ररूप में अधिकरण को उन मामलों की, जो सुलह अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन उस तारीख से, जिसको संबंधित पक्षकार द्वारा उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, से नब्बे दिन के भीतर नहीं निपटाए गए हैं, के लिए आवेदन कर सकेगा और अधिकरण ऐसे आवेदन का विनिश्चय विहित रीति में करेगा ।

राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के निर्देश और कृत्य ।

54. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी औद्योगिक विवाद को किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी, जिसमें ऐसी सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्ता का प्रश्न अंतर्वलित है या वह ऐसी प्रकृति का है, जिसमें एक से अधिक राज्यों में अवस्थित औद्योगिक स्थापनों के हितबद्ध होने की या ऐसे औद्योगिक विवाद से प्रभावित होने की संभावना है ।

(2) जहां कोई औद्योगिक विवाद, केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णयन के लिए उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट किया गया है या धारा 92 के अधीन अंतरित किया गया है, वहां वह अपनी कार्यवाहियां शीघ्रतापूर्वक करेगा और ऐसे औद्योगिक विवाद को निर्दिष्ट या अंतरण करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या केन्द्रीय सरकार द्वारा विस्तारित की गई अतिरिक्त अवधि के भीतर उस सरकार को अपना पंचाट प्रस्तुत करेगा ।

पंचाट का प्ररूप, उसकी संसूचना और प्रारंभ ।

55. (1) पंचाट—

(i) जो ऐसे अधिकरण द्वारा दिया जाता है, जिसकी न्यायपीठ न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य या एकल न्यायिक सदस्य या एकल प्रशासनिक सदस्य द्वारा मिलकर बनी हैं; या

(ii) किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा दिया जाता है,

वह लिखित में होगा और उस पर यथास्थिति, न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य दोनों अथवा या तो न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य, जिसके द्वारा पंचाट दिया गया है, के इलैक्ट्रानिकी रूप में या अन्यथा हस्ताक्षर होंगे ।

(2) प्रत्येक माध्यस्थम् पंचाट और अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का प्रत्येक अधिनिर्णय संबद्ध पक्षकारों और समुचित सरकार को संसूचित किया जाएगा ।

(3) इस संहिता के अधीन किया गया कोई पंचाट, उपधारा (2) के अधीन उसकी संसूचना की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तनीय हो जाएगा :

परन्तु—

(क) यदि समुचित सरकार की किसी मामले में यह राय है, कि जहां किसी अधिकरण द्वारा किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में अधिनिर्णय दिया गया है, जिसका वह एक पक्षकार है ; या

(ख) यदि किसी भी मामले में केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि जहां अधिनिर्णय किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा दिया गया है,

कि यह संपूर्ण पंचाट या उसके किसी भाग को प्रभावी करने के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या सामाजिक न्याय को प्रभावित करने वाले लोक आधारों पर असमीचीन होगा, समुचित सरकार या, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि पंचाट तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन किसी पंचाट के संबंध में कोई घोषणा की गई है, यथास्थिति, समुचित सरकार या केन्द्रीय सरकार उपधारा (2) के अधीन पंचाट की संसूचना की तारीख से नब्बे दिन के भीतर अधिनिर्णय को नामंजूर करने वाला या उसे उपांतरित करने वाला कोई आदेश कर सकेगी और प्रथम उपलब्ध अवसर पर, यदि आदेश किसी राज्य सरकार द्वारा किया गया है तो राज्य विधान-मंडल के समक्ष या यदि आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया है तो संसद् के समक्ष आदेश की प्रति सहित पंचाट को रखेगी ।

(5) जहां किसी राज्य विधान-मंडल के समक्ष या संसद् के समक्ष उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा यथा अस्वीकृत या उपांतरित कोई पंचाट रखा जाता है तब ऐसा पंचाट उस तारीख से, जिसको इसे इस प्रकार रखा जाता है पंद्रह दिन की समाप्ति पर प्रवर्तनीय हो जाएगा और जहां उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश, उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन घोषणा के अनुसरण में नहीं किया जाता है तो अधिनिर्णय उपधारा (4) में निर्दिष्ट नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तनीय हो जाएगा ।

(6) किसी पंचाट की प्रवर्तनीयता के संबंध में, उपधारा (3) और उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पंचाट उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए किन्तु जहां कोई तारीख इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं की जाती है, वहां यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जब पंचांट, यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन प्रवर्तनीय हो जाता है ।

उच्चतर न्यायालयों में कार्यवाहियां लंबित रहने तक कर्मकार को पूर्ण मजदूरी का संदाय ।

56. जहां किसी मामले में, कोई अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण अपने पंचाट के द्वारा किसी कर्मकार के पुनःस्थापन का निदेश देता है और नियोजक किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में ऐसे पंचाट के विरुद्ध कोई कार्यवाही करता है, वहां नियोजक ऐसे कर्मकार को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में ऐसी कार्यवाहियों के लंबित रहने की अवधि के दौरान उसके द्वारा अंतिम बार प्राप्त की गई पूर्ण मजदूरी, जिसके अंतर्गत किसी नियम के अधीन उसको अनुज्ञेय कोई भरण-पोषण

भत्ता भी है, का संदाय करने का दायी होगा, यदि कर्मकार ऐसी अवधि के दौरान किसी स्थापन में नियोजित नहीं किया गया था और ऐसे कर्मकार द्वारा शपथपत्र ऐसे न्यायालय में उस प्रभाव के लिए फाइल किया गया था:

परन्तु जहां उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि ऐसा कर्मकार नियोजित किया गया था और ऐसी किसी अवधि या उसके भाग के दौरान पर्याप्त पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा था, तो न्यायालय यह आदेश करेगा कि, यथास्थिति, ऐसी अवधि या उसके भाग के लिए इस धारा के अधीन कोई मजदूरी संदेय नहीं होगी ।

ऐसे व्यक्ति जिन पर समझौते और अधिनिर्णय आबद्धकर हैं ।

57. (1) सुलह कार्यवाही के अनुक्रम से भिन्न नियोजक और कर्मकार के बीच करार द्वारा किया गया कोई समझौता करार के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

(2) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा माध्यस्थम् पंचाट, जो प्रवर्तनीय हो गया है, करार के ऐसे पक्षकारों पर आबद्धकर होगा, जिन्होंने विवाद माध्यस्थम् को निर्दिष्ट किया है ।

(3) इस संहिता या माध्यस्थम् या अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के अधिनिर्णय के अधीन सुलह कार्यवाहियों के अनुक्रम में किया गया समझौता, जो प्रवर्तनीय हो गया है—

(क) औद्योगिक विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा;

(ख) विवाद के पक्षकारों के रूप में कार्यवाहियों में हाजिर होने के लिए समन किए गए सभी अन्य पक्षकारों पर तब तक आबद्धकर नहीं होगा जब तक कि, यथास्थिति, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण अपनी यह राय अभिलिखित नहीं कर देता है कि उन्हें बिना उचित कारण के इस प्रकार समन किया गया था ;

(ग) जहां खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई पक्षकार एक नियोजक है वहां ऐसे स्थापन, जिससे विवाद संबंधित है, के संबंध में उसके वारिसों, उत्तराधिकारियों या समनुदेशितियों पर आबद्धकर होगा ;

(घ) जहां खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई पक्षकार जो ऐसे कर्मकारों से मिलकर बना है, ऐसे सभी व्यक्तियों जो, यथास्थिति, ऐसे स्थापन या स्थापन के भाग में नियोजित किए गए थे, जिनसे विवाद की तारीख को विवाद संबंधित है और ऐसे सभी व्यक्तियों, जो तत्पश्चात् उस स्थापन या उसके भाग में नियोजित हुए हैं, आबद्धकर होगा ।

समझौतों और पंचाटों के प्रवर्तन की अवधि ।

58. (1) कोई समझौता ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो विवाद के पक्षकारों द्वारा करार किया जाता है और यदि किसी तारीख पर सहमति नहीं बनती है तो उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसको समझौता ज्ञापन विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है ।

(2) ऐसा समझौता ऐसी अवधि के लिए आबद्धकर होगा जो पक्षकारों द्वारा करार किया जाता है और यदि किसी ऐसी अवधि पर सहमति नहीं बनती है तो उस तारीख से जिसको विवाद के पक्षकारों द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाता है, छह मास की अवधि के लिए, और उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् पक्षकारों पर उस तारीख से जिसको अन्य पक्षकार के पक्षकारों या समझौता के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार

द्वारा समझौता समाप्त करने के आशय की लिखित में सूचना दी जाती है, साठ दिनों की समाप्ति तक आबद्धकर बना रहेगा ।

(3) कोई पंचाट, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस तारीख से, जिसको पंचाट धारा 55 के अधीन प्रवर्तनीय हो जाता है, एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेगा :

परन्तु समुचित सरकार उक्त अवधि को कम कर सकेगी और ऐसी अवधि को नियत कर सकेगी, जो वह ठीक समझे :

परन्तु यह और कि समुचित सरकार, उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व, प्रवर्तन की अवधि को एक बार में एक वर्ष से अनधिक की किसी अवधि तक बढ़ा सकेगी, जो इस प्रकार वह ठीक समझे, तथापि किसी अधिनिर्णय के प्रवर्तन की कुल अवधि उस तारीख से जिसको वह प्रवर्तन में आता है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(4) जहां समुचित सरकार, चाहे स्वप्रेरणा से या पंचाट द्वारा आबद्धकर किसी पक्षकार के आवेदन पर यह विचार करती है कि, जब से अधिनिर्णय किया गया था, तब से परिस्थितियों में ऐसे तात्विक परिवर्तन हुए हैं जिन पर यह आधारित था, वहां समुचित सरकार, पंचाट या उसके किसी भाग को अधिकरण को विनिर्दिष्ट कर सकेगी यदि अधिनिर्णय अधिकरण द्वारा विनिश्चय के लिए किया जाता है, चाहे प्रवर्तन की अवधि ऐसे परिवर्तन के कारण कम नहीं की जानी चाहिए और ऐसे निर्देश पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(5) उपधारा (3) की कोई बात ऐसे किसी पंचाट को लागू नहीं होगी जो अपनी प्रकृति, निबंधनों और अन्य परिस्थितियों के अनुसार पंचाट द्वारा आबद्धकर पक्षकारों पर कोई सतत् बाध्यता प्रभावी किए जाने के पश्चात् अधिरोपित नहीं करती है।

(6) उपधारा (3) के अधीन प्रवर्तन की अवधि की समाप्ति पर भी, अधिनिर्णय पक्षकारों पर तब तक आबद्धकर बना रहेगा जब तक साठ दिन की अवधि उस तारीख से व्यपगत न हो गई हो जिसको सूचना अधिनिर्णय से आबद्धकर किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार या पक्षकारों को अधिनिर्णय समाप्त करने के अपने आशय की सूचना दी गई है ।

(7) उपधारा (2) या उपधारा (6) के अधीन दी गई कोई सूचना का प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक कि, यथास्थिति, वह समझौता या अधिनिर्णय द्वारा आबद्धकर व्यक्तियों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी पक्षकार द्वारा नहीं दे दी जाती है।

नियोजक से शोध्य धन की वसूली ।

59. (1) जहां किसी कर्मकार को नियोजक से किसी समझौते या पंचाट के अधीन अथवा अध्याय 9 या अध्याय 10 के उपबंधों के अधीन कोई धन शोध्य है, तो स्वयं कर्मकार या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अथवा कर्मकार की मृत्यु की दशा में उसका समनुदेशिती या उत्तराधिकारी, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके शोध्य धन की वसूली के लिए समुचित सरकार को आवेदन कर सकेगा और यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि कोई धन इस प्रकार शोध्य है, तो वह कलक्टर को उस रकम के लिए प्रमाणपत्र जारी करेगी, जो भू-राजस्व के बकाए के रूप में उसी रीति से उसकी वसूली के लिए अग्रसर होगा :

परन्तु ऐसा प्रत्येक आवेदन, उस तारीख से जिसको ऐसा धन नियोजक से कर्मकार को शोध्य हो जाता है, एक वर्ष के भीतर किया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसा कोई आवेदन, उक्त एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा, यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास उक्त अवधि के भीतर आवेदन नहीं किए जाने का पर्याप्त कारण था ।

(2) जहां कोई कर्मकार, नियोजक से कोई धन या कोई फायदा, जो धन के निबंधनों में संगणित किए जाने योग्य है, प्राप्त करने का हकदार है और यदि कोई प्रश्न शोध्य धन की रकम के बारे में या ऐसी रकम जिस पर ऐसा फायदा संगणित किया जाना चाहिए, के बारे में उठता है तब वह प्रश्न, इस संहिता के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अधिकरण द्वारा, जो इस निमित्त समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, तीन मास से अनधिक अवधि के भीतर किया जा सकेगा:

परन्तु जहां अधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसी अतिरिक्त अवधि द्वारा ऐसी अवधि तक, जैसा कि वह उचित समझे, बढ़ा सकेगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी फायदे का धन मूल्य संगणित करने के प्रयोजन के लिए, अधिकरण यदि ऐसा करना उचित समझता है, तो कमिश्नर की नियुक्ति कर सकेगा, जो ऐसा साक्ष्य, जो आवश्यक हो, लेने के पश्चात् अधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अधिकरण कमिशनर की रिपोर्ट या मामले की अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् रकम को अवधारित करेगा ।

(4) अधिकरण का विनिश्चय इसके द्वारा समुचित सरकार को भेजा जाएगा और अधिकरण द्वारा शोध्य पाई गई कोई रकम उपधारा (1) में उपबंधित रीति से वसूल की जा सकेगी ।

(5) जहां, एक ही नियोजक के अधीन नियोजित कर्मकार उससे कोई धन या धन के निबंधनों में संगणित किए जाने योग्य कोई फायदा प्राप्त करने के हकदार हैं तब ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाए, ऐसे कर्मकारों की किन्हीं संख्या की ओर से या के संबंध में, शोध्य रकम की वसूली के लिए एकल आवेदन कर सकेंगे ।

कार्यवाहियों का प्रारंभ और समाप्ति ।

60. (1) कोई सुलह कार्यवाही, उस तारीख को, जिसको सुलह अधिकारी द्वारा हड़ताल या तालाबंदी की सूचना की प्राप्ति के पश्चात्, किसी औद्योगिक विवाद में सुलह अधिकारी द्वारा पहली बैठक आयोजित की जाती है, प्रारंभ हुई समझी जाएगी ।

(2) सुलह कार्यवाही समाप्त हुई समझी जाएगी—

(क) जहां कोई समझौता किया जाता है, जब विवाद के पक्षकारों द्वारा कोई समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाता है ;

(ख) जहां कोई समझौता नहीं किया जाता है और सुलह अधिकारी द्वारा सुलह का विफल हो जाना अभिलिखित किया जाता है ; या

(ग) जब सुलह कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को इस संहिता के अधीन कोई निर्देश किया जाता है ।

(3) इस संहिता के अधीन किसी मध्यस्थ या अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां, यथास्थिति, आवेदन करने या अपील फाइल करने की तारीख को अथवा माध्यस्थम् या न्यायनिर्णयन के लिए विवाद का निर्देश करने की तारीख को प्रारंभ हुई समझी जाएगी और ऐसी कार्यवाहियां उस तारीख को समाप्त हुई समझी जाएंगी जिसको ऐसा अधिनिर्णय प्रवर्तनीय हो जाता है ।

कतिपय मामलों का गोपनीय रखा जाना ।

61. व्यवसाय संघ के बारे में या किसी व्यष्टि कारबार के बारे में (चाहे उसे किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी द्वारा चलाया जाता हो) किसी अन्वेषण या जांच के अनुक्रम में सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा अभिप्राप्त किसी ऐसी जानकारी को, जो ऐसे सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष दिए गए साक्ष्य के माध्यम से अन्यथा उपलब्ध नहीं है, इस संहिता के अधीन की किसी रिपोर्ट या अधिनिर्णय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यदि प्रश्नगत व्यवसाय संघ, व्यक्ति, फर्म या कंपनी ने, यथास्थिति, सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण से लिखित में यह अनुरोध किया हो कि ऐसी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और न ही ऐसा सुलह अधिकारी या मध्यस्थ या अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या कार्यवाहियों में उपस्थित या उनसे संबद्ध कोई व्यक्ति ऐसी किसी जानकारी को, यथास्थिति, उस व्यवसाय संघ के सचिव की या प्रश्नगत व्यक्ति, फर्म या कंपनी की लिखित सम्मति के बिना प्रकट करेगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अधीन अभियोजन के प्रयोजनों के लिए ऐसी किसी जानकारी के प्रकटन को लागू नहीं होगी । 1860 का 45

अध्याय 8

हड़ताल और तालाबंदी

हड़ताल और तालाबंदी का प्रतिषेध ।

62. (1) किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कोई भी व्यक्ति—

(क) इसमें इसके पश्चात् यथाउपबंधित हड़ताल करने से पूर्व साठ दिन के भीतर, हड़ताल की सूचना नियोजक को दिए बिना ; या

(ख) ऐसी सूचना देने के चौदह दिन के भीतर ; या

(ग) किसी ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट हड़ताल की तारीख के अवसान से पूर्व ; या

(घ) सुलह अधिकारी के समक्ष की किन्हीं सुलह कार्यवाहियों के लंबित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् सात दिन के दौरान ; या

(ङ) किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के दौरान ; या

(च) किसी मध्यस्थ के समक्ष की किन्ही माध्यस्थम् कार्यवाहियों के लंबित रहने और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के दौरान, जहां कोई अधिसूचना धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन जारी की गई है ; या

(छ) ऐसी किसी अवधि के दौरान, जिसमें समझौता या अधिनिर्णय के अन्तर्गत आने वाले विषयों में से किसी विषय के संबंध में कोई समझौता या अधिनिर्णय प्रवर्तन में है,

संविदा को भंग करते हुए हड़ताल नहीं करेगा ।

(2) किसी औद्योगिक स्थापन का कोई भी नियोजक—

(क) इसमें इसके पश्चात् यथाउपबंधित तालाबंदी करने से पूर्व साठ दिन के भीतर, तालाबंदी की सूचना कर्मकारों को दिए बिना ; या

(ख) ऐसी सूचना देने के चौदह दिन के भीतर ; या

(ग) यथा पूर्वोक्त किसी ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट तालाबंदी की तारीख के अवसान से पूर्व ; या

(घ) सुलह अधिकारी के समक्ष की किन्हीं सुलह कार्यवाहियों के लंबित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् सात दिन के दौरान ; या

(ङ) किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों के लंबित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के दौरान ; या

(च) किसी मध्यस्थ के समक्ष माध्यस्थम् कार्यवाहियों के लंबित रहने और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के दौरान, जहां कोई अधिसूचना धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन जारी की गई है ; या

(छ) ऐसी किसी अवधि के दौरान, जिसमें समझौता या अधिनिर्णय के अंतर्गत आने वाले विषयों में से किसी विषय के संबंध में कोई समझौता या अधिनिर्णय प्रवर्तन में है,

अपने किन्ही भी कर्मकारों के प्रति तालाबंदी नहीं करेगा ।

(3) इस धारा के अधीन हड़ताल या तालाबंदी की सूचना वहां आवश्यक नहीं होगी जहां, यथास्थिति, कोई हड़ताल या तालाबंदी पहले से ही विद्यमान है, किन्तु नियोजक ऐसी तालाबंदी या हड़ताल की सूचना उस दिन, जिसको वह घोषित की जाती है, ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा जिसे समुचित सरकार द्वारा या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए या सेवाओं के किसी विशिष्ट वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट हड़ताल की सूचना उतने व्यक्तियों द्वारा, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को और ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए ।

(5) उपधारा (2) में निर्दिष्ट तालाबंदी की सूचना ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए ।

(6) यदि किसी दिन किसी नियोजक को उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से कोई ऐसी सूचनाएं, जो उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट हैं, प्राप्त करता है या उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को ऐसी कोई सूचना, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट हैं, देता है तो वह उसके पांच दिन के भीतर समुचित सरकार को या ऐसे प्राधिकारी को, जिसे वह सरकार विहित करे और सुलह अधिकारी को, उस दिन प्राप्त की गई या दी गई ऐसी सूचनाओं की संख्या की रिपोर्ट करेगा ।

63. (1) कोई हड़ताल या तालाबंदी अवैध होगी, यदि वह— अवैध हड़ताल और तालाबंदी ।

(i) धारा 62 के उल्लंघन में प्रारंभ या घोषित की जाती है ; या

(ii) धारा 42 की उपधारा (7) के अधीन किए गए आदेश के उल्लंघन में चालू रखी जाती है ।

(2) जहां किसी औद्योगिक विवाद के अनुसरण में कोई हड़ताल या तालाबंदी पहले ही प्रारंभ हो चुकी है और अधिकरण में ऐसे औद्योगिक विवाद से संबंधित आवेदन के फाइल किए जाने के या किसी मध्यस्थ या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को ऐसे औद्योगिक विवाद के निर्देश के समय विद्यमान है, वहां ऐसी हड़ताल या तालाबंदी का चालू रखा जाना अवैध नहीं समझा जाएगा, परन्तु यह तब जबकि ऐसी हड़ताल या तालाबंदी अपने प्रारंभ के समय इस संहिता के उपबंधों के उल्लघंन में न रही हो या उसका चालू रखा जाना धारा 42 की उपधारा (7) के अधीन प्रतिषिद्ध न किया गया हो ।

(3) किसी अवैध हड़ताल के परिणामस्वरूप घोषित तालाबंदी या किसी अवैध तालाबंदी के परिणामस्वरूप घोषित हड़ताल अवैध नहीं समझी जाएगी ।

अवैध हड़ताल और तालाबंदी के लिए वित्तीय सहायता का प्रतिषेध ।

64. कोई भी व्यक्ति किसी अवैध हड़ताल या तालाबंदी को प्रत्यक्षत: अग्रसर करने या उसका समर्थन करने में किसी धन का व्यय या उपयोजन जानते हुए नहीं करेगा ।

अध्याय 9

कामबंदी, छंटनी और बंदी

धारा 67 से धारा 69 तक का लागू होना ।

65. (1) धारा 67 से धारा 69 तक (दोनों सहित) उन औद्योगिक स्थापनों को, जिन्हें अध्याय 10 लागू होता है, या—

(क) ऐसे औद्योगिक स्थापनों को, जिनमें पूर्ववर्ती कैलेंडर मास में प्रति कार्य दिन को औसत पचास से कम कर्मकार नियोजित रहे हैं ; या

(ख) ऐसे औद्योगिक स्थापनों को, जो किसी समय विशेष के हैं या जिनमें काम आंतरायिक रूप से होता है,

को लागू नहीं होगी ।

(2) यदि यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई औद्योगिक स्थापन किसी समय विशेष का है या क्या उसमें काम केवल आंतरायिक रूप से होता है, तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में और धारा 67, धारा 68 और धारा 69 में औद्योगिक स्थापन से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ड) में यथापरिभाषित कोई कारखाना ; या 1948 का 63

(ii) खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में यथापरिभाषित कोई खान ; या 1952 कर 35

(iii) बागान श्रम अधिनियम, 1951 की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित कोई बागान । 1951 का 69

निरंतर सेवा की परिभाषा ।

66. इस अध्याय में, किसी कर्मकार के संबंध में निरंतर सेवा से ऐसे कर्मकार की अविच्छिन्न सेवा अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत वह सेवा आती है जो रुग्णता या प्राधिकृत छुट्टी या दुर्घटना या ऐसी हड़ताल के कारण विच्छिन्न हो, जो अवैध न हो या तालाबन्दी

या काम के ऐसे बन्द हो जाने के कारण, जो कर्मकार के द्वारा किसी त्रुटि के कारण न हो ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई कर्मकार एक वर्ष या छह मास की किसी अवधि के लिए निरंतर सेवा में नहीं है वहां—

(क) यदि कर्मकार ने, उस तारीख से पूर्व, जिसके प्रति निर्देश से गणना की जानी है, बारह मास की कालावधि के दौरान—

(i) ऐसे कर्मकार की दशा में, जो किसी खान में भूमि के नीचे नियोजित है, एक सौ नब्बे दिन से ; और

(ii) किसी अन्य दशा में, दो सौ चालीस दिन से,

अन्यून, किसी नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है तो यह समझा जाएगा कि वह एक वर्ष की कालावधि के लिए, उस नियोजक के अधीन निरंतर सेवा में रह चुका है ;

(ख) यदि कर्मकार ने, उस तारीख से पूर्व, जिसके प्रति निर्देश से गणना की जानी है, छह मास की कालावधि के दौरान—

(i) ऐसे कर्मकार की दशा में, जो किसी खान में भूमि के नीचे नियोजित है, पचानवें दिन से; और

(ii) किसी अन्य दशा में, एक सौ बीस दिन से,

अन्यून, किसी नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है तो यह समझा जाएगा कि वह छह मास की कालावधि के लिए, उस नियोजक के अधीन निरंतर सेवा में रह चुका है ।

स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए, ऐसे दिनों की संख्या, जिनको कर्मकार ने नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है, में वे दिन भी सम्मिलित होंगे, जिनको—

(i) किसी करार के अधीन या इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक स्थापन को लागू किसी अन्य विधि के द्वारा यथा अनुज्ञात या उसके अधीन उसकी कामबंदी की गई हैं; या

(ii) वह पूर्ववर्षों में उपार्जित पूर्ण मजदूरी छुट्टी पर रहा है; या

(iii) वह अपने नियोजन से उद्भूत और उसके अनुक्रम में, दुर्घटना द्वारा कारित अस्थायी निःशक्तता के कारण अनुपस्थित रहा है; या

(iv) किसी महिला की दशा में, वह प्रसूति छुट्टी पर रही है, किन्तु ऐसी
1961 का 53 प्रसूति छुट्टी की कुल अवधि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में यथाविनिर्दिष्ट अवधि से अधिक न हो ।

जिन कर्मकारों की कामबंदी की गई है उनका प्रतिकर, आदि के लिए अधिकार ।

67. जब कभी किसी ऐसे कर्मकार (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न) की, जिसका नाम किसी औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है और जिसने किसी नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है, उसकी निरन्तर या आन्तरायिक रूप से कामबंदी की जाती है, तब नियोजक ऐसे साप्ताहिक अवकाशों के सिवाय, जो बीच में पड़ जाएं, उन सभी दिनों के लिए, जिनके दौरान उसकी

इस प्रकार कामबंदी की जाती है, ऐसा प्रतिकर देगा जो उसकी उस आधारिक मजदूरी और महंगाई भत्ते के योग के, जो उसकी इस प्रकार कामबंदी न किए जाने पर संदेय होता, पचास प्रतिशत के बराबर होगा :

परन्तु यदि बारह मास की किसी कालावधि के दौरान, किसी कर्मकार की पैंतालीस दिन से अधिक की इस प्रकार कामबंदी की जाती है तो उस कामबंदी के प्रथम पैंतालीस दिन के अवसान के पश्चात् की किसी भी कालावधि की बाबत ऐसा कोई प्रतिकर उस दशा में संदेय नहीं होगा यदि कर्मकार और नियोजक के बीच उस आशय का कोई करार हो :

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में नियोजक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि धारा 70 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वह उस कर्मकार की छंटनी उस कामबंदी के प्रथम पैंतालीस दिन के अवसान के पश्चात् किसी भी समय कर दे और जब ऐसा वह करता है तब पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान कामबंदी की जाने के लिए कर्मकार को दिया गया कोई भी प्रतिकर उस प्रतिकर में से मुजरा किया जा सकेगा, जो छंटनी के लिए संदेय हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "बदली कर्मकार" से वह कर्मकार अभिप्रेत है, जो किसी औद्योगिक स्थापन में किसी अन्य कर्मकार के स्थान पर नियुक्त है, जिसका नाम स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है, किन्तु यदि उसने स्थापन में एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है तो उसे ऐसा नहीं माना जाएगा ।

कर्मकारों के मस्टर रोल रखने का नियोजक का कर्तव्य ।

68. इस बात के होते हुए भी कि किसी औद्योगिक स्थापन के कर्मकारों की कामबंदी की गई है, प्रत्येक नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए एक मस्टर रोल रखे और ऐसे कर्मकारों द्वारा उसमें प्रविष्टियां किए जाने का उपबंध करे, जो नियत समय पर प्रसामान्य काम-घंटों के दौरान स्थापन में काम करने के लिए स्वयं उपस्थित हों ।

कुछ दशाओं में कर्मकारों का प्रतिकर के लिए हकदार न होना ।

69. ऐसे कर्मकार को, जिसकी कामबंदी की गई है, उस दशा में कोई भी प्रतिकर नहीं दिया जाएगा,—

(i) यदि वह उसी स्थापन में, जिसमें उसकी कामबंदी की गई है या उसी नियोजक के किसी दूसरे स्थापन में, जो उसी नगर या गांव में या जिस स्थापन का वह है, उससे आठ किलोमीटर की परिधि के अन्दर स्थित है, कोई अनुकल्पी नियोजन स्वीकार करने से इंकार करता है, यदि नियोजक की राय में, ऐसे अनुकल्पी नियोजन के लिए किसी विशेष कौशल या पूर्व अनुभव की अपेक्षा न हो और वह उस कर्मकार द्वारा किया जा सकता हो, परन्तु जो मजदूरी प्रसामान्यतया कर्मकार को दी जाती है, प्रस्थापना उस अनुकल्पी नियोजन के लिए भी की गई हो ;

(ii) यदि वह नियत समय पर स्थापन में काम के लिए प्रसामान्य काम-घंटों के दौरान दिन में कम से कम एक बार स्वयं उपस्थित नहीं होता है ;

(iii) यदि ऐसी कामबंदी उस स्थापन के किसी दूसरे भाग में कर्मकारों द्वारा हड़ताल किए जाने या उत्पादन-गति मन्द किए जाने के कारण की गई हो ।

कर्मकारों की छंटनी के लिए पुरोभाव्य शर्तें ।

70. किसी उद्योग में नियोजित किसी भी कर्मकार की, जो नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष के लिए निरन्तर सेवा में रह चुका है, उस नियोजक द्वारा तब के सिवाय छंटनी नहीं की जाएगी, जबकि—

(क) कर्मकार को एक मास की ऐसी लिखित सूचना दे दी गई हो जिसमें छंटनी के कारण उपदर्शित किए गए हों और सूचना की कालावधि का अवसान हो गया हो या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी का संदाय किया गया हो ;

(ख) कर्मकार को छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर का संदाय किया गया हो, जो निरन्तर सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए या छह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए पंद्रह दिन के औसत वेतन के समतुल्य या ऐसे दिनों का औसत वेतन होगा, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ; और

(ग) ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सूचना की तामील समुचित सरकार पर या ऐसे प्राधिकारी पर, जो अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कर दी गई हो ।

छंटनी के लिए प्रक्रिया ।

71. जहां, किसी औद्योगिक स्थापन में किसी ऐसे कर्मकार की, जो भारत का नागरिक है, छंटनी की जानी हो और वह उस स्थापन के कर्मकारों के किसी विशिष्ट प्रवर्ग का हो, वहां नियोजक ऐसे कारणों से, जब तक कारण अभिलिखित न किए जाएं, किसी अन्य कर्मकार की छंटनी करता है, तब नियोजक और कर्मकार के बीच इस निमित्त हुए किसी करार के अभाव में, नियोजक, साधारणतया उस कर्मकार की छंटनी करेगा, जो उस प्रवर्ग में नियोजित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति हो ।

छंटनी किए गए कर्मकार का पुन:नियोजन ।

72. जहां, किसी कर्मकार की छंटनी की जाती है और नियोजक, ऐसी छंटनी से एक वर्ष के भीतर किसी व्यक्ति को अपने नियोजन में रखने की प्रस्थापना करता है, वहां वह उन छंटनी किए गए कर्मकारों को, जो भारत के नागरिक हैं, ऐसी रीति से, जो विहित किया जाए, यह अवसर देगा कि पुन:नियोजन के लिए स्वयं को प्रस्थापित करें और छंटनी किए गए उन कर्मकारों को, जो पुन:नियोजन के लिए स्वयं को प्रस्थापित करते हैं, अन्य व्यक्तियों पर अधिमान मिलेगा ।

स्थापन के अंतरण की दशा में कर्मकारों को प्रतिकर ।

73. जहां किसी स्थापन के स्वामित्व या प्रबंध, चाहे करार द्वारा या विधि के प्रवर्तन द्वारा उस स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक से किसी नए नियोजक को अंतरित किया जाता है, वहां प्रत्येक कर्मकार, जो ऐसे अंतरण से ठीक पहले उस स्थापन में कम से कम एक वर्ष के लिए निरन्तर सेवा में रह चुका है, धारा 70 के उपबंधों के अनुसार सूचना और प्रतिकर का वैसे ही हकदार होगा मानो उस कर्मकार की छंटनी की गई हो :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात, उस दशा में किसी कर्मकार को लागू नहीं होगी, जहां अंतरण के कारण नियोजकों में कोई परिवर्तन हुआ हो, यदि—

(क) ऐसे अंतरण द्वारा कर्मकार की सेवा में व्यवधान पैदा न हुआ हो ;

(ख) ऐसे अन्तरण के पश्चात्, कर्मकार को लागू सेवा की निबन्धन और शर्तें कर्मकार के लिए किसी भी प्रकार उन निबन्धनों और शर्तों से कम अनुकूल न हों जो अन्तरण से ठीक पहले उसे लागू थीं ; और

(ग) नया नियोजक, ऐसे अंतरण के निबंधनों के अधीन या अन्यथा, कर्मकार को, उसकी छंटनी की दशा में, इस आधार पर कि उसकी सेवा निरन्तर रही है और अंतरण द्वारा उसमें व्यवधान पैदा नहीं हुआ है, प्रतिकर देने के लिए वैध रूप से दायी है ।

किसी उपक्रम को बंद करने के आशय की साठ दिन की सूचना का दिया जाना ।

74. (1) कोई नियोजक, जो किसी उपक्रम को, बंद करने का आशय रखता है, उस तारीख के, जिसको आशयित बंदी प्रभावी होनी है, कम से कम साठ दिन पूर्व, समुचित सरकार को उपक्रम के आशयित बंदी के कारणों का स्पष्ट रूप से कथन करते हुए, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सूचना देगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात—

(i) ऐसे औद्योगिक स्थापन को लागू नहीं होगी, जिसमें पचास से कम कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन नियोजित किए गए थे ;

(ii) ऐसे औद्योगिक स्थापन को लागू नहीं होगी, जो भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों के निर्माण के लिए या अन्य निर्माण कार्य या परियोजना के लिए स्थापित किया गया हो ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किन्हीं ऐसी असाधारण परिस्थितियों के कारण, जैसे कि उपक्रम में कोई दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या किसी असाधारण परिस्थिति, जैसे प्राकृतिक आपदाएं या ऐसे ही किसी अन्य कारण से, ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) के उपबंध ऐसे उपक्रम के संबंध में, ऐसी अवधि के लिए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे ।

उपक्रमों को बंद किए जाने की दशा में कर्मकारों को प्रतिकर ।

75. (1) जहां कि कोई स्थापन किसी भी कारण से, चाहे जो भी हो, बंद कर दिया जाता है, वहां प्रत्येक कर्मकार, जो ऐसी बंदी से ठीक पहले उस उपक्रम में कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा में रह चुका है, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 70 के उपबंधों के अनुसार, सूचना और प्रतिकर का वैसे ही हकदार होगा, मानो उस कर्मकार की छंटनी की गई हो :

परन्तु जहां उपक्रम, नियोजक के नियंत्रण के परे की अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बंद किया गया है, वहां धारा 70 के खंड (ख) के अधीन कर्मकार को संदेय प्रतिकर तीन मास के उसके औसत वेतन से अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के बारे में, जो केवल—

(i) वितीय कठिनाइयों के कारण (जिनके अंतर्गत वित्तीय हानियां भी हैं) ; या

(ii) अव्ययनित स्टाक के संचयन के कारण ; या

(iii) उसे अनुदत्त पट्टे या अनुज्ञप्ति की अवधि के अवसान के कारण ; या

(iv) उस दशा में, जहां उपक्रम खनन संक्रियाओं में लगा हो, उस क्षेत्र में खनिजों के नि:शेषण के कारण, जिसमें ऐसी संक्रिया की गई हो,

बंद किया गया है, वहां यह नहीं समझा जाएगा कि वह इस उपधारा के परन्तुक के अर्थ के अन्तर्गत नियोजक के नियंत्रण से परे की अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बंद किया गया है ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां खनन संक्रियाओं में लगा हुआ कोई उपक्रम उस क्षेत्र में, जिसमें ऐसी संक्रियाएं की जा रही हों, केवल खनिजों के

नि:शेषण के कारण बंद किया गया है, वहां उस उपधारा में निर्दिष्ट कोई कर्मकार, धारा 70 के उपबंधों के अनुसार, किसी सूचना या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, यदि—

(क) बंद होने की तारीख से नियोजक, कर्मकार को ऐसे स्थान पर, जो खनन संक्रिया में लगे ऐसे उपक्रम, जिसे बंद कर दिया गया है, से बीस किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर अवस्थित है, उसी पारिश्रमिक पर, जिसे वह प्राप्त करने का हकदार था तथा सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, जो बंद होने के ठीक पूर्व उसे लागू थीं, अनुकल्पी नियोजन की व्यवस्था करता है ;

(ख) ऐसे अनुकल्पी नियोजन से कर्मकार की सेवा में व्यवधान पैदा न हुआ हो ; और

(ग) नियोजक कर्मकार को, उसकी छंटनी की दशा में, इस आधार पर कि उसकी सेवा निरन्तर चलती रही है और ऐसे अनुकल्पी नियोजन द्वारा विच्छिन्न नहीं हुई है, ऐसे अनुकल्पी नियोजन के निबंधनों के अधीन या अन्यथा प्रतिकर के संदाय के लिए वैध रूप से दायी हो ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, "खनिज" और "खनन संक्रिया" पदों के वे ही अर्थ होंगे जो खान और खनिज (विकास और विनियमन)
1957 का 67 अधिनियम, 1957 की धारा 3 के खंड (क) और खंड (घ) में क्रमश: उनके हैं ।

(4) जहां भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों या बांधों के निर्माण के लिए या अन्य निर्माण कार्यों के लिए स्थापित कोई उपक्रम काम के पूरे होने के कारण उस तारीख से, जिसको वह उपक्रम स्थापित किया गया था, दो वर्ष के भीतर बंद कर दिया जाता है, वहां उसमें नियोजित कोई भी कर्मकार, धारा 70 के खंड (ख) के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, किन्तु यदि वह निर्माण कार्य इस प्रकार दो वर्ष के भीतर पूरा नहीं होता है, तो वह कर्मकार निरन्तर सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए या छह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए उस धारा के अधीन सूचना और प्रतिकर का हकदार होगा ।

इस अध्याय से असंगत विधियों का प्रभाव ।

76. (1) इस अध्याय के उपबंध किसी अन्य विधि में, जिसके अंतर्गत अध्याय 4 के अधीन किए गए स्थायी आदेश भी हैं, इससे असंगत कोई बात होते हुए भी, प्रभावी होंगे :

परन्तु जहां किसी अन्य अधिनियम या उसके अधीन जारी किए गए नियमों, आदेशों या अधिसूचनाओं के उपबंधों के अधीन या किन्हीं स्थायी आदेशों या किसी अधिनिर्णय या संविदा या सेवा के अधीन या अन्यथा, कोई कर्मकार किसी ऐसे विषय के संबंध में ऐसे फायदों का हकदार है, जो उसके लिए उन फायदों से, जिनका वह इस संहिता के अधीन हकदार होगा, अधिक अनुकूल है वहां, कर्मकार, इस बात के होते हुए भी कि वह इस अध्याय के अधीन अन्य विषयों के संबंध में फायदा प्राप्त करता है, उस विषय के संबंध में अधिक अनुकूल फायदों का हकदार बना रहेगा ।

(2) शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस अध्याय की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य में किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर, वहां तक जहां तक कि वह विधि औद्योगिक विवादों के समझौते का उपबंध करती है, प्रभाव डालती है, किन्तु नियोजकों और कर्मकारों के अधिकार और दायित्व, वहां तक जहां तक कि उनका संबंध कामबंदी और छंटनी से है, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे ।

अध्याय 10

कतिपय स्थापनों में कामबंदी, छंटनी और उनके बंद किए जाने के संबंध में विशेष उपबंध

इस अध्याय का लागू होना ।

77. (1) इस अध्याय के उपबंध, ऐसे औद्योगिक स्थापन को, (जो समय विशेष का नहीं है या ऐसा स्थापन नहीं है, जिसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है) लागू होंगे, जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में औसत प्रति कार्य दिवस में कम से कम तीन सौ कर्मकार या ऐसी उच्चतर संख्या में कर्मकार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, नियोजित थे ।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई औद्योगिक स्थापन किसी समय विशेष का है या क्या उसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "औद्योगिक स्थापन" से अभिप्रेत है—

(i) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ड) में यथापरिभाषित कोई कारखाना ; 1948 का 63

(ii) खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में यथापरिभाषित कोई खान ; या 1952 का 35

(iii) बागान श्रम अधिनियम, 1951 की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित कोई बागान । 1951 का 69

कामबंदी का प्रतिषेध ।

78. (1) कोई कर्मकार (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न), जिसका नाम ऐसे औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है, जिसको यह अध्याय लागू होता है, समुचित सरकार पूर्व अनुज्ञा के बिना उसके नियोजक द्वारा कामबंदी, जो इस निमित्त किए गए आवेदन पर प्राप्त की गई हो, तभी की जाएगी, जब कि ऐसी कामबंदी विद्युत की कमी, प्राकृतिक आपदा और किसी खान की दशा में, ऐसी कामबंदी अग्नि, बाढ़, ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोटक के कारण की गई हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन नियोजक द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा ऐसी विहित रीति से आशयित कामबंदी के लिए स्पष्ट रूप से कारण बताते हुए किया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संबंधित कर्मकारों पर भी साथ-साथ तामील की जाएगी ।

(3) जहां किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के, जो खान हैं, कर्मकारों की (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न) उपधारा (1) के अधीन अग्नि, बाढ़, या ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोटक के कारण कामबंदी कर दी गई है, वहां नियोजक, ऐसे स्थापन के संबंध में ऐसी कामबंदी के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, समुचित सरकार को कामबंदी जारी रखने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा ।

(4) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है, वहां समुचित सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे और नियोजक, संबंधित कर्मकार तथा ऐसी कामबंदी में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का

युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसी कामबंदी के कारणों की वास्तविकता और पर्याप्तता को, कर्मकारों के हितों और सभी अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी अनुज्ञा दे सकेगी या देने से इंकार कर सकेगी और ऐसे आदेश की एक प्रति नियोजक और कर्मकारों को दी जाएगी ।

(5) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है और समुचित सरकार, ऐसी तारीख से, जिसको ऐसा आवेदन किया गया है, साठ दिन की कालावधि के भीतर नियोजक को अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने वाले आदेश को संसूचित नहीं करता है, वहां, वह अनुज्ञा, जिसके लिए आवेदन किया गया है, उक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी और आवेदन तदनुसार, समुचित सरकार द्वारा निपटाया हुआ समझा जाएगा ।

(6) समुचित सरकार का अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला आदेश, उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा और संबंधित सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा तथा ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त बना रहेगा ।

(7) समुचित सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोजक अथवा किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले अपने आदेश का, उस तारीख से जिसको ऐसा आदेश किया जाता है विहित समय के भीतर पुनर्विलोकन कर सकेगा या इस विषय को न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को, यथास्थिति, निर्दिष्ट कर सकेगा या करा सकेगा:

परन्तु जहां इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश किसी अधिकरण को किया गया है, वहां वह ऐसे निर्देश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा ।

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं किया गया है या जहां उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है या जहां किसी कामबंदी के लिए अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया गया है, वहां ऐसी कामबंदी को, उस तारीख से, जिसको कर्मकारों की कामबंदी की गई थी, अवैध समझा जाएगा और कर्मकार, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों के ऐसे हकदार होंगे मानो उनकी कामबंदी नहीं की गई थी ।

(9) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों जैसे स्थापन में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या वैसी ही अन्य परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) के उपबंध ऐसे स्थापन के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे ।

(10) धारा 67 के उपबंध (उसके द्वितीय परन्तुक से भिन्न) इस धारा में निर्दिष्ट कामबंदी के मामलों में लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मकार की कामबंदी उस दशा में की गई नहीं समझी जाएगी, जिसमें ऐसा नियोजक उस कर्मकार को कोई अनुकल्पी नियोजन (जिसके लिए नियोजक की राय में कोई विशेष कौशल या

पूर्व अनुभव की मांग नहीं है और जो कर्मकार द्वारा किया जा सकता है) की प्रस्थापना करता है, जो उसी स्थापन में, जिसमें उसकी कामबंदी की गई है या उसी नियोजक के किसी ऐसे अन्य स्थापन में, जो उसी नगर या ग्राम में स्थित है या जो उस स्थापन से, जिसमें वह कर्मकार है, इतनी दूरी के भीतर स्थित है कि उस कर्मकार के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके स्थानांतरण से उसे असम्यक् कष्ट नहीं होगा, यह कि तब जब कि कर्मकार को सामान्यत: जितनी मजदूरी संदत्त की जाती है, उतनी ही मजदूरी उसे अनुकल्पी नियुक्ति के लिए भी दी जाए ।

कर्मकारों की छंटनी के लिए पुरोभाव्य शर्तें, जिनको अध्याय 10 लागू होता है ।

79. (1) किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन में, नियोजित किसी कर्मकार को, जिसे यह अध्याय लागू होता है, जो किसी नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा में रह चुका है, उस नियोजक द्वारा छंटनी तभी की जाएगी, जब कि,—

(क) कर्मकार को छंटनी के कारणों को उपदर्शित करते हुए लिखित में तीन मास की ऐसी सूचना दे दी गई है और सूचना की कालावधि का अवसान हो गया हो या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की अवधि के लिए मजदूरी का संदाय कर दिया गया हो ; और

(ख) इस निमित्त किए गए आवेदन पर समुचित सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन नियोजक द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा विहित रीति से आशयित छंटनी के लिए स्पष्ट रूप से कारण बताते हुए किया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संबंधित कर्मकारों पर साथ-साथ तामील की जाएगी ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है, वहां समुचित सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे और नियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, संबंधित कर्मकार और ऐसी छंटनी में हितबद्ध व्यक्तियों को नियोजक द्वारा कथित कारणों की वास्तविकता और पर्याप्तता को कर्मकारों के हितों और सभी अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए, ऐसी अनुज्ञा दे सकेगा या देने से इंकार कर सकेगा तथा ऐसे आदेश की एक प्रति नियोजक और कर्मकारों को दी जाएगी ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है और समुचित सरकार, नियोजक को ऐसी तारीख से, जिसको ऐसा आवेदन किया गया है, साठ दिन की कालावधि के भीतर अनुज्ञा देने वाले या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले आदेश को संसूचित नहीं करता है, वहां वह अनुज्ञा, जिसके लिए आवेदन किया गया है, उक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी और आवेदन, समुचित सरकार द्वारा तदनुसार निपटाया हुआ समझा जाएगा ।

(5) समुचित सरकार का अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला कोई आदेश, उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा और सभी संबंधित पक्षकारों पर आबद्धकर होगा तथा ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त बना रहेगा ।

(6) समुचित सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने वाले अपने आदेश का, उस तारीख से जिसको ऐसा आदेश किया जाता है विहित समय के भीतर पुनर्विलोकन कर सकेगा या इस विषय को न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को, यथास्थिति, निर्दिष्ट कर सकेगा या करा सकेगा :

परन्तु जहां इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश किसी अधिकरण को किया गया है, वहां वह ऐसे निर्देश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा ।

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है या जहां किसी छंटनी के लिए अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया गया है, वहां ऐसी छंटनी को, ऐसी तारीख से, जिसको कर्मकारों को छंटनी की सूचना दी गई थी, अवैध समझा जाएगा और कर्मकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों का ऐसे हकदार होगा मानो उसे कोई सूचना नहीं दी गई थी ।

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों, जैसे स्थापन में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों के कारण, ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उपधारा (1) के उपबंध ऐसे स्थापन के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे ।

(9) जहां उपधारा (3) के अधीन छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई है या जहां उपधारा (4) के अधीन छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाती है, वहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए किए गए आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व उस स्थापन में नियोजित प्रत्येक कर्मकार, छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा जो निरंतर सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष या उसके ऐसे किसी भाग के लिए, जो छह मास से अधिक हो, पन्द्रह दिन के औसत वेतन या ऐसे दिनों के औसत वेतन, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, के बराबर होगा ।

औद्योगिक स्थापन बंद किए जाने की प्रक्रिया ।

80. (1) कोई नियोजक, जो किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के, किसी उपक्रम को बंद करने का आशय रखता है, जिसे यह अध्याय लागू होता है, इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा उस रीति में, जो विहित की जाए, उपक्रम की आशयित बन्दी के कारणों का स्पष्टतया कथन करते हुए, समुचित सरकार को उस तारीख से, जिसको आशयित बंदी प्रभावी होनी है, कम से कम नब्बे दिन पहले, पूर्व अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा और साथ-साथ ऐसे आवेदन की एक प्रति ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कर्मकारों के प्रतिनिधियों को भी तामील की जाएगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात, किसी ऐसे उपक्रम को लागू नहीं होगी जिसे भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए स्थापित किया गया हो ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है, वहां समुचित सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे और नियोजक, कर्मकार तथा ऐसे बंद किए जाने में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्,

नियोजक द्वारा कथित कारणों की वास्तविकता और पर्याप्तता, जनसाधारण के हितों और अन्य सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और ऐसे कारणों सहित, जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी अनुज्ञा दे सकेगी या अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगी और ऐसे आदेश की एक प्रतिलिपि नियोजक और कर्मकारों को दी जाएगी ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया गया है और समुचित सरकार उस तारीख से, जिसको ऐसा आवेदन किया गया है, साठ दिन की कालावधि के भीतर नियोजक को अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने की सूचना नहीं देती है, वहां ऐसी अनुज्ञा, जिसके लिए आवेदन किया गया है, उक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी और आवेदन, समुचित सरकार द्वारा तदनुसार, निपटाया हुआ समझा जाएगा ।

(4) समुचित सरकार का अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला कोई आदेश, उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा और वह सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा तथा ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष तक प्रवृत्त बना रहेगा ।

(5) समुचित सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले अपने आदेश का, उस तारीख से जिसको ऐसा आदेश किया जाता है विहित समय के भीतर पुनर्विलोकन कर सकेगी या मामले को न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु जहां इस उपधारा के अधीन अधिकरण को निर्देश किया गया है, वहां वह ऐसे निर्देश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर, अधिनिर्णय पारित करेगा ।

(6) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन, उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं किया गया है या जहां उपक्रम बंद करने के लिए अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया गया है, वहां उपक्रम बंद करने की तारीख से उसका बंद किया जाना अवैध समझा जाएगा और कर्मकार, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों के हकदार होंगे मानो उपक्रम बंद ही नहीं किया गया था ।

(7) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि आसाधारण परिस्थितियों के कारण जैसे कि उपक्रम में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या इसी प्रकार की परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी की कि उपधारा (1) के उपबंध ऐसे उपक्रम के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे ।

(8) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी उपक्रम को बंद कर दिए जाने के लिए अनुज्ञा दी जाती है या जहां उपधारा (3) के अधीन बंद कर दिए जाने के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाती है, वहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन की तारीख के ठीक पूर्व उस उपक्रम में नियोजित प्रत्येक कर्मकार प्रतिकर पाने का हकदार होगा, जो निरंतर सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष या छह मास से अधिक उसके किसी भाग के लिए पन्द्रह दिन के औसत वेतन या ऐसे दिनों के औसत वेतन, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, के बराबर है ।

81. इस बात के होते हुए भी कि किसी औद्योगिक स्थापन में कर्मकारों की कामबंदी की गई है, प्रत्येक नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए एक मस्टर रोल रखे और उसमें ऐसे कर्मकारों द्वारा प्रविष्टियां किए जाने का उपबंध करे, जो नियत समय पर प्रसामान्य काम-घंटों के दौरान स्थापन में काम करने के लिए स्वयं उपस्थित हों । कर्मकारों के मस्टर रोल रखने का नियोजक का कर्तव्य ।

82. अध्याय 9 की धारा 66, धारा 71, धारा 72, धारा 73 और धारा 76 के उपबंध, किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के संबंध में भी, जिसे इस अध्याय के उपबंध लागू होते हैं, यथाशक्य लागू होंगे । ऐसे औद्योगिक स्थापन को जिसे यह अध्याय लागू होता है, अध्याय 9 के कतिपय उपबंधों का लागू होना ।

अध्याय 11

कर्मकार पुन:कौशल निधि

83. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा कर्मकार पुन:कौशल निधि (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "निधि" कहा गया है) नामक एक निधि को स्थापित करेगी । कर्मकार पुन:कौशल निधि ।

(2) यह निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

(क) किसी औद्योगिक स्थापन के नियोजक का ऐसा अभिदाय, जो छंटनी से ठीक पूर्व कर्मकार द्वारा आहरित अंतिम मजदूरी के पंद्रह दिन या केवल छंटनी के मामले में प्रत्येक छंटनी किए गए कर्मकार के लिए ऐसे अन्य दिनों की संख्या जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के बराबर कोई रकम ;

(ख) ऐसे अन्य स्रोतों से अभिदाय, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(3) इस निधि का उपयोग, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऐसी छंटनी के पैंतालीस दिन के भीतर छंटनी किए गए कर्मकार के द्वारा अपने खाते में आहरित अंतिम मजदूरी के पन्द्रह दिनों की मजदूरी जमा करके की जाएगी ।

अध्याय 12

अनुचित श्रम व्यवहार

84. कोई नियोजक या कर्मकार या व्यवसाय संघ, चाहे इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अनुचित श्रम व्यवहार नहीं करेगा । अनुचित श्रम व्यवहार पर प्रतिषेध ।

अध्याय 13

अपराध और शास्तियां

85. (1) धारा 84 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 86 की उपधारा (3), उपधारा (5), उपधारा (7), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10), उपधारा (11) और उपधारा (20) तथा धारा 89 की उपधारा (7) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार, यथास्थिति, किसी ऐसे अधिकारी को, जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य सरकार में समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी को, ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगी । कतिपय मामलों में समुचित सरकार के अधिकारियों की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट अधिकारी को, जांच करते समय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, जो ऐसे अधिकारी की राय में, जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी हो या उससे सुसंगत हो, समन करने और हाजिर कराने की शक्ति होगी, और यदि ऐसी जांच करने पर उसका समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन कोई अपराध किया है, वह ऐसी शास्ति, जो वह ऐसे उपबंधों के अनुसार उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा ।

(3) जहां कोई व्यक्ति, आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उपधारा (2) में निर्दिष्ट शास्ति का संदाय करने में असफल रहता है, वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

शास्तियां ।

86. (1) कोई नियोजक, जो धारा 78 या धारा 79 या धारा 80 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) कोई नियोजक, जो धारा 78 या धारा 79 या धारा 80 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात्, धारा 78 या धारा 79 या धारा 80 के अधीन पुन: उसी अपराध को करता है, तो वह दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो बीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(3) कोई नियोजक, जो धारा 67 या धारा 70 या धारा 73 या धारा 75 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(4) कोई नियोजक, जो धारा 67 या धारा 70 या धारा 73 या धारा 75 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात्, धारा 67 या धारा 70 या धारा 73 या धारा 75 के अधीन पुन: उसी अपराध को करता है, तो वह दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(5) कोई व्यक्ति, जो दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट कोई अनुचित श्रम व्यवहार करता है, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(6) कोई व्यक्ति, जो किसी अनुचित श्रम व्यवहार के लिए दोषसिद्धि के पश्चात्, पुन: उसी अपराध को करता है, तो वह दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(7) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की ओर से इस संहिता द्वारा या इसके किन्हीं उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित कोई सूचना देने या कोई विवरण या अन्य दस्तावेज भेजने में व्यतिक्रम किया जाता है, तो प्रत्येक पदाधिकारी, या उसे देने या

भेजने के लिए व्यवसाय संघ के नियमों द्वारा आबद्ध अन्य व्यक्ति, या यदि ऐसा कोई पदाधिकारी या व्यक्ति नहीं है, तो व्यवसाय संघ की कार्यकारिणी का प्रत्येक सदस्य जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और किसी निरंतर व्यतिक्रम की दशा में, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, पचास रुपए प्रति दिन की अतिरिक्त शास्ति से दंडनीय होगा ।

(8) कोई व्यक्ति, जो धारा 26 द्वारा या उस धारा के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गए नियमों या नियमों के परिवर्तन की किसी प्रति में या उससे अपेक्षित साधारण विवरण में जानबूझकर कोई असत्य प्रविष्टि करता है या करवाता है अथवा कोई लोप करता है या करवाता है, तो जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(9) कोई भी व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के किसी भी सदस्य को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे व्यवसाय संघ का सदस्य होने का आशय रखता है या होने के लिए आवेदन करता है, कोई ऐसा दस्तावेज प्रवंचन करने के आशय से देता है, जिसका व्यवसाय संघ के नियमों की या उनमें किए गए किन्हीं परिवर्तनों जिसके बारे में वह जानता है, की प्रति होना तात्पर्यित है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे नियमों या परिवर्तनों की शुद्ध प्रति नहीं है, जो तत्समय प्रवृत्त हैं, या कोई भी व्यक्ति, जो वैसे ही आशय से, किसी व्यक्ति को किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के किन्हीं नियमों की प्रति इस बहाने से देता है कि ऐसे नियम रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नियम हैं, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(10) कोई नियोजक, जो धारा 30 की अपेक्षानुसार स्थायी आदेशों का प्रारूप प्रस्तुत करने में असफल रहता है या जो अपने स्थायी आदेशों को धारा 35 के अनुसार उपांतरित न करने अन्यथा उपांतरित करता है, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, और चालू रहने वासे अपराध की दशा में, जब तक अपराध चालू रहता है, तब तक दो हजार रुपए का प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

(11) कोई नियोजक, जो इस संहिता के अधीन अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेशों के उल्लंघन में कोई कार्य करता है, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(12) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (11) के अधीन दोषसिद्धि के पश्चात् पुन: उसी अपराध को करता है तो वह दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध करने के लिए जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो चार लाख रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(13) कोई कर्मकार, जो किसी ऐसी हड़ताल, जो इस संहिता के अधीन अवैध है, प्रारंभ करता है, चालू रखता है या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कार्य करता है, जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(14) कोई नियोजक, जो ऐसी किसी तालाबंदी, जो इस संहिता के अधीन अवैध है, प्रारंभ करता है, चालू रखता है या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कार्य करता है, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

(15) कोई व्यक्ति, जो ऐसी किसी हड़ताल या तालाबंदी में, जो इस संहिता के अधीन अवैध है, भाग लेने के लिए दूसरों को उकसाता है या उदीप्त करता है या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कार्य करता है, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(16) कोई व्यक्ति, जो किसी अवैध हड़ताल या तालाबंदी को प्रत्यक्षत: अग्रसर करने में या उसके समर्थन में जानते हुए किसी धन का व्यय या उपयोजन करता है, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(17) कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे समझौते या अधिनिर्णय के, जो इस संहिता के अधीन उस पर आबद्धकर हो, किसी निबंधन का भंग करता है, जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(18) जहां उपधारा (17) के अधीन कोई भंग जारी रहने वाला भंग है, वहां अपराधी किसी ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात्, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, अपराधी पर जुर्माना करता है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि उससे प्राप्त कुल जुर्माना या उसका कोई भाग, ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी राय में ऐसे भंग से प्रभावित हुआ है, प्रतिकर के रूप में संदत्त किया जाएगा ।

(19) कोई व्यक्ति, जो धारा 61 में निर्दिष्ट किसी ऐसी जानकारी को उस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में जानबूझकर प्रकट करता है, तो व्यवसाय संघ या व्यष्टिक कारबार द्वारा, जिस पर प्रभाव पड़ा हो, उसकी ओर से, किए गए परिवाद पर, जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(20) कोई व्यक्ति, जो इस संहिता के किसी ऐसे अन्य उपबंध का उल्लंघन करता है और जो उपधारा (1) से उपधारा (19) के अधीन या इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन नहीं आता है, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

अपराधों का संज्ञान ।

87. (1) कोई भी न्यायालय इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, समुचित सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किए गए परिवाद पर ही लेगा अन्यथा नहीं ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय इस संहिता के अधीन अपराधों का विचारण नहीं करेगा । 1974 का 2

88. (1) इस संहिता के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति यदि कोई कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध करने के समय और कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही कंपनी को, अपराध का दोषी होना समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा : कंपनियों द्वारा अपराध ।

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस संहिता के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(i) कोई फर्म ; या

2009 का 6 (ii) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सीमित दायित्व भागीदारी ; या

(iii) व्यष्टियों का अन्य संगम ; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है ।

1974 का 2 **89.** (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस संहिता के अधीन दंडनीय कोई अपराध, जो कारावास से ही या कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय अपराध नहीं है, अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन किए जाने पर, किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने से पूर्व या उसके पश्चात्, किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा शमन किया जा सकेगा, जो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, केवल जुर्माने से दंडनीय ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत की राशि के लिए और उस अवधि के कारावास से जो एक वर्ष से अधिक नहीं है या जुर्माने से, दंडनीय ऐसे अपराध के लिए उपबंधित पचहत्तर प्रतिशत की राशि के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विनिर्दिष्ट : अपराधों का शमन ।

परन्तु शमन की ऐसी रकम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 141 के अधीन स्थापित सामाजिक सुरक्षा निधि में जमा की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी बार किए गए

या तत्पश्चात् निम्नलिखित की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किए गए किसी अपराध को लागू नहीं होगी—

(क) जो वैसे ही अपराध के किए जाने के लिए, जिसका पहले शमन किया गया था ;

(ख) जो वैसे ही अपराध के किए जाने के लिए, जिसके लिए व्यक्ति पहले से ही दोषसिद्ध ठहराया गया था ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी समुचित सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, किसी अपराध का शमन करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(4) किसी अपराध का शमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(5) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन को संस्थित करने से पूर्व किया जाता है, वहां ऐसे अपराध के संबंध में ऐसे अपराधी के विरुद्ध, जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया जाता है, कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा ।

(6) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाता है, वहां ऐसा शमन उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लिखित रूप में धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त उस न्यायनिर्णयन अधिकारी के ध्यान में लाया जाएगा, जिसके समक्ष अभियोजन लंबित है और अपराध के शमन का ऐसा नोटिस दिए जाने पर, उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार शमन किया जाता है, उन्मोचन किया जाएगा ।

(7) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश का पालन करने में असफल रहता है, ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त, अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के समतुल्य रकम का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(8) इस संहिता के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन इस धारा के उपबंधों के अधीन और उसके अनुसार ही किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

अध्याय 14

प्रकीर्ण

कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान कतिपय परिस्थितियों में सेवा की शर्तों, आदि का अपरिवर्तित रहना ।

90. (1) जहां धारा 40 के अधीन किसी नियोजक द्वारा जारी परिवर्तन की सूचना के अंतर्गत न आने वाले मामलों के संबंध में, किसी स्थापन या उपक्रम से संबंधित कोई औद्योगिक विवाद, यथास्थिति, किसी सुलह अधिकारी या मध्यस्थ या अधिकरण या किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष पहले से ही लंबित है, वहां कोई नियोजक, ऐसे प्राधिकारी, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, की लिखित में स्पष्ट अनुज्ञा के बिना,—

(क) ऐसे विवाद से संबंधित किसी मामले के संबंध में, ऐसे विवाद में संबंधित कर्मकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए उनको लागू सेवा की शर्तों को ऐसी कार्यवाहियों के प्रारंभ से ठीक पूर्व परिवर्तित नहीं करेगा ; या

(ख) इस विवाद से संबंधित किसी कदाचार के लिए, ऐसे विवाद में संबंधित किसी कर्मकार को चाहे पदच्युति या अन्यथा द्वारा उन्मोचित या दंडित नहीं करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में किसी ऐसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, नियोजक ऐसे विवाद में संबंधित कर्मकार को लागू स्थायी आदेशों के अनुसार या जहां ऐसे स्थायी आदेश नहीं है, वहां उसके और कर्मकार के मध्य हुई संविदा के निबंधनों के अनुसार, चाहे वह अभिव्यक्त या विवक्षित हो—

(क) विवाद से असंबद्ध किसी मामले के संबंध में ऐसी कार्यवाही के प्रारंभ से ठीक पहले उस कर्मकार को लागू सेवा की शर्तों को परिवर्तित कर सकेगा ; या

(ख) विवाद से असम्बद्ध किसी कदाचार के लिए उस कर्मकार को चाहे पदच्युति द्वारा या अन्यथा उन्मोचित या दंडित कर सकेगा :

परन्तु ऐसे किसी भी कर्मकार को तब तक उन्मोचित या पदच्युत नहीं किया जाएगा, जब तक उसको एक मास की मजदूरी का संदाय नहीं कर दिया जाता है और नियोजक द्वारा प्राधिकारी को, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, नियोजक द्वारा की गई कार्यवाही के अनुमोदन के लिए आवेदन न कर दिया हो ।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई नियोजक, किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उस प्राधिकारी, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, की लिखित में स्पष्ट अनुज्ञा के बिना, ऐसे विवाद में संबंधित किसी संरक्षित कर्मकार के विरुद्ध, जो—

(क) ऐसी कार्यवाही के प्रारंभ से ठीक पूर्व उसको लागू सेवा की शर्तों को, ऐसे संरक्षित कर्मकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए परिवर्तित करके ; या

(ख) ऐसे संरक्षित कर्मकार को, चाहे पदच्युति या अन्यथा द्वारा उन्मोचित या दंडित करके कोई कार्यवाही नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी स्थापन के संबंध में "संरक्षित कर्मकार" से ऐसा कर्मकार अभिप्रेत है जिसे, उस स्थापन से संसक्त रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का कोई सदस्य या अन्य पदाधिकारी होते हुए, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार उस रूप में मान्यताप्राप्त है ।

(4) प्रत्येक स्थापन में, ऐसे कर्मकारों की संख्या जिन्हें उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यताप्राप्त किया जाना है उसमें नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या का एक प्रतिशत होगी, जो संरक्षित कर्मकारों की संख्या कम से कम पांच और संरक्षित कर्मकारों की अधिक से अधिक एक सौ के अध्यधीन होगी और पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए, समुचित सरकार स्थापन से संसक्त विभिन्न व्यवसाय संघों के, यदि कोई हो, बीच ऐसे संरक्षित कर्मकारों के वितरण के लिए और ऐसी रीति के लिए, जिसमें कर्मकार संरक्षित कर्मकारों के रूप में चुने जा सकेंगे और उन्हें मान्यता दी जा सकेगी, उपबंध करने वाले नियम बना सकेगी ।

(5) जहां कहीं कोई नियोजक उसके द्वारा की गई कार्रवाई के अनुमोदन के लिए उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन, यथास्थिति, सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को आवेदन करता है, वहां संबद्ध प्राधिकारी, अविलंब ऐसे

आवेदन पर सुनवाई करेगा और उसके संबंध में ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे :

परन्तु जहां ऐसा कोई प्राधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, वहां वह ऐसे कारणों के लिए जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी कालावधि को, ऐसी अतिरिक्त कालावधि के लिए, जो वह उचित समझे, विस्तारित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही केवल इस आधार पर व्यपगत नहीं होगी कि इस उपधारा में विनिर्दिष्ट कोई कालावधि, ऐसी कार्यवाहियों के पूरा किए बिना ही समाप्त हो गई थी ।

न्यायनिर्णयन के लिए विशेष उपबंध कि इस बारे में कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान सेवा की शर्तें, आदि में परिवर्तन हुआ है या नहीं ।

91. जहां कोई नियोजक, यथास्थिति, सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान धारा 90 के उपबंधों का उल्लंघन करता है वहां ऐसे उल्लंघन से व्यथित कोई कर्मचारी लिखित में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,—

(क) ऐसे सुलह अधिकारी को परिवाद कर सकेगा, और सुलह अधिकारी ऐसे औद्योगिक विवाद में मध्यस्थता करते हुए उसके समझौता को संप्रवर्तित करने के लिए परिवाद पर विचार करेगा ; और

(ख) ऐसे मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को परिवाद कर सकेगा और ऐसे परिवाद की प्राप्ति पर, यथास्थिति, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण परिवाद पर ऐसे न्यायनिर्णयन करेगा मानो वह परिवाद इस संहिता के उपबंधों के अनुसार, निर्देशित या उसके समक्ष लंबित विवाद हो और अपने या इसके अधिनिर्णय को समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा और इस संहिता के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

कतिपय कार्यवाहियों को अंतरित करने की शक्ति ।

92. (1) समुचित सरकार, इस संहिता के अधीन किसी अधिकरण के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही को लिखित में आदेश द्वारा और उन कारणों के लिए जो उसमें लेखबद्ध किए जाएं वापस ले सकेगी और कार्यवाही के निपटाने के लिए, उसे, यथास्थिति, किसी अन्य अधिकरण को अंतरित कर सकेगी और वह अधिकरण जिसे कार्यवाही इस प्रकार अंतरित की गई है, अंतरण के आदेश में विशेष निदेशों के अध्यधीन या तो नए सिरे से या उस प्रक्रम से अग्रसर हो सकेगा, जिस पर वह ऐसे अंतरित की गई थी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, लिखित में आदेश द्वारा और उन कारणों के लिए जो इसमें कथित किए जाएं, इस संहिता के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित किसी अधिकरण के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही को वापस ले सकेगी और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को कार्यवाही को निपटाने के लिए अंतरित कर सकेगी तथा राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण जिसको कार्यवाही इस प्रकार अंतरित की गई है, अंतरण आदेश में विशेष निदेशों के अध्यधीन या तो नए सिरे से या उस प्रक्रम से अग्रसर हो सकेगा, जिस पर उसे अंतरित किया गया था ।

(3) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और उन कारणों के लिए जो उसमें कथित किए जाएं, राज्य सरकार द्वारा गठित किसी अधिकरण को, इस संहिता के उपबंधों के अधीन जहां केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, वहां उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उद्भूत होने वाले मामलों को ग्रहण करने और निपटाने के लिए सशक्त कर सकेगी ।

व्यक्तियों का संरक्षण ।

93. (1) किसी ऐसी हड़ताल या तालाबंदी में, जो इस संहिता के अधीन अवैध है, भाग लेने से या भाग लेते रहने से इंकार करने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे इंकार के कारण या इस धारा के अधीन उसके द्वारा की गई किसी कार्यवाही के कारण, व्यवसाय संघ या सोसायटी के नियमों में किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी व्यवसाय संघ या सोसायटी से निष्कासित किए जाने का, या किसी जुर्माने या शास्ति का या किसी ऐसे अधिकार या फायदे से जिसके लिए वह या उसके विधिक प्रतिनिधि अन्यथा हकदार होते, वंचित किए जाने के अध्यधीन होगा और न ही उस संघ या सोसायटी के अन्य सदस्यों की तुलना में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी भी संबंध में किसी निर्योग्यता के अधीन या किसी अलाभकर स्थिति में रखे जाने का भागी होगा ।

(2) किसी व्यवसाय संघ या सोसायटी के नियमों में की गई कोई बात, जो विवादों का किसी भी रीति में निपटारा करने की अपेक्षा करती है, इस धारा द्वारा सुनिश्चित किए गए किसी अधिकार या छूट को प्रवर्तित कराने के लिए की गई कार्यवाही को लागू नहीं होगी और ऐसी किसी कार्यवाही में, सिविल न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे किसी व्यवसाय संघ या सोसायटी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है, यह आदेश करने के बदले में कि उसे सदस्यता वापस लौटा दी जाए, यह आदेश दे सकेगा कि उस व्यवसाय संघ या सोसायटी की निधियों में से प्रतिकर या नुकसानी के रूप में ऐसी राशि का संदाय किया जाए जिसे वह न्यायालय न्यायसंगत समझे ।

पक्षकारों का प्रतिनिधित्व ।

94. (1) कोई कर्मकार, जो विवाद का पक्षकार है, इस संहिता के अधीन की गई किसी भी कार्यवाही में,—

(क) उस रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की, जिसका वह सदस्य है, कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा ;

(ख) व्यवसाय संघों के उस परिसंघ की, जिससे खंड (क) में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ संबद्ध है, कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा ;

(ग) जहां कर्मकार किसी व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं है, वहां, उस उद्योग से, जिसमें कर्मकार नियोजित है, संसक्त किसी व्यवसाय संघ की कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा या उस उद्योग में नियोजित ऐसे अन्य कर्मकार द्वारा और जो ऐसी रीति, जो विहित की जाए, से प्राधिकृत है,

प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा ।

(2) कोई नियोजक, जो विवाद का पक्षकार है, इस संहिता के अधीन किसी भी कार्यवाही में,—

(क) उस नियोजक-संगम के, जिसका वह सदस्य है, किसी अधिकारी द्वारा ;

(ख) नियोजक-संगमों के उस परिसंघ के, जिससे खंड (क) में निर्दिष्ट संगम संबद्ध है, किसी अधिकारी द्वारा;

(ग) जहां नियोजक-संगम का सदस्य नहीं है, वहां उस उद्योग से, जिसमें वह नियोजक लगा हुआ है, संसक्त किसी नियोजक-संगम के ऐसे अधिकारी द्वारा या उसमें लगे हुए किसी अन्य नियोजक द्वारा, जो ऐसी रीति से, जो विहित की जाए प्राधिकृत है,

प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा ।

(3) विवाद का कोई भी पक्षकार इस बात का हकदार न होगा कि इस संहिता के अधीन की सुलह कार्यवाहियों में या अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों में उसका प्रतिनिधित्व किसी विधि-व्यवसायी द्वारा किया जाए ।

(4) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विवाद के किसी भी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में, कार्यवाही के अन्य पक्षकारों की सहमति से, यथास्थिति, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की अनुमति से विधि-व्यवसायी द्वारा किया जा सकेगा ।

अधिनिर्णय या समझौते के निर्वचन में शंकाओं को दूर करना ।

95. (1) यदि, समुचित सरकार की राय में, किसी अधिनिर्णय या समझौते के किसी उपबंध के निर्वचन के बारे में कोई कठिनाई या शंका उद्भूत होती है तो वह उस प्रश्न को ऐसे अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी जो वह ठीक समझे ।

(2) अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण जिसको ऐसा प्रश्न निर्दिष्ट किया जाता है, पक्षकारों की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

छूट देने की शक्ति ।

96. (1) जहां, समुचित सरकार का, किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम या औद्योगिक स्थापनों या उपक्रमों के किसी वर्ग के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि इस संहिता के किन्हीं उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपबंध विद्यमान हैं, वहां वह अधिसूचना द्वारा, इस संहिता के उस उपबंध से ऐसे स्थापन या उपक्रम या स्थापनों या उपक्रमों के वर्ग को सशर्त या अशर्त छूट दे सकेगी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां समुचित सरकार का किसी नए औद्योगिक स्थापन या नए उपक्रम या नए औद्योगिक स्थापनों या नए उपक्रमों के वर्ग के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसे नए औद्योगिक स्थापन या नए उपक्रम या नए स्थापनों या नए उपक्रमों के वर्ग की स्थापना की तारीख से ऐसी अवधि के लिए इस संहिता के सभी या किन्हीं उपबंधों से सशर्त या अशर्त छूट दे सकेगी, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु इस संहिता के आरंभ होने से पहले, किसी राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन राज्य मे इस उपधारा मे यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजन को 1947 का 14
प्राप्त करने के लिए, जारी कोई अधिसूचना, इसकी शेष अवधि के लिए ऐसे आरंभ के पश्चात् भी ऐसे प्रवर्तन में रहेगी मानो इस संहिता के उपबंध उस सीमा तक प्रवृत्त नहीं किए गए हों जिस तक उस राज्य सरकार द्वारा जारी ऐसी अधिसूचना द्वारा प्राप्त किए जाने वाले किसी प्रयोजन को विफल करते हों ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “नया औद्योगिक स्थापन या नया उपक्रम या नए औद्योगिक स्थापनों या नए उपक्रमों का वर्ग” पद से ऐसा औद्योगिक स्थापन या उपक्रम या औद्योगिक स्थापनों या उपक्रमों का वर्ग अभिप्रेत है, जो अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट किसी अवधि के भीतर स्थापित किए गए हों ।

97. किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसको इस संहिता का कोई उपबंध लागू होता है, सिविल न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी और किसी सिविल न्यायालय द्वारा इस संहिता के द्वारा या इसके अधीन की गई किसी बात या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा । सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ।

98. कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी । सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

99. (1) समुचित सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी: समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

परन्तु समुचित सरकार का, यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनसे लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह पूर्व प्रकाशन की शर्त से अभिमुक्ति दे सकेगी या ऐसे पूर्व प्रकाशन पर उस सीमा तक जो वह ठीक समझे, आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करने के लिए अपेक्षित समयावधि को कम कर सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, —

(क) धारा 2 के खंड (यझ) के अधीन किसी समझौते पर पहुंचने के लिए सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में से भिन्न अनुक्रम में नियोजक और कर्मकार के मध्य किया गया लिखित करार ;

(ख) कार्य समिति का गठन और धारा 3 के अधीन स्थापन में लगे हुए नियोजक और कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन ;

(ग) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन शिकायत निवारण समिति के लिए नियोजक और कर्मकारों में से सदस्यों का चयन करने की रीति ;

(घ) किसी विवाद के संबंध में किसी व्यथित कर्मकार द्वारा धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन शिकायत निवारण समिति के समक्ष आवेदन का फाइल किया जाना ;

(ड.) धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन सुलह अधिकारी के समक्ष शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय के विरुद्ध शिकायत के सुलह के लिए आवेदन फाइल करने की रीति;

(च) धारा 7 के खंड (च) के अधीन व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अभिदान का संदाय और ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से दान ;

(छ) धारा 7 के खंड (ञ) के अधीन वार्षिक संपरीक्षा की रीति ;

(ज) धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन शपथपत्र द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्ररूप और उसे करने की रीति ;

(झ) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे प्ररूप में तैयार और ऐसी

विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाले व्यवसाय संघ की आस्तियों और दायित्वों का साधारण विवरण ;

(ञ) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप और उपधारा (2) के अधीन आवेदक व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का प्ररूप ;

(ट) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए रजिस्टर में व्यवसाय संघ का नाम और अन्य विशिष्टियां प्रविष्ट करने का प्ररूप ;

(ठ) धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन व्यवसाय संघ के आवेदन का सत्यापन;

(ड) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन वह अवधि जिसके भीतर व्यवसाय संघ द्वारा अधिकरण को अपील प्रस्तुत की जानी है ;

(ढ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन संसूचना और सूचनाएं भेजना तथा उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार को सूचित करने की रीति ;

(ण) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन वे मामले, जिस पर, यथास्थिति, वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् किसी औद्योगिक स्थापन में औद्योगिक स्थापन के नियोजक के साथ समझौता कर सकेंगे और उपधारा (2) के अधीन औद्योगिक स्थापन के नियोजक द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मानदंड;

(त) धारा 14 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन, औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल पर कर्मकारों के सत्यापन की रीति और उपधारा (7) के अधीन औद्योगिक स्थापन द्वारा वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं ;

(थ) धारा 15 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन उद्देश्य और उपधारा (4) के अधीन संदेय अभिदान ;

(द) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन अधिकरण के समक्ष अधिनिर्णयन के लिए आवेदन करने की रीति ;

(ध) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन समामेलन की रीति और उपधारा (3) के अधीन किसी भिन्न राज्य के रजिस्ट्रार को हस्ताक्षरित समामेलन भेजने की रीति ;

(न) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा विघटन पर व्यवसाय का वितरण ;

(प) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन वह तारीख, जिससे पहले कोई साधारण विवरण, रजिस्ट्रार को वार्षिक रूप से भेजा जाएगा, साधारण विवरण और इसके प्ररूप में अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां, वह व्यक्ति, जिसके द्वारा और वह रीति, जिसमें ऐसा साधारण विवरण संपरीक्षित किया जाएगा ;

(फ) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा राज्य व्यवसाय संघ के रूप में राज्य स्तर पर किसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघ के किसी परिसंघ को मान्यता देने की रीति और प्रयोजन और इसके द्वारा विवादों के विनिश्चय करने का प्राधिकार और रीति ;

(ब) धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणन अधिकारी को सूचना अग्रेषित करने की रीति और वह अवधि जिसके भीतर स्थायी आदेश का संशोधन किया जाना है, जैसा कि उसके परन्तुक के अधीन प्रमाणन अधिकारी द्वारा पालन किया जाए ;

(भ) जहां धारा 30 की उपधारा (5) के अधीन कोई व्यवसाय संघ कार्य नहीं कर रहा है, वहां प्रमाणन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने के लिए औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन करने की रीति; धारा 30 की उपधारा (8) के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेशों के अधिप्रमाणन की रीति;

(म) धारा 30 की उपधारा (9) के अधीन वह विवरण जिसके साथ प्रारूप स्थायी आदेश संलग्न किए जाने हैं ;

(य) धारा 30 की उपधारा (10) के अधीन समरूप स्थापन में नियोजकों के समूह द्वारा प्रारूप स्थायी आदेशों को प्रस्तुत करने की शर्तें ;

(यक) धारा 32 के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा अपील निपटाने की रीति ;

(यख) धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रतियों को भेजने की रीति और उपधारा (2) के अधीन स्थायी आदेश बनाए रखने की भाषा और रीति ;

(यग) धारा 34 के अधीन प्रमाणन अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेशों को फाइल करने के लिए रजिस्टर का प्ररूप और ऐसे आदेशों की प्रमाणित प्रति देने के लिए फीस ;

(यघ) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणन अधिकारी के समक्ष स्थायी आदेशों में किए जाने वाले उपांतरण के लिए आवेदन ;

(यङ) धारा 40 के खंड (i) के अधीन किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन की प्रकृति का नोटिस देने की रीति ;

(यच) धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन माध्यस्थम् करार का प्ररूप और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने की रीति ;

(यछ) धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन जहां कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम् के लिए निदेशित किया गया है वहां अधिसूचना जारी करने की रीति ;

(यज) धारा 42 की उपधारा (5) के परन्तुक के अधीन कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन करने की रीति, जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं हैं ;

(यझ) धारा 44 की उपधारा (9) के अधीन रिक्ति भरने की रीति ;

(यञ) धारा 46 की उपधारा (6) के अधीन राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों के चयन की प्रक्रिया, वेतन और भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्तें ;

(यट) धारा 49 की उपधारा (3) के अधीन, ऐसे अन्य मामले जिनके संबंध में किसी सुलह अधिकारी, अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन की किसी सिविल न्यायालय में निहित होती है ;

1908 का 5

(यठ) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन सुलह कार्यवाही करने की रीति और उपधारा (4) के अधीन पूर्ण रिपोर्ट का प्ररूप और उपधारा (6) के अधीन आवेदन का प्ररूप तथा ऐसे आवेदन पर विनिश्चिय करने की रीति ;

(यड) धारा 62 की उपधारा (4) के अधीन ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनके द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया जाएगा, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति, जिसको या जिनको ऐसा नोटिस दिया जाएगा और ऐसा नोटिस देने की रीति ;

(यढ) धारा 62 की उपधारा (5) के अधीन तालाबंदी का नोटिस देने की रीति और उपधारा (6) के अधीन प्राधिकारी ;

(यण) उद्योग में नियोजित किसी कर्मकार को, जो एक वर्ष से अन्यून निरंतर सेवा में रहा है, किसी नियोजक द्वारा समुचित सरकार या ऐसे प्राधिकारी, जो धारा 70 के खंड (ग) के अधीन अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, की छंटनी से पूर्व नोटिस तामील करने की रीति ;

(यत) धारा 72 के अधीन ऐसी रीति जिसमें नियोजक छंटनी किए गए कर्मकारों को, जो भारत के नागरिक हैं, पुन:नियोजन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए कोई अवसर देगा ;

(यथ) धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति, जिसमें नियोजक उपक्रम के आशयित बंदी के लिए स्पष्ट रूप से कारणों का कथन करते हुए समुचित सरकार को सूचना तामील करेगा ;

(यद) धारा 78 की उपधारा (2) के अधीन आशयित कामबंदी के लिए स्पष्ट रूप से कारणों का कथन करते हुए नियोजक द्वारा आवेदन करने की रीति और कर्मकारों पर ऐसे आवेदन की प्रति को तामील करने की रीति ;

(यध) धारा 78 की उपधारा (3) के अधीन नियोजक द्वारा कामबंदी जारी रखने की अनुज्ञा के लिए समुचित सरकार को आवेदन करने की रीति;

(यन) धारा 78 की उपधारा (7) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समय-सीमा ;

(यप) धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन आशयित छंटनी के लिए स्पष्ट रूप से कारणों का कथन करते हुए नियोजक द्वारा आवेदन करने की रीति और कर्मकारों पर ऐसे आवेदन की प्रति को तामील करने की रीति ;

(यफ) धारा 79 की उपधारा (6) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समय-सीमा ;

(यब) धारा 80 की उपधारा (1) के अधीन किसी औद्योगिक स्थापन के किसी उपक्रम के आशयित बन्दी के लिए स्पष्ट रूप से कारणों का कथन करते हुए नियोजक द्वारा आवेदन करने की रीति और कर्मकारों के प्रतिनिधियों पर ऐसे आवेदन की प्रति को तामील करने की रीति ;

(यभ) धारा 80 की उपधारा (5) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समय-सीमा;

(यम) धारा 83 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन कर्मकार पुनः कौशल निधि में किए जाने वाले ऐसे अन्य स्रोतों से अभिदाय ;

(यय) धारा 83 की उपधारा (3) के अधीन निधि के उपयोग की रीति;

(ययक) धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन किसी विनिर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपराध के शमन की रीति ;

(ययख) धारा 89 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध का प्रशमन करने के लिए आवेदन करने की रीति ;

(ययग) धारा 91 के अधीन किसी व्यथित कर्मचारी द्वारा शिकायत करने की रीति ;

(ययघ) धारा 94 की उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कर्मकार को प्राधिकार देने की रीति ;

(ययङ) धारा 94 की उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजक को प्राधिकार देने की रीति ;

(ययच) कोई अन्य विषय, जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बनाएगी—

(क) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय स्तर पर किसी केन्द्रीय व्यवसाय संघ के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के परिसंघ की मान्यता की रीति और इसके द्वारा विवाद का विनिश्चय करने की रीति ; और

(ख) धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन कोई जांच करने की रीति ।

(4) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखे जाएंगे ।

(5) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 2 के खंड (त) के अधीन जारी की गई अधिसूचना, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हैं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या अधिसूचना नहीं बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या अधिसूचना, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

100. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, जिन्हें निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अधीन रहते हुए निम्नलिखित द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी— शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

(क) जहां समुचित सरकार, केन्द्रीय सरकार है वहां केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) जहां कि समुचित सरकार, राज्य सरकार हो, वहां राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति ।

101. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची में परिवर्धन या परिवर्तन या संशोधन कर सकेगी और ऐसी किसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर, यथास्थिति, पहली अनुसूची या दूसरी या तीसरी अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए रखी जाएगी जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हैं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत होते हैं कि उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी । किन्तु इस अधिसूचना के अनुसरण में ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पूर्व उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2017 के अधिनियम संख्यांक 7 का संशोधन ।

102. वित्त अधिनियम, 2017 की आठवीं अनुसूची में क्रम संख्यांक 1 के सामने,—

(क) स्तंभ (2) में "केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण" शब्दों के स्थान पर "औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) स्तंभ (3) में "औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947" शब्दों और अंकों के स्थान पर "औद्योगिक संबंध संहिता; 2020" शब्द और अंक रखे जाएंगे । 1947 का 14

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

103. (1) यदि इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस संहिता के उपबंधों से जो असंगत न हों और जो कठिनाई दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस संहिता के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

104. (1) इस संहिता के किसी उपबंध के प्रारंभ के लिए धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन जारी अधिसूचना में, केन्द्रीय सरकार यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी, कि—

(क) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 ; 1926 का 16

(ख) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 ; और 1946 का 20

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, 1947 का 14

के उपबंध इस निमित्त अधिसूचना में नियत तारीख से निरसित हो जाएंगे और खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के शेष उपबंध तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक उन्हें वैसी ही रीति में वैसी अधिसूचनाओं द्वारा निरसित नहीं कर दिया जाता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियमितियों के उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत तद्धीन बनाया गया कोई नियम, विनियम, अधिसूचना, नामनिर्देशन, नियुक्ति, आदेश या निदेश भी हैं, इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और वे उस सीमा तक, जहां तक वे इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल न हो, प्रवृत्त होंगे ।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, साधारण खंड
1897 का 10 अधिनियम, 1897 की धारा 6 के उपबंध ऐसी अधिनियमितियों के निरसन को लागू होंगे ।

पहली अनुसूची

[धारा 2(यत्र), धारा 30(1) और (6) तथा धारा 101(1) देखिए]

इस संहिता के अधीन स्थायी आदेशों में उपबंधित किए जाने वाले विषय

1. कर्मकारों का वर्गीकरण, चाहे वे स्थायी, अस्थायी, प्रशिक्षु, परिवीक्षार्थी, बदली या नियत अवधि नियोजन हो ।

2. कर्मकारों की काम की कालावधियां और कार्य घंटे, अवकाश दिन, वेतन दिवस और मजदूरी की दरें सूचित करने की रीति ।

3. पारी में काम ।

4. हाजिरी और विलम्ब से आना ।

5. छुट्टी और अवकाश दिनों की शर्तें, उनके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया, और वह प्राधिकारी जो उन्हें मंजूर कर सकेगा ।

6. परिसर में कतिपय द्वारों से प्रवेश करने की अपेक्षा और तलाशी का दायित्व ।

7. औद्योगिक स्थापन के अनुभागों को बंद करना और उनकी रिपोर्ट करना, काम का अस्थायी रूप से रोका जाना तथा नियोजक और कर्मकारों के उनसे उद्भूत अधिकार और दायित्व ।

8. नियोजन का पर्यवसान तथा नियोजक और कर्मकारों द्वारा उसकी सूचना का दिया जाना ।

9. अवचार और कार्य या लोप, जो अवचार गठित करते हैं, के लिए निलबंन या पदच्युति ।

10. नियोजक या उसके अभिकर्ताओं या सेवकों द्वारा अनुचित व्यवहार या सदोष आहरणों के प्रति कर्मकारों के लिए प्रतितोष के साधन ।

11. ऐसा कोई अन्य विषय, जो अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार विनिर्दिष्ट करे ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 2 (यण), धारा 84, धारा 86 (5) और धारा 101(1) देखिए)

अनुचित श्रम व्यवहार

I. नियोजकों और नियोजकों के व्यवसाय संघों की ओर से

(1) व्यवसाय संघ को संगठित करने, बनाने, उसमें सम्मिलित होने या उसकी सहायता करने या सामूहिक सौदेबाजी, या अन्य पारस्परिक सहायता या संरक्षा के प्रयोजनों के लिए सम्मिलित क्रियाकलापों में लगने के लिए कर्मकारों द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनके साथ हस्तक्षेप करना, उन्हें अवरुद्ध करना, या प्रपीड़ित करना, अर्थात्: —

(क) कर्मकारों को सेवोन्मुक्त या पदच्युत करने की धमकी देना, यदि वे किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होते हैं ;

(ख) तालाबंदी या कामबन्दी की धमकी देना, यदि किसी व्यवसाय संघ को संगठित किया जाता है ;

(ग) व्यवसाय संघ, संगठन के प्रयासों को कम करने की दृष्टि से व्यवसाय संघ संगठन के निर्णायक अवधियों में कर्मकारों को बढ़ी हुई मजदूरी मंजूर करना ।

(2) किसी व्यवसाय संघ पर प्रभुत्व जमाना, उसमें हस्तक्षेप करना या उसे अवलंब, वित्तीय या अन्यथा में सहयोग करना, अर्थात् : —

(क) किसी नियोजक का अपने कर्मकारों के किसी व्यवसाय संघ को संगठित करने में सक्रिय रुचि लेना ; और

(ख) जहां ऐसा व्यवसाय संघ मान्यताप्राप्त व्यवसाय संघ नहीं है, वहां कोई नियोजक जो अपने कर्मकारों या उसके सदस्यों को संगठित करने का प्रयास करने वाले अनेक व्यवसाय संघों में से किसी एक व्यवसाय संघ के प्रति पक्षपात दर्शाता है या उसका समर्थन करता है ।

(3) कर्मकारों के नियोजक द्वारा प्रायोजित व्यवसाय संघों को स्थापित करना ।

(4) किसी व्यवसाय संघ में किसी कर्मकार के विरुद्ध भेदभाव करके उसकी सदस्यता को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करना, अर्थात् :—

(क) किसी कर्मकार को सेवोन्मुक्त या दण्डित करना क्योंकि उसने अन्य कर्मकारों को किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होने या संगठित करने के लिए आग्रह किया था ;

(ख) किसी कर्मकार को, किसी हड़ताल (जो ऐसी हड़ताल न हो जिसे इस संहिता के अधीन अवैध हड़ताल समझा गया है) में भाग लेने के कारण सेवोन्मुक्त या पदच्युत करना ;

(ग) व्यवसाय संघ क्रियाकलापों के कारण कर्मकारों की ज्येष्ठता निर्धारण में परिवर्तन करना;

(घ) व्यवसाय संघ क्रियाकलापों के कारण कर्मकारों को उच्चतर पदों पर प्रोन्नत करने से इंकार करना ;

(ङ) कतिपय कर्मकारों को, अन्य कर्मकारों के बीच मतभेद उत्पन्न करने की दृष्टि से या उनके व्यवसाय संघ की संख्या को कम करने के लिए, बिना गुणागुण के आधार पर प्रोन्नति देना;

(च) व्यवसाय संघ के पदधारियों या सक्रिय सदस्यों को उनके व्यवसाय संघ क्रियाकलाप के कारण सेवोन्मुक्त करना ।

(5) निम्न कारणों से कर्मकारों को सेवोन्मुक्त या पदच्युत करना :—

(क) उत्पीड़न के माध्यम से ;

(ख) असद्भाव, किन्तु नियोजक के अधिकारों का आभासी प्रयोग करके ;

(ग) मिथ्यासाक्ष्य पर या गढ़े हुए साक्ष्य पर किसी आपराधिक मामले में किसी कर्मकार को मिथ्या रूप से आलिप्त करके ;

(घ) प्रत्यक्षतः मिथ्या कारणों से ;

(ङ) छुट्टी बिना अनुपस्थिति के लिए असत्य या गढ़े हुए अभिकथनों पर ;

(च) आंतरिक जांच के संचालन में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पूर्णतः अवहेलना करके या असम्यक् जल्दबाजी करके ;

(छ) लघु या तकनीकी प्रकृति के अवचार के कारण, उस विशिष्ट अवचार की प्रकृति पर या कर्मकार के पिछले अभिलेख या सेवा पर ध्यान दिए बिना, जिसका परिणाम अननुपाती दंड हो ।

(6) कर्मकारों द्वारा किए जा रहे नियमित प्रकृति के कार्य को समाप्त करने के लिए और ऐसे कार्य को ठेकेदारों को देने के लिए जो हड़ताल तोड़ने के लिए हो ।

(7) प्रबंधन नीति का अनुसरण करने के बहाने से असद्भावपूर्वक किसी कर्मकार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना ।

(8) वैयक्तिक कर्मकारों को, जो वैध हड़ताल पर हैं, पुनः काम आरंभ करने की अनुज्ञा देने की पूर्व शर्त के रूप में सदाचरण बंधपत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिए बल देना ।

(9) गुणागुण को ध्यान में न रखते हुए, कर्मकारों के एक सेट के प्रति पक्षपात या तरफदारी दर्शाना ।

(10) कर्मकारों को बदली कर्मकारों, आकस्मिक या अस्थायी कर्मकारों के रूप में नियोजित करना और उन्हें स्थायी कर्मकारों की प्रास्थिति और विशेषाधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से वर्षों तक उसी रूप में चलते रहने देना ।

(11) किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी जांच या कार्यवाही में किसी नियोजक के विरुद्ध आरोप फाइल करने या साक्ष्य देने के लिए किसी कर्मकार को सेवोन्मुक्त करना या उसके प्रति भेदभाव करना ।

(12) कर्मकार को ऐसी हड़ताल के दौरान भर्ती करना, जो अवैध हड़ताल नहीं है ।

(13) अधिनिर्णय, समझौता या करार कार्यान्वित करने में असफलता ।

(14) बल या हिंसात्मक के कार्यों में लिप्त होना ।

(15) मान्यताप्राप्त व्यवसाय संघों के साथ सद्भावपूर्वक सामूहिक रूप से सौदेबाजी से इंकार करना ।

(16) इस संहिता के अधीन अवैध समझी गई तालाबंदी के लिए प्रस्ताव करना या उसे चालू रहने देना ।

II. कर्मकारों और कर्मकारों के व्यवसाय संघ की ओर से

(1) इस संहिता के अधीन अवैध समझी जाने वाली किसी हड़ताल के लिए सलाह देना या सक्रिय रूप से समर्थन करना या उकसाना ।

(2) कर्मकारों को उनके स्व-संगठन के या किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होने या किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होने से, प्रविरत रहने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रपीड़ित करना, अर्थात् :—

(क) किसी व्यवसाय संघ या उसके सदस्यों के लिए, ऐसी रीति से धरना देना कि हड़ताल न करने वाले कर्मकार अपने कार्य स्थलों पर प्रवेश करने से भौतिक रूप से विवर्जित किए जाते हैं ;

(ख) हड़ताल न करने वाले कर्मकारों के विरुद्ध या प्रबंधकीय कर्मचारिवृंद के विरुद्ध हड़ताल के संबंध में बल या हिंसात्मक कार्यों में लिप्त होना या अभित्रास की धमकियां देना ।

(3) मान्यताप्राप्त संघ द्वारा नियोजक के साथ सद्भावपूर्वक सामूहिक रूप से सौदेबाजी से इंकार करना ।

(4) सौदेबाजी करने वाले प्रतिनिधि के प्रमाणन के विरुद्ध प्रपीड़क क्रियाकलापों में लिप्त होना ।

(5) प्रपीड़क कार्य, जैसे जानबूझकर "कार्यमंदन" कार्य घंटों के पश्चात् कार्य परिसर में बैठ जाना या प्रबंधकीय सदस्यों में से किसी एक सदस्य का या अन्य कर्मचारिवृन्द का घेराव आयोजित करना, उसके लिए प्रोत्साहित करना या उकसाना ।

स्पष्टीकरण 1—संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "कार्यमंदन" से ऐसा अवसर अभिप्रेत होगा जब किसी स्थापन में एक से अधिक कर्मकार एक साथ मिलकर अधिक धीमी गति से काम करते हैं और प्रायः कम प्रयास करके उच्चतर वेतन या बेहतर सेवा शर्त या ऐसी अन्य मांग को पूरा करवाने के लिए स्थापन के नियोजक मनाने का प्रयास करता है ।

स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए, "सामान्य" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) जहां किसी कर्मकार के लिए, उसके कार्य हेतु या तो दैनिक, साप्ताहिक या मासिक आधार पर ऐसे कार्य के लिए मानक विनिर्दिष्ट किया गया है ; और

(ii) जहां ऐसा कोई मानक विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, कार्य की ऐसी दर जो, यथास्थिति, दैनिक या साप्ताहिक या मासिक आधार पर संगणित पूर्ववर्ती तीन मास में औसत कार्य है ।

(6) नियोजकों या प्रबंधकीय कर्मचारिवृंद सदस्यों के निवास-स्थान पर प्रदर्शन करना ।

(7) उद्योग से संबंधित नियोजक की संपत्ति को जानबूझकर क्षति पंहुचाने के लिए उकसाना या उसमें लिप्त होना ।

(8) किसी कर्मकार को कार्य पर जाने से उसे रोकने की दृष्टि से उसके विरुद्ध बल या हिंसात्मक कार्य में लिप्त होना या अभित्रास की धमकी देना ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 40 और धारा 101(1) देखिए]

सेवा की वे शर्तें जिन्हें बदलने के लिए सूचना दी जानी है

1. मजदूरी, जिसके अंतर्गत संदाय की कालावधि और ढंग आता है ।

2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नियोजक द्वारा किसी भविष्य निधि या पेंशन निधि में या कर्मकारों के फायदे के लिए, संदत् या संदेय अभिदाय ।

3. प्रतिकरात्मक और अन्य भत्ते ।

4. कार्य के घंटे और विश्राम-अंतराल ।

5. मजदूरी सहित छुट्टी और अवकाश ।

6. स्थायी आदेशों के अनुसार से भिन्न पारी में काम आरंभ किया जाना, उसमें परिवर्तन करना या उसका बन्द किया जाना ।

7. श्रेणियों अनुसार वर्गीकरण ।

8. किसी रूढ़ीगत रियायत या विशेषाधिकार का प्रत्याहरण या प्रथा में परिवर्तन ।

9. अनुशासन के नए नियमों का आरंभ किया जाना या विद्यमान नियमों में परिवर्तन करना सिवाय वहां के जहां तक उनके स्थायी आदेशों में उपबंध किया गया है ।

10. संयंत्र या तकनीक का ऐसा सुव्यवस्थीकरण, मानकीकरण या सुधार जिससे कर्मकारों की छंटनी होने की संभावना हो ।

11. किसी उपजीविका या प्रक्रिया या विभाग या पारी में नियोजित या नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में (आकस्मिक से भिन्न) ऐसी कोई वृद्धि या कमी करना जो ऐसी परिस्थितियों के कारण उद्भूत न हुई हो, जिन पर नियोजक का कोई नियंत्रण नहीं है ।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 15)

[12 अगस्त, 2022]

खेलों में डोपिंग रोधी क्रियाकलापों को और खेल में डोपिंग के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय को प्रभावी करने तथा उसके अधीन ऐसी अन्य बाध्यताओं और वचनबद्धता के अनुपालन को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत खेलों में डोपिंग के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता है ;

और, भारत ने 7 नवंबर, 2007 को उक्त अभिसमय का अनुसमर्थन किया ;

और यह समीचीन समझा गया है कि स्वदेशीय रूप से और अंतरराष्ट्रीय रूप से खेल प्रतिस्पर्धा के लिए भाग लेते समय और उसकी तैयारी करते समय, सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाए, खेलों में डोपिंग रोधी क्रियाकलापों को विनियमित किया जाए और उक्त अभिसमय के अधीन भारत की बाध्यताओं को पूरा किया जाए ।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अभिकरण" से धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन निगमित और गठित राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण अभिप्रेत है ;

(ख) "डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन" से धारा 4 में विनिर्दिष्ट परिस्थिति, कार्य और आचरण अभिप्रेत है ;

(ग) "अपील पैनल" से धारा 12 के अधीन गठित राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अपील पैनल अभिप्रेत है ;

(घ) "एथलीट" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो राष्ट्रीय स्तर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी खेल में प्रतिस्पर्धा करता है या किसी प्रतिस्पर्धा या आयोजन में भाग लेता है, जिसको यह अधिनियम लागू होता है ;

(ङ) "एथलीट सहायक कार्मिक" से कोई ऐसा कोच, प्रशिक्षक, प्रबंधक, अभिकर्ता, टीम स्टाफ, पदाधिकारी, चिकित्सीय या परा-चिकित्सीय कार्मिक या ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे एथलीट, जो किसी राष्ट्रीय स्तर या अंतरराष्ट्रीय स्तर या इस अधिनियम को लागू किसी प्रतिस्पर्धा या आयोजन में भाग ले रहा है या उसके लिए तैयारी कर रहा है, के साथ कार्य या उपचार या सहायता करता है ;

(च) "बोर्ड" से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन खेलों में डोपिंग रोधी के लिए स्थापित राष्ट्रीय बोर्ड अभिप्रेत है ;

(छ) "अध्यक्ष" से धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ज) "संहिता" से विश्व डोपिंग रोधी अभिकरण द्वारा अंगीकृत और समय-समय पर संशोधित विश्व डोपिंग रोधी संहिता अभिप्रेत है ;

(झ) "प्रतिस्पर्धा" से कोई एकल दौड़, मैच, खेल या एकल प्रतियोगिता अभिप्रेत है ;

(ञ) "अभिसमय" से खेल में डोपिंग के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय अभिप्रेत है ;

(ट) "महानिदेशक" से धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त महानिदेशक अभिप्रेत है ;

(ठ) "अनुशासनिक पैनल" से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशासनिक पैनल अभिप्रेत है ;

(ड) "डोप परीक्षण प्रयोगशाला" से धारा 26 के अधीन स्थापित और मान्यताप्राप्त कोई प्रयोगशाला अभिप्रेत है ;

(ढ) "डोपिंग नियंत्रण" के अंतर्गत परीक्षण वितरण योजना से लेकर किसी अपील के निपटान तक और परिणामों के प्रवर्तन तक सभी उपाय और प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, जिसमें इस बीच के सभी उपाय और प्रक्रियाएं भी हैं जिसमें परीक्षण, अन्वेषण, अतापता, चिकित्सीय प्रयोग छूट, नमूना संग्रहण और प्रबंधन, प्रयोगशाला विश्लेषण, परिणाम प्रबंधन, सुनवाई और अपील तथा किसी डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन से संबंधित अन्वेषण या कार्यवाहियां भी हैं किन्तु जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं ;

(ण) "खेल में डोपिंग" से धारा 4 में विनिर्दिष्ट कोई डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन की घटना अभिप्रेत है;

(त) "आयोजन" से कोई भी नियंत्रक निकाय, जिसके अधीन एक साथ संचालित वैयक्तिक प्रतिस्पर्धाओं, जैसे ओलंपिक खेल, किसी अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप और ऐसी अन्य आयोजन की कोई श्रृंखला अभिप्रेत है ;

(थ) "अंत:प्रतिस्पर्धा परीक्षण" से किसी ऐसे एथलीट से, जो किसी ऐसी प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहा है, जहां ऐसा संग्रहण प्रतिस्पर्धा के पूर्व दिन को 11:59 अपराह्न से प्रांरभ होने वाली ऐसी अवधि के दौरान किसी भी समय किया जाता है, जिसमें ऐसे एथलीट का भाग लिया जाना नियत है, से लेकर ऐसी प्रतिस्पर्धा के अंत तक और ऐसी प्रतिस्पर्धा से संबंधित नमूना संग्रहण प्रक्रिया तक परीक्षण के लिए नमूना संग्रहण अभिप्रेत है;

(द) "अंतरराष्ट्रीय आयोजन" से कोई ऐसा आयोजन या प्रतिस्पर्धा अभिप्रेत है जहां अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय पैरालिंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय परिसंघ, मुख्य आयोजन संगठन या अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल संगठन ऐसे आयोजन के लिए शासी निकाय है या आयोजन के लिए तकनीकी पदाधिकारी नियुक्त करता है;

(ध) "अंतरराष्ट्रीय परिसंघ" से किसी विशिष्ट खेल के लिए अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय अभिप्रेत है;

(न) "सदस्य" से धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है;

(प) "राष्ट्रीय आयोजन" से ऐसा खेल आयोजन या प्रतिस्पर्धा अभिप्रेत है जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर के एथलीट सम्मिलित हैं किन्तु जो कोई अंतरराष्ट्रीय आयोजन नहीं है;

(फ) "राष्ट्रीय खेल परिसंघ" से किसी विशिष्ट खेल को शासित करने वाला कोई मान्यताप्राप्त निकाय अभिप्रेत है जिसको यह संहिता लागू हैं ;

(ब) "अन्य डोपिंग रोधी संगठन" से ऐसे संगठन अभिप्रेत हैं जो डोपिंग नियंत्रण प्रक्रिया के किसी भाग को आरंभ करने, कार्यान्वित करने या प्रवृत्त करने के लिए डोपिंग रोधी नियमों को अंगीकृत करने के लिए जिम्मेदार है और जिसके अंतर्गत विश्व डोपिंग रोधी अभिकरण, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय पैरालिंपिक समिति, अन्य मुख्य आयोजन संगठन भी हैं जो अपने आयोजनों और अंतरराष्ट्रीय परिसंघों में परीक्षण संचालित करते हैं, किंतु इसमें अभिकरण सम्मिलित नहीं है ;

(भ) "प्रतिस्पर्धा बाह्य परीक्षण" से अंतःप्रतिस्पर्धा परीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट अवधि से भिन्न अन्य किसी अवधि के दौरान नमूना संग्रहण अभिप्रेत है;

(म) "व्यक्ति" से कोई प्राकृतिक व्यक्ति या संगठन या अन्य अस्तित्व अभिप्रेत है ;

(य) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(यक) "प्रतिषिद्ध सूची" से अभिकरण द्वारा विनियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध पदार्थों और प्रतिषिद्ध पद्धतियों की सूची अभिप्रेत हैं ;

(यख) "प्रतिषिद्ध पद्धति" से प्रतिषिद्ध सूची में सूचीबद्ध कोई पद्धति अभिप्रेत है ;

(यग) "प्रतिषिद्ध पदार्थ" से प्रतिषिद्ध सूची में सूचीबद्ध कोई पदार्थ अभिप्रेत है ;

(यघ) "विनियम" से यथास्थिति, बोर्ड या अभिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(यङ) "नमूना" से इस अधिनियम के अधीन डोपिंग नियंत्रण के प्रयोजन के लिए किसी एथलीट से संग्रहीत कोई जैविक सामग्री अभिप्रेत है ;

(यच) "सोसाइटी" से यथास्थिति, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत और इस अधिनियम के 1860 का 21 आरंभ से ठीक पूर्व, उस रूप में कार्य करने वाला राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण या राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला अभिप्रेत है ;

(यछ) "परीक्षण" से डोपिंग नियंत्रण प्रक्रिया के भाग, जिसमें परीक्षण वितरण योजना, नमूना संग्रहण, नमूना प्रबंधन, प्रयोगशाला को नमूना भेजना और नमूनों का परीक्षण भी है, अभिप्रेत है ;

(यज) "प्रयोग" से किसी भी साधन से, चाहे किसी प्रतिषिद्ध पदार्थ का या प्रतिषिद्ध पद्धति द्वारा उपयोग, उपयोजन, अंतर्ग्रहण, भरण या उपभोग अभिप्रेत है;

(यझ) "विश्व डोपिंग रोधी अभिकरण" से स्विटजरलैंड में 10 नवंबर, 1999 को स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय अभिकरण अभिप्रेत है जो डोपिंग रोधी नीतियों और अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्रभावी करने के लिए संहिता को अंगीकृत और संशोधित करता है ।

अध्याय 2

खेलों में डोपिंग और डोपिंग रोधी नियम उल्लंघनों का प्रतिषेध

खेल में डोपिंग का प्रतिषेध ।

3. (1) कोई एथलीट, एथलीट सहायक कार्मिक या अन्य व्यक्ति खेल के डोपिंग में संलिप्त नहीं होगा ।

(2) प्रत्येक एथलीट, एथलीट सहायक कार्मिक या अन्य व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 4 में यथाविनिर्दिष्ट किसी डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन की कोई घटना न हो ।

(3) प्रत्येक एथलीट, किसी खेल प्रतिस्पर्धा में सभी स्तरों पर सत्यनिष्ठा और

नैतिक नियमों के उच्चतम मानकों के साथ और इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार भाग लेगा ।

(4) प्रत्येक एथलीट, एथलीट सहायक कार्मिक और अन्य व्यक्ति जो खेल में भाग ले रहे हैं या सम्मिलित हैं, ऐसी सहभागिता या अन्तर्ग्रस्तता की एक शर्त के रूप में डोपिंग रोधी नियमों को स्वीकार करेंगे और इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों द्वारा आबद्ध होंगे ।

(5) प्रत्येक एथलीट, एथलीट सहायक कार्मिक और अन्य व्यक्तियों की यह जानने की जिम्मेदारी होगी कि डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन कौन-कौन से हैं और प्रतिषिद्ध पदार्थों के प्रयोग पर कौन-कौन से निर्बंधन हैं तथा वे प्रतिषिद्ध पद्धतियां कौन-कौन सी हैं, जो प्रतिषिद्ध सूची में सम्मिलित की गई हैं ।

(6) इस अधिनियम के उपबंध ऐसे व्यक्तियों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित व्यक्तियों के रूप में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, ऐसे विस्तार तक और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लागू होंगे ।

डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन।

4. किसी एथलीट या एथलीट सहायक कार्मिक या अन्य व्यक्तियों द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक या अधिक परिस्थिति या कार्य या आचरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन होगा :—

(क) किसी एथलीट के नमूने में किसी प्रतिषिद्ध पदार्थ या उसके उपापचयी या चिन्हकों की विद्यमानता ;

(ख) किसी प्रतिषिद्ध पदार्थ या प्रतिषिद्ध पद्धति का प्रयोग या उसका प्रयतित प्रयोग, जब तक ऐसे प्रयोग को अभिकरण द्वारा धारा 5 के अधीन छूट प्राप्त न हो;

(ग) ऐसे लागू डोपिंग रोधी नियमों में यथा प्राधिकृत अधिसूचना के पश्चात् नमूना संग्रहण को प्रस्तुत करने के लिए विवशकारी औचित्य के बिना इंकार करना या असफल रहना या अन्यथा नमूना संग्रहण से बचना;

(घ) ठौर-ठिकाने संबंधी असफलता ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "ठौर-ठिकाने संबंधी असफलता" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं—

(i) फाइल करने में असफलता अर्थात् एथलीट अपेक्षित समय-सीमा से पूर्व अपना ठौर-ठिकाने संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने में या परिस्थितियों में परिवर्तन के पश्चात् उसे अद्यतन करने में असफल हो गया है या यदि समय पर प्रस्तुत किया गया है तो परीक्षण के लिए उसके स्थान का पता लगाने के लिए अपूर्ण, गलत या अपर्याप्त जानकारी प्रस्तुत की है ; या

(ii) परीक्षण छूट गया है अर्थात् यद्यपि एथलीट ने अपने ठौर-ठिकाने संबंधी जानकारी प्रस्तुत की है, वह परीक्षण के अवस्थान पर उपलब्ध नहीं है ; या

(iii) ऐसे अन्य लोप या असफलताएं, जो विनियमों द्वारा अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;

(ङ) डोपिंग नियंत्रण के किसी भाग के साथ छेड़छाड़ करना या छेड़छाड़ करने का प्रयत्न करना ;

(च) प्रतिषिद्ध पदार्थों या प्रतिषिद्ध पद्धतियों को धारण करना ;

(छ) किसी प्रतिषिद्ध पदार्थ या प्रतिषिद्ध पद्धति में दुर्व्यापार करना या दुर्व्यापार करने का प्रयास ;

(ज) किसी एथलीट के लिए किसी प्रतिषिद्ध पदार्थ या प्रतिषिद्ध पद्धति का प्रशासन या प्रयतित प्रशासन ;

(झ) डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन या डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के लिए किए गए प्रयास में सहयोग करना, उसे प्रोत्साहित करना, उसमें सहायता करना, उत्प्रेरित करना, उसका षड्यंत्र रचना, उसका आच्छादन करना या किसी अन्य प्रकार की जटिलता को अन्तर्वलित करना या कोई प्रत्यतित डोपिंग रोधी उल्लंघन या अपात्रता या अनंतिम निलंबन के दौरान सहभागिता के विरुद्ध कोई उल्लंघन ;

(ञ) ऐसे एथलीट, एथलीट सहायता कार्मिक या अन्य व्यक्तियों के साथ प्रतिषिद्ध सहयोजन, जो विनियमों द्वारा अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ट) प्राधिकारियों को रिपोर्ट किए जाने के विरुद्ध निरुत्साहित करना या प्रतिशोध करना ;

(ठ) ऐसी अन्य परिस्थितियां या ऐसे अन्य कार्य या आचरण में लगना, जो डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन की कोटि में आता है, जैसा विनियमों द्वारा अभिकरण विनिर्दिष्ट किया जाए ।

चिकित्सीय प्रयोग से छूट ।

5. (1) जहां कोई पदार्थ या पद्धति प्रतिषिद्ध सूची में सम्मिलित की जाती है और ऐसा प्रतिषिद्ध पदार्थ या प्रतिषिद्ध पद्धति का प्रयोग किसी एथलीट द्वारा चिकित्सीय शर्तों के आधार पर अपेक्षित है तो ऐसा एथलीट, अभिकरण को ऐसे प्रतिषिद्ध पदार्थ या प्रतिषिद्ध पद्धति के संबंध में चिकित्सीय प्रयोग से छूट प्रदान करने हेतु आवेदन कर सकेगा ।

(2) अभिकरण, उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त आवेदन पर ऐसी रीति में और ऐसे मानदंडों पर, विचार करने के पश्चात्, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, विचार कर सकेगा ।

(3) अभिकरण, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन के संबंध में ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, चिकित्सीय प्रयोग से छूट प्रदान करेगा या प्रदान करने से इंकार करेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन अभिकरण के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति अपील पैनल को अपील कर सकेगा ।

डोपिंग रोधी नियम उल्लंघनों के परिणाम ।

6. (1) किसी व्यष्टिक एथलीट या एथलीट सहायता कार्मिकों द्वारा डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के परिणाम निम्नलिखित में से एक या अधिक रूप में हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) सभी निष्कर्षों सहित परिणामों की निरर्हता, जिनके अंतर्गत पदकों, अंकों और पुरस्कारों का, ऐसी रीति में, जो विनियमों के अनुसार अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, समपहरण भी है ;

(ख) किसी प्रतिस्पर्धा या आयोजन या अन्य क्रियाकलाप या वित्त पोषण में ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विनियमों के अनुसार अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, भाग लेने के लिए अपात्रता;

(ग) धारा 23 के अधीन किसी अपील में विनिश्चय के पूर्व किसी प्रतिस्पर्धा या क्रियाकलाप में भाग लेने से, ऐसी रीति में, जो विनियमों के अनुसार अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अनंतिम निलंबन ;

(घ) वित्तीय मंजूरी का अधिरोपण, जिसके अंतर्गत ऐसी रीति में, खर्चों की आनुपातिक वसूली भी है, जो विनियमों के अनुसार अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ङ) लोक प्रकटन और ऐसे अन्य परिणाम, जो विनियमों के अनुसार अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) खेल टीम और संरक्षित व्यक्तियों के लिए डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघनों के परिणाम वें होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

अध्याय 3

खेलों में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड

खेलों में डोपिंग रोधी राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना और गठन ।

7. (1) केंद्रीय सरकार, ऐसी तारीख से, जो अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, खेलों में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड के नाम से ज्ञात बोर्ड की स्थापना की जाएगी ।

(2) बोर्ड, एक अध्यक्ष और दो सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे :

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा या ऐसे पद पर बना नहीं रहेगा, यदि ऐसा व्यक्ति किसी अंतरराष्ट्रीय परिसंघ, राष्ट्रीय खेल परिसंघ, मुख्य आयोजन संगठन, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालिंपिक समिति उत्तरदायित्व वाले के प्रबंधन या प्रचालन में अन्तर्वलित है या खेल या डोपिंग रोधी संबंधी सरकारी विभाग में है ।

(3) अध्यक्ष, योग्यता, सत्यनिष्ठा और अनुभव वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिसे साधारण प्रशासन, खेल प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का ज्ञान और अनुभव हो या कोई सेवानिवृत विख्यात एथलीट हो ।

(4) सदस्य, योग्यता, सत्यनिष्ठा और अनुभव वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिसे साधारण प्रशासन, चिकित्सा विज्ञान, विधि के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का ज्ञान और अनुभव हो या कोई सेवानिवृत्त विख्यात एथलीट हो ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "विख्यात एथलीट" पद से कोई ऐसा खिलाड़ी अभिप्रेत है जिसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में जीते हुए पदकों के निबंधनानुसार राष्ट्रीय खेल के विकास में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार या पदम पुरस्कार प्रदत्त किया गया है ।

(5) अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि तीन वर्ष के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इसमें जो भी पूर्वतर हो, होगी ।

(6) अध्यक्ष या सदस्य के कार्यालय में मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण किसी रिक्ति के उद्भूत होने की दशा में, या, जब अध्यक्ष या सदस्य अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब केंद्रीय सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पद का अस्थायी प्रभार समनुदेशित कर सकेगी, जो धारा 7 में यथा उपबंधित अपेक्षित अर्हता और अनुभव को पूरा करता हो

और ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के कृत्यों का तब तक निर्वहन करेगा जब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त कोई नया अध्यक्ष या सदस्य, अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता या उस तारीख तक, जिसको अध्यक्ष या सदस्य अपने कृत्यों के प्रभार को फिर से नहीं संभाल लेता है ।

(7) अध्यक्ष या कोई सदस्य या तो अपनी पदावधि के दौरान या उस तारीख से जिसको वह ऐसे पद पर नहीं रह जाता है, एक वर्ष की अवधि के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय परिसंघ में या राष्ट्रीय खेल परिसंघ में या किसी संगठन, निकाय या ऐसी इकाई में जिसके मामले पर ऐसे अध्यक्ष या सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचार किया गया है, कोई नियोजन, किसी भी हैसियत में, वह जो भी हो, स्वीकार नहीं करेगा :

परंतु इसमें अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या पोषित किसी निकाय या संस्था में ऐसे व्यक्ति को नियोजन स्वीकार करने से निवारित करता है ।

(8) अध्यक्ष या कोई सदस्य,—

(क) केन्द्रीय सरकार को लिखित में कम से कम तीस मास की सूचना देकर अपने पद का त्याग कर सकेगा; या

(ख) केन्द्रीय सरकार, उसे पद से हटा सकेगी, यदि उसे—

(i) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ii) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(iii) जो शीरीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है ;

(iv) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(v) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; या

(vi) कोई डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया है :

परंतु किसी व्यक्ति को खंड (ख) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन उसके पद से इस प्रकार तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उस विषय में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(9) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें, वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

बोर्ड की बैठकें ।

8. (1) बोर्ड, ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों (जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) में कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जिसका बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा उपबंध किया जाए ।

(2) बोर्ड का प्रत्येक विनिश्चय यथासंभव, साधारण बहुमत के आधार पर होगा ।

(3) बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी, कि—

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है ।

बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी ।

9. (1) केंद्रीय सरकार, बोर्ड को ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो वह इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

(2) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें, वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

10. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, बोर्ड अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं और प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन और उनकी अनुपालना की मॉनीटरी सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) बोर्ड, केंद्रीय सरकार को परामर्श देगा और खेलों में डोपिंग रोधी को विनियमित करने और अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं और प्रतिबद्धताओं से संबंधित सिफारिशें करेगा ।

(3) बोर्ड, अभिकरण के क्रियाकलापों की निगरानी करेगा और अभिकरण से ऐसी जानकारी तथा रिपोर्ट मंगा सकेगा जो अपेक्षित हों, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित पर रिपोर्ट भी हैं :—

(क) डोपिंग रोधी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अभिकरण के क्रियाकलाप ;

(ख) खेलों में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के मामले ;

(ग) अधिसूचित या अंगीकृत डोपिंग रोधी उपायों या नीतियों का कार्यान्वयन ;

(घ) आगामी वर्षों के लिए इसके डोपिंग रोधी क्रियाकलापों की नीतिगत योजना ;

(ङ) कोई अन्य विषय, जो बोर्ड, खेलों में डोपिंग का उन्मूलन करने के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए समीचीन समझे ।

(4) बोर्ड, खेलों में डोपिंग का उन्मूलन करने के लिए, अभिकरण को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा, जो आवश्यक हो ।

(5) बोर्ड, अनुशासनिक पैनल और अपील पैनल से, उसके प्रचालनों पर ऐसी जानकारी मांग सकेगा और ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन डोपिंग नियम उल्लंघनों के संबंध में उनके कृत्यों को प्रभावी और समय पर निर्वहन करने हेतु आवश्यक हो :

परंतु ऐसे निदेश अनुशासनिक पैनल और अपील पैनल के प्रक्रियात्मक दक्षता तक सीमित होंगे और किसी भी दशा में, उनके निर्णयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।

अनुशासनिक पैनल ।

11. (1) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन डोपिंग रोधी नियम उल्लंघनों के परिणामों को अवधारित करने के प्रयोजन हेतु ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशासनिक पैनल का गठन करेगा ।

(2) अनुशासिनक पैनल निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :—

(क) एक अध्यक्ष, जो ऐसा विधि विशेषज्ञ हो जिसके पास विधि व्यवसायी के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो ;

(ख) चार उपाध्यक्ष, जो ऐसे विधि विशेषज्ञ हों जिनके पास विधि व्यवसायी के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव हो ;

(ग) पांच सदस्य, जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी हों, जिनके पास कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो ;

(घ) पांच सदस्य, जो कम से कम पांच वर्ष के लिए खेल प्रशासक रहे हों या सेवानिवृत्त विख्यात एथलीट हो ।

(3) अनुशासनिक पैनल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य बोर्ड द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, दो वर्ष की पदावधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे :

परंतु प्रत्येक सदस्य पुन:नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(4) यदि अनुशासनिक पैनल के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देता है या अन्यथा बोर्ड द्वारा ऐसे आधारों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, पैनल से हटा दिया जाता है, तो बोर्ड उस सदस्य, जिसके स्थान पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया गया है, की शेष अवधि के लिए ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा ।

(5) इस अधिनियम के अधीन डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के परिणामों की सुनवाई और उनको अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, अनुशासनिक पैनल के अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यों का सुनवाई पैनल बनाया जाएगा और ऐसा प्रत्येक पैनल अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके अध्यक्ष के रूप में, एक सदस्य, जो चिकित्सा व्यवसायी हो और अन्य सदस्य, जो कोई खेल प्रशासक या सेवानिवृत्त विख्यात एथलीट हो, से मिलकर बनेगा ।

अपील पैनल ।

12. (1) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपीलों की सुनवाई के प्रयोजनों के लिए, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अपील पैनल का गठन करेगा ।

(2) अपील पैनल निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :—

(क) एक अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो ;

(ख) एक उपाध्यक्ष, जो ऐसा विधि विशेषज्ञ हो जिसके पास विधि व्यवसायी के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो ;

(ग) दो सदस्य, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी हो, जिनके पास कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो ;

(घ) दो सदस्य, जो कम से कम दस वर्ष तक सेवानिवृत्त विख्यात एथलीट या खेल प्रशासक हैं या रहे हों ।

(3) अपील पैनल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य, बोर्ड द्वारा ऐसी

रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे :

परंतु प्रत्येक सदस्य पुन:नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(4) यदि पैनल के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देता है या अन्यथा बोर्ड द्वारा ऐसे आधारों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, पैनल से हटा दिया जाता है तो बोर्ड उस सदस्य, जिसके स्थान पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया गया है, की शेष अवधि के लिए ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा ।

(5) इस अधिनियम के अधीन अपीलों की सुनवाई के प्रयोजनों के लिए, अपील पैनल के अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यों का एक सुनवाई पैनल बनाया जाएगा और ऐसा प्रत्येक पैनल अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके अध्यक्ष के रूप में, एक सदस्य जो चिकित्सा व्यवसायी हो और अन्य सदस्य जो कोई खेल प्रशासक या सेवानिवृत्त विख्यात एथलीट हो, से मिलकर बनेगा ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

13. (1) बोर्ड,ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, केंद्रीय सरकार को धारा 10 के अधीन उसके कृत्यों के अनुसरण में उसके द्वारा किए गए उपायों, प्रस्तावों, शोधों और अन्य उपायों को अंतर्विष्ट करते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 4

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण का निगमन ।

14. (1) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण, जो सोसाइटी के रूप में स्थापित है और इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व उस रूप में कार्य कर रहा है, उसी नाम से एक निगमित निकाय का गठन किया जाता है और ऐसे निगमित निकाय के रूप में जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जिसे जंगम और स्थावर दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उस नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(2) अभिकरण का मुख्यालय दिल्ली में होगा ।

(3) अभिकरण की अध्यक्षता, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महानिदेशक के रूप में पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व नियुक्त महानिदेशक और उस रूप में पद धारण करने वाला व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुआ समझा जाएगा ।

(4) केंद्रीय सरकार, बोर्ड और महानिदेशक के साथ परामर्श करके उसके कृत्यों का निर्वहन करते हुए अभिकरण की सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारिवृंद की संख्या, प्रकृति और प्रवर्ग अवधारित करेगी और अभिकरण को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने वह ठीक समझे ।

(5) महानिदेशक, अधिकारियों और अभिकरण के कर्मचारिवृन्द को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(6) अभिकरण के क्रियाकलापों का निरीक्षण करने की शक्ति बोर्ड में निहित होगी ।

महानिदेशक ।

15. (1) महानिदेशक, केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा, जो सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता का व्यक्ति हो तथा ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखता हो, जो विहित की जाएं ।

(2) महानिदेशक, पूर्णकालिक आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसका ऐसी और अवधि के लिए, विस्तार किया जा सकेगा, जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे ।

(3) महानिदेशक, धारा 16 में विनिर्दिष्ट अभिकरण की शक्तियों और कृत्यों का निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(4) बोर्ड, महानिदेशक को, समय-समय पर ऐसी जिम्मेदारियां समनुदेशित कर सकेगा, जो वह खेल में डोपिंग के उन्मूलन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समीचीन समझे ।

(5) केंद्रीय सरकार, महानिदेशक के कार्यालय में उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण रिक्ति के उद्भूत होने की दशा में, ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, जब तक कोई नया महानिदेशक नियुक्त नहीं किया जाता है तब तक किसी अन्य व्यक्ति को महानिदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

(6) जब महानिदेशक, अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब केंद्रीय सरकार किसी अन्य व्यक्ति को, उस तारीख तक, जब महानिदेशक अपने कृत्यों के कार्यभार को पुन:संभालता है, महानिदेशक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

(7) महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार को लिखित में कम से कम तीस दिन की सूचना देकर अपने पद का त्याग कर सकेगा :

परंतु ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जब केंद्रीय सरकार द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है ।

(8) केंद्रीय सरकार, महानिदेशक को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय साबित कदाचार या अक्षमता या ऐसे अन्य आधार पर, ऐसे किसी आरोप के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, हटा सकेगी ।

(9) महानिदेशक, अभिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा ।

अभिकरण की शक्तियां और कृत्य ।

16. (1) अभिकरण, डोपिंग रोधी ऐसे नियमों, विनियमों और नीतियों को अंगीकृत करने तथा कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो डोप मुक्त खेल सुनिश्चित करने के लिए खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम के संवर्धन, समन्वयन और मानीटरी के लिए अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं और प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होते हैं ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने की मुख्य जिम्मेदारी अभिकरण की होगी और वह राष्ट्रीय स्तर पर नमूनों के संग्रहण हेतु निदेश दे

सकेगा, परीक्षण परिणामों का प्रबंध कर सकेगा और परिणाम प्रबंधन का संचालन कर सकेगा ।

(3) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अभिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात :—

(क) डोपिंग रोधी क्रियाकलापों की योजना बनाना, समन्वयन, कार्यान्वयन और मॉनीटरी करना, जिसके अंतर्गत प्रभावी परीक्षण और अतापता प्रबंधन भी है ;

(ख) डोपिंग रोधी नियम उल्लंघनों को रोकने के लिए उपाय करना ;

(ग) डोपिंग रोधी जागरुकता और पक्षसमर्थन का उपाय करना ;

(घ) किसी डोपिंग रोधी नियम उल्लंघनों का अन्वेषण करना और परिणाम प्रबंधन का संचालन करना ;

(ङ) ऐसे डोपिंग रोधी नियमों और नीतियों को अंगीकृत करना और उन्हें कार्यान्वित करना, जो अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं और प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं तथा ऐसे नियमों और नीतियों के अनुसार उनके कृत्यों का पालन करना ;

(च) अधिनियम के अनुसार अभिसमय का कार्यान्वयन करना ;

(छ) एथलीटों, एथलीट सहायक कार्मिक और अन्य व्यक्तियों, जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय खेल परिसंघ और अन्य खेल संगठन भी हैं, पर प्राधिकार का प्रयोग करके डोपिंग रोधी नियमों को प्रवृत्त कराना ;

(ज) डोपिंग रोधी अनुसंधान को बढ़ावा देना ;

(झ) विश्व डोपिंग रोधी अभिकरण, अन्य डोपिंग रोधी संगठन, राष्ट्रीय खेल परिसंघ और अन्तररष्ट्रीय परिसंघ के साथ समन्वय और सहयोग करना ;

(ञ) पोषणिक संपूरकों के विपणन और वितरण में सर्वोत्तम पद्धतियों की स्थापना से संबंधित विषयों में, जिनके अन्तर्गत उनकी विश्लेषणात्मक संरचना और गुणवत्ता आश्वासन संबंधी जानकारी भी है, संबद्ध प्राधिकारियों और पणधारियों के साथ समन्वय और सहयोग करना ;

(ट) खेल निकायों, प्रतियोगिता या आयोजन संचालित करने वाले पदाधिकारियों, अन्य डोपिंग रोधी संगठनों और अभिकरण के मध्य डोपिंग पदार्थो, डोपिंग पद्धतियों या किसी डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के प्रयोग से संबंधित सूचना को साझा करने और उसके मुक्त प्रवाह को सुकर बनाना ;

(ठ) अभिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों और अभिकरण द्वारा लगाए गए ऐसे अन्य व्यक्तियों या अभिकरणों के लिए आचार संहिता की स्थापना करना ;

(ड) भारत में खेल के लिए पोषणिक संपूरकों के विनिर्माण के लिए मानकों की स्थापना करना ;

(ढ) बोर्ड द्वारा विनियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट किसी ऐसे अन्य क्रियाकलाप को करना, जो खेल में डोपिंग का उन्मूलन करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समीचीन हो ।

(4) अभिकरण अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे विनियम बना

सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

समितियां गठित करने की शक्ति ।

17. अभिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य के निर्वहन के लिए ऐसी समितियां, जिनके अन्तर्गत चिकित्सीय छूट समिति, अन्वेषण समिति, नमूना संग्रहण और परीक्षण समिति, परिणाम प्रबंधन समिति और शिक्षा समिति भी हैं, जिन्हें वह ठीक समझे, ऐसी रीति में, जो इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, गठित कर सकेगी ।

अभिकरण द्वारा अन्वेषण दलों का गठन और विशेषज्ञों तथा वृतिकों का विनियोजन ।

18. (1) जहां अभिकरण ऐसा करना आवश्यक समझता है, वहां इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए, एक या अधिक अन्वेषण दल गठित कर सकता है जो ऐसे अधिकारियों या ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(2) अभिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए, अभिकरण की सहायता करने के लिए, विशेषज्ञों और वृतिकों, जो ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, को उतनी संख्या में और ऐसी रीति में, विनियोजित कर सकेगा, जितनी वह विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

अध्याय 5

डोपिंग नियंत्रण प्रक्रिया

प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति ।

19. (1) जहां अभिकरण के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी एथलीट या एथलीट सहायक कार्मिक या कोई अन्य व्यक्ति, जिसको यह अधिनियम लागू होता है, ने डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन किया है तो अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार— 1974 का 2

(क) यदि कोई डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तब इसका निरीक्षण करने, जांच करने और अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी सहायता के साथ, जो आवश्यक समझी जाती है, किसी भी स्थान पर, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकेगा ;

(ख) ऐसे किसी भी परिसर, जिसमें अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन किया गया है, या किया जा रहा है, या होने वाला है, की तलाशी ले सकेगा ;

(ग) यदि ऐसा अधिकारी यह विश्वास करता है कि यह ऐसे डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा या किसी डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन को रोकने या उसे कम करने के लिए अभिग्रहण आवश्यक है, तब किसी उपस्कर, युक्ति, सार, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य भौतिक वस्तु का अभिग्रहण कर सकेगा ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस धारा के अधीन अन्वेषण या कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया वह होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

नमूना संग्रहण और परीक्षण की शक्ति।

20. जहां अभिकरण के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी एथलीट ने डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन किया है, वहां ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे एथलीट का परीक्षण करने के लिए नमूना प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा ।

परिणाम प्रबंधन प्रक्रिया ।

21. (1) डोप परीक्षण प्रयोगशाला से किसी एथलीट के नमूने में किसी

प्रतिषिद्ध पदार्थ की उपस्थिति को दर्शाने वाली प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात्, अभिकरण ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, रिपोर्ट की आरंभिक जांच करेगा और यह सत्यापित करेगा यदि ऐसे पदार्थ के संबंध में ऐसे एथलीट को चिकित्सीय उपयोग से छूट प्रदान की गई है ।

(2) जहां, उपधारा (1) के अधीन जांच और सत्यापन के पश्चात्, अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि एथलीट को कोई चिकित्सीय उपयोग से छूट प्रदत्त नहीं की गई है, वहां वह ऐसी कार्यवाहियां और ऐसी रीति में करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

अनुशासनात्मक पैनल द्वारा सुनवाई और उसके परिणामों का अवधारण ।

22. (1) इस अधिनियम के अधीन डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन को किए जाने का प्राख्यान करने वाले एथलीट या अन्य व्यक्ति को अभिकरण द्वारा सूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यदि ऐसा एथलीट या अन्य व्यक्ति विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में सुनवाई के अपने अधिकार का अधित्यजन नहीं करता है, तो अभिकरण ऐसे मामले को ऐसे डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के परिणामों की सुनवाई और अवधारण के लिए अनुशासन पैनल को निर्दिष्ट करेगा ।

(2) अनुशासन पैनल किसी ऐसे मामले से, जो उसे निर्दिष्ट किया गया है, उद्भूत होने वाले सभी विवाद्यकों को सुनेगा और अवधारित करेगा और डोपिंग रोधी नियम उल्लंघनों के परिणामों का अवधारण करेगा ।

(3) प्रत्येक पक्षकार को, अपने स्वयं के खर्चे पर प्रतिनिधित्व करने का और एक दुभाषिया रखने का अधिकार होगा ।

(4) अनुशासन पैनल के पास, स्वविवेकानुसार, ऐसे मामलों में सहायता या उन पर सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ को नियुक्त करने की शक्ति होगी, जिसकी वह अपेक्षा करे ।

(5) ऐसे विनियमों के अध्यधीन, जो बोर्ड द्वारा बनाए जाएं, अनुशासन पैनल को अपनी ही प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(6) अनुशासन पैनल के विवेकाधिकार के अध्यधीन, कार्यवाहियों के प्रत्येक पक्षकार को, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार होगा जिसके अन्तर्गत साक्षियों को बुलाने और उनसे प्रश्न करने का अधिकार भी है ।

(7) कार्यवाहियों के पक्षकार, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे सभी दस्तावेजों, जिन पर विश्वास किया गया है, के साथ लिखित अनुरोध प्रस्तुत कर सकेंगे ।

(8) अनुशासन पैनल, सभी पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और उसके समक्ष रखे गए सभी साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात्, सर्वसम्मति से या बहुमत से किए गए लिखित में आदेश द्वारा धारा 6 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के परिणाम का अवधारण करेगा ।

(9) अनुशासन पैनल का विनिश्चय ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संसूचित किया जाएगा ।

अपील पैनल द्वारा अपील की सुनवाई ।

23. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी विनिश्चय से व्यथित है, जिसमें—

(क) धारा 5 के अधीन चिकित्सीय उपयोग छूट देने से इंकार ; या

(ख) धारा 6 के अधीन डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के लिए परिणामों

का अधिरोपण ;

(ग) ऐसा अन्य विनिश्चय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, सम्मिलित हैं,

अपील पैनल को ऐसे प्ररूप में, ऐसे समय के भीतर, और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अपील प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) ऐसे विनियमों के अध्यधीन, जो बोर्ड द्वारा बनाए जाए, अपील पैनल को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(3) अपील पैनल को अपने विवेकानुसार, ऐसे मामलों में सहायता या उन पर सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ को नियुक्त करने की शक्ति होगी ।

(4) प्रत्येक पक्षकार को स्वयं के खर्चे पर प्रतिनिधित्व करने का और एक दुभाषिया रखने का अधिकार होगा ।

(5) कार्यवाहियों के प्रत्येक पक्षकार को सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करने का, साक्षियों को बुलाने और उनकी परीक्षा करने और लिखित तथा मौखिक अनुरोध प्रस्तुत करने का अधिकार होगा ।

(6) अपील पैनल, यथासंभव शीघ्रता के साथ सुनवाई पूरी करेगा, और अनुशासन पैनल के आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर ऐसी अपील को निपटाने का प्रयास करेगा ।

(7) अपील पैनल सभी पक्षकारों को सुनने और उसके समक्ष रखे गए सभी साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात्, सर्वसम्मति से या बहुमत से लिखित आदेश द्वारा, अनुशासन पैनल के आदेश की या तो पुष्टि करेगा या उसे परिवर्तित या अपास्त करेगा ।

(8) अपील पैनल का विनिश्चय संबद्ध पक्षकारों को ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संसूचित किया जाएगा ।

(9) कोई व्यक्ति, जो अपील के लिए पैनल के विनिश्चय से व्यथित है ऐसे नियमों के अनुसार, जिनका खेल माध्यस्थम् न्यायालय द्वारा उपबंध किया जाए, खेल के लिए माध्यस्थम् न्यायालय को अपील प्रस्तुत कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "खेल माध्यस्थम् न्यायालय" से माध्यस्थम् के माध्यम से खेल संबंधी विवादों को निपटाने के लिए 1984 में स्थापित एक अन्तरराष्ट्रीय निकाय अभिप्रेत है जिसका मुख्यालय लुसाने, स्विटरलैण्ड में है ।

अध्याय 6

वित्त, लेखा, संपरीक्षा और रिपोर्ट

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

24. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त विधि द्वारा संसद् द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् ऐसी धनराशियां मंजूर कर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु और अभिसमय के अधीन अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुपालन हेतु उपयुक्त समझे और ऐसी निधियों का, धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन स्थापित बोर्ड, अभिकरण और राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् संबद्ध निकाय कहा गया है) की प्रशासनिक और प्रचालनात्मक अपेक्षाओं पर

उपगत सभी व्ययों को ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

लेखा और संपरीक्षा ।

25. (1) संबद्ध निकाय, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेंगे और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित किया जाए ।

(2) संबद्ध निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय संबद्ध निकाय द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और संबद्ध निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो साधारणतया भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में प्राप्त होते हैं और उसे विशिष्ट रूप से, बहियां, लेखे संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज तथा कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और संबद्ध निकायों के कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित संबद्ध निकायों के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, वार्षिक रूप से संबद्ध निकायों द्वारा केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार, संपरीक्षा रिपोर्ट को इसके प्राप्त होने के पश्चात्, यथासंभवशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

डोप परीक्षण प्रयोगशालाएं ।

26. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले उस रूप में स्थापित और क्रियाशील राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, इस अधिनियम के अधीन स्थापित मुख्य डोप परीक्षण प्रयोगशाला समझी जाएगी और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कार्य करती रहेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार—

(क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन डोप परीक्षण प्रयोगशाला को सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए भारत के भीतर अवस्थित एक या अधिक प्रयोगशालाओं या अभिकरणों को डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता दे सकेगी ;

(ख) एक या अधिक राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाएं, जिनके अन्तर्गत डोपिंग रोधी विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में शोध करने के लिए प्रयोगशालाएं भी हैं, स्थापित कर सकेगी :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन मान्यताप्राप्त या स्थापित प्रत्येक डोप परीक्षण प्रयोगशाला, यदि अपेक्षित हो, विश्व डोपिंग रोधी अभिकरण या ऐसे अन्य प्रत्यायनकर्ता निकायों का प्रत्यायन अभिप्राप्त कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन डोप परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में बने रहने के लिए अपेक्षित प्रत्यायनों को एक शर्त के रूप में बनाए रखेगी ।

(3) इस धारा के अधीन स्थापित या मान्यताप्राप्त प्रत्येक राष्ट्रीय डोप परीक्षण

प्रयोगशाला और अन्य डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं को—

(i) अन्तरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्रदान नहीं किए गए किसी भी खेल परिसंघ या खेल आयोजन के लिए नमूने का परीक्षण करने ;

(ii) किसी भी राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय आयोजन से भिन्न खेलों का नमूना विश्लेषण करने ;

(iii) कोई अन्य परीक्षण या नमूना विश्लेषण करने, जो विहित किए जाएं,

का प्राधिकार प्राप्त होगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी—

(क) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और अनुभव ;

(ख) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारिवृन्द को संदेय वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ;

(ग) डोप परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, मान्यता, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए मानक और ऐसी डोप परीक्षण प्रयोगशाला को मान्यता प्रदान करने की रीति;

(घ) डोप परीक्षण प्रयोगशाला के कृत्य, विश्लेषण या परीक्षणों और अन्य मानक प्रचालक प्रक्रियाओं के लिए नमूनों की उक्त प्रयोगशाला में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ।

एथलीट का डाटा और डाटाबेस का अनुरक्षण ।

27. (1) अधिनियम के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए और लागू डाटा निजता विनियमों के अनुसार, अभिकरण को निम्नलिखित निजी डाटा संगृहीत करने, उसका उपयोग करने और प्रक्रमण करने की शक्ति प्राप्त होगी, अर्थात्:—

(क) एथलीट का लिंग;

(ख) अधिनियम के अधीन किसी एथलीट द्वारा किए गए डोपिंग रोधी नियम उल्लंघनों की सूची और ऐसे उल्लंघन के ब्यौरे;

(ग) एथलीट का चिकित्सा इतिहास;

(घ) एथलीट के ठौर-ठिकाने की जानकारी;

(ङ) कोई अन्य निजी डाटा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) अभिकरण, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट निजी डाटा के संग्रहण, उसके उपयोग, प्रक्रमण और प्रकटीकरण संबंधी प्रक्रिया को शासित करने के लिए विनियम बना सकेगा ।

(3) अभिकरण, अभिकरण अनुशासन पैनल और अपील पैनल द्वारा अधिनिर्णीत सभी अनुशास्तियों और अनुशास्तियों के ऐसे अन्य ब्यौरों को लेखबद्ध करने के लिए ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, डाटाबेस की स्थापना करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा ।

(4) अभिकरण, डोपिंग रोधी विषय, जिसमें खेल, उल्लंघन किए गए डोपिंग रोधी नियम, डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन करने वाले एथलीट या अन्य व्यक्ति का नाम, प्रतिषिद्ध पदार्थ या अन्तर्वलित प्रतिषिद्ध पद्धति (यदि कोई हो) और

ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अधिरोपित परिणाम भी सम्मिलित है, का प्रबंधन सार्वजनिक रूप से प्रकट करेगा ।

अधिनियम, नियमों और विनियमों का अन्य एथलीटों और खेल निकायों, आदि को लागू होना।

28. (1) इस अधिनियम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम ऐसे अन्य एथलीटों को या ऐसे अन्य स्तर पर खेल निकायों या प्रतिस्पर्धा या आयोजन को लागू होंगे, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसको यह अधिनियम उपधारा (1) के अधीन लागू किया जाता है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों द्वारा आबद्ध होगा और उनका अनुपालन करना उनकी बाध्यता होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

29. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :—

(क) संरक्षित व्यक्तियों और धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन ऐसे व्यक्तियों पर इस अधिनियम के उपबंधों का विस्तार और उनको लागू होने की रीति ;

(ख) धारा 7 की उपधारा (9) के अधीन, बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ;

(ग) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन, बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ;

(घ) प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ;

(ङ) धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन अभिकरण के महानिदेशक, अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ;

(च) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन महानिदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और अनुभव ;

(छ) वह प्ररूप, जिसमें धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा ;

(ज) वह रीति, जिसमें धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कार्यों का संपादन करेगी ;

(झ) धारा 26 की उपधारा (3) के खंड (iii) के अधीन अन्य जांच या नमूनों का विश्लेषण करने की रीति;

(ञ) धारा 26 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारिवृन्द के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और अनुभव ;

(ट) धारा 26 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारिवृन्द को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(ठ) धारा 26 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, मान्यता, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए मानक

और ऐसी प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करने की रीति;

(ड) धारा 26 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन डोप परीक्षण प्रयोगशाला के कृत्य और विश्लेषण या परीक्षणों के लिए नमूनों का उक्त प्रयोगशाला को प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया;

(ण) अभिसमय के अधीन देश की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

बोर्ड द्वारा विनियम बनाने की शक्ति ।

30. बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सभी या किन्हीं निम्नलिखित विषयों के लिए जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, विनियम बना सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड (जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है) की बैठकों पर कारबार के संव्यवहार के लिए बैठकों और प्रक्रिया के लिए समय और स्थान ;

(ख) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अनुशासन पैनल के गठन की रीति ;

(ग) अनुशासन पैनल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति की रीति और वे शर्तें जिनके अध्यधीन ऐसी नियुक्तियां धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन की जाएंगी ;

(घ) वे आधार, जिन पर धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन अनुशासन पैनल के सदस्य को हटाया जा सकेगा ;

(ङ) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन अपील पैनल को गठित करने की रीति ;

(च) अपील पैनल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति की रीति और वे शर्तें जिनके अध्यधीन, ऐसी नियुक्तियां धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन की जाएंगी ;

(छ) वे आधार, जिन पर धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन अपील पैनल के सदस्य को हटाया जा सकेगा ;

(ज) धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (ढ) के अधीन खेल में डोपिंग का उन्मूलन करने के लिए अभिकरण द्वारा किए जाने वाले अन्य क्रियाकलाप;

(झ) धारा 22 की उपधारा (5) के अधीन अनुशासन पैनल द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ञ) वह रीति, जिसमें और वह समय जिसके भीतर धारा 22 की उपधारा (7) के अधीन, लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए जा सकेंगे ;

(ट) धारा 22 की उपधारा (9) के अधीन अनुशासन पैनल के विनिश्चय को संसूचित करने की रीति;

(ठ) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अन्य विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील फाइल की जा सकेगी, और वह प्ररूप तथा रीति, जिसमें और वह समय जिसके भीतर अपील फाइल की जा सकेगी ;

(ड) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन अपील पैनल द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ढ) धारा 23 की उपधारा (8) के अधीन अपील पैनल के विनिश्चय को

संसूचित करने की रीति;

(ण) ऐसा कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए या अभिसमय के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए किया जाना है या किया जाए, उन मामलों के सिवाय जिनके लिए अभिकरण को धारा 31 के अधीन नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है ।

अभिकरण द्वारा विनियम बनाने की शक्ति ।

31. (1) अभिकरण, अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं और प्रतिबद्धताओं जिनमें संहिता भी है, की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए निम्नलिखित मामलों पर विनियम बना सकेगी :—

(क) परीक्षण और विश्लेषण तथा नमूना संग्रहण के लिए प्रक्रिया, पद्धतियां और मानक ;

(ख) नमूनों का संग्रहण, भंडारण और प्रतिधारण तथा नमूनों के संबंध में परिणाम प्रबंधन के लिए प्रक्रिया और मानक ;

(ग) डोपिंग रोधी नियम उल्लंघनों का अन्वेषण और अवधारण तथा डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के लिए अनुशास्तियों के अधिरोपण के लिए प्रक्रिया ;

(घ) नकारात्मक विश्लेषणात्मक निष्कर्षों तथा प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्षों के लिए प्रक्रिया, और ऐसे किसी एथलीट या अन्य व्यक्ति, जिसके बारे में डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन किए जाने का अभिकथन किया गया है, के अनंतिम निलबंन को शासित करने वाले सिद्धान्त ;

(ङ) चिकित्सीय उपयोग की छूटें निर्धारित और प्रदान करने के लिए प्रक्रियाएं, पद्धतियां और मानक ;

(च) प्रतिबंधित एथलीट के पुनः प्रवेश के लिए प्रक्रिया;

(छ) एथलीटों की अंतरंग प्रतिस्पर्धा परीक्षण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, परीक्षण के लिए कार्य पद्धति और एथलीटों की अंतरंग प्रतिस्पर्धा परीक्षण से संबंधित कोई अन्य मामले ;

(ज) प्रतिस्पर्धा बाह्य परीक्षण के लिए अर्हक एथलीटों के लिए प्रक्रिया और एथलीटों के बाह्य प्रतिस्पर्धा परीक्षण करने संबंधी प्रक्रिया, ऐसे एथलीटों के ठौर-ठिकाने का डाटा संग्रहण और एथलीटों के बाह्य प्रतिस्पर्धा परीक्षण से संबंधित कोई भी मामले ;

(झ) खेल डोपिंग तथा परीक्षण के संबंध में शोध और वकालत के संवर्धन के लिए उपाय और डोपिंग की बुराइयों के संबंध में एथलीटों, एथलीट सहायक कार्मिकों, अन्य व्यक्तियों और अन्य संबद्ध पणधारियों को जागरूक बनाने के लिए पद्धतियां ;

(ञ) खेल के नैतिक मूल्यों के प्रति डोपिंग के नुकसान और डोपिंग के स्वास्थ्य संबंधी परिणामों के संबंध में अद्यतन और सही जानकारी प्रदान करने के लिए डोपिंग रोधी नियंत्रण क्रियाकलापों और डोपिंग रोधी शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की रीति ;

(ट) इस अधिनियम के अधीन किसी सशक्त व्यक्ति द्वारा शक्ति के

किसी भी प्रयोग के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा परिसर की तलाशी और अभिग्रहण, नमूनों के संग्रहण और सूचना, ठौर-ठिकाने का डाटा संग्रहण संबंधी प्रक्रिया और जानबूझकर विलंब, विघ्न विनाश या मिथ्या सूचना के उपबंध के परिणाम ;

(ठ) खेल में डोपिंग के उन्मूलन के लिए उपाय करने की रीति ;

(ड) वह रीति, जिसमें खेल निकायों, प्रतिस्पर्धा या आयोजन संचालित करने वाले अधिकारी और अन्य डोपिंग रोधी संगठन, डोपिंग पदार्थों के उपयोग, डोपिंग पद्धतियों या किसी भी डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन से संबंधित जानकारी अभिकरण के साथ साझा कर सकेंगे ;

(ढ) वह रीति, जिसमें बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर अभिकरण द्वारा विचार किया जा सकेगा ।

(2) अभिकरण, विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या उनमें से किन्हीं विषयों पर, अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विनियम बना सकेगा—

(क) धारा 2 के खंड (यक) के अधीन प्रतिषिद्ध सूची में प्रतिषिद्ध पदार्थ और प्रतिषिद्ध पद्धतियां ;

(ख) धारा 4 के खंड (घ) के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के अधीन अन्य लोप या असफलताएं ;

(ग) धारा 4 के खंड (ञ) के अधीन एथलीट सहायक कार्मिकों के साथ प्रतिषिद्ध सहचारिता ;

(घ) धारा 4 के खंड (ठ) के अधीन अन्य परिस्थितियां, या अन्य कार्यो में लगना या आचरण, जो डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन की कोटि में आता है ;

(ङ) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन पर विचार करने की रीति और वह मानदंड जिस पर विचार किया जाना है ;

(च) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन चिकित्सीय उपयोग की छूटें प्रदान करने या प्रदान करने से इंकार करने की रीति;

(छ) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन परिणामों की निरर्हता अधिरोपित करने की रीति ;

(ज) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन, किसी प्रतिस्पर्धा या आयोजन या अन्य गतिविधि या वित्त पोषण में भाग लेने की अपात्रता अधिरोपित करने की रीति और ऐसी अपात्रता की अवधि ;

(झ) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी प्रतिस्पर्धा या गतिविधि में भाग लेने से अनंतिम निलंबन अधिरोपित करने की रीति;

(ञ) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन, वित्तीय मंजूरी जिसमें खर्चों की आनुपातिक वसूली भी है, अधिरोपित करने की रीति;

(ट) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन अन्य परिणाम;

(ठ) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन खेल टीम और संरक्षित व्यक्तियों के लिए डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के परिणाम;

(ड) धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (ठ) के अधीन अभिकरण के

अधिकारियों और कर्मचारियों तथा अभिकरण द्वारा विनियोजित ऐसे अन्य व्यक्तियों या अभिकरणों के लिए आचार संहिता;

(ढ) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन अभिकरण के कृत्यों का प्रभावी निर्वहन;

(ण) धारा 17 के अधीन समितियां गठित करने की रीति;

(त) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन, अभिकरण द्वारा विनियोजित किए जाने वाले विशेषज्ञों और वृत्तिकों की संख्या, उनके द्वारा धारण किए जाने वाली अर्हताएं और अनुभव, और वह रीति, जिसमें उन्हें विनियोजित किया जा सकेगा ;

(थ) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन अन्वेषण या कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया ;

(द) धारा 20 के अधीन परीक्षण के लिए नमूनें प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया और रीति ;

(ध) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन डोप परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट की आरंभिक जांच करने की रीति ;

(न) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन की जाने वाली कार्रवाइयां और वह रीति जिसमें ऐसी कार्रवाई की जा सकेगी ;

(प) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन सुनवाई के अधिकार का अधित्यजन करने की रीति ;

(फ) धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन अन्य निजी डाटा;

(ब) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन व्यक्तिगत डाटा के संग्रहण, उपयोग, प्रक्रमण और प्रकटन की प्रक्रिया ;

(भ) धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन अनुशास्तियों के अन्य ब्यौरे, और डाटाबेस स्थापित करने और अनुरक्षित करने की रीति ;

(म) धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन प्रकटन को सार्वजनिक करने के लिए प्रक्रिया ;

(य) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

32. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम और विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम और विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम और विनियम निष्प्रभावी हो जाएगा । किन्तु नियम और विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

33. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन किया गया ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

34. इस अधिनियम के प्रारंभ से ही—

(क) सोसाइटियों अर्थात्, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला विघटित हो जाएगी ;

(ख) किसी अनुबंध या अन्य लिखत में सोसाइटी के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के अधीन स्थापित, यथास्थिति, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण या राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा ;

(ग) सोसाइटी की या उससे संबंधित सभी संपत्तियां, चल और अचल, इस अधिनियम के अधीन स्थापित, यथास्थिति, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण या राष्ट्रीय डोपिंग रोधी प्रयोगशाला में निहित हो जाएंगी ;

(घ) सोसाइटी के सभी अधिकार और दायित्व इस अधिनियम के अधीन स्थापित, यथास्थिति, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण या राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को अंतरित हो जाएंगे और उनके अधिकार और दायित्व होंगे ;

(ङ) सोसाइटी द्वारा, ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व, नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, यथास्थिति, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण या राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में उसी पदावधि तक, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित पद धारण उसी प्रकार करेगा, जिसे उसने वैसे ही धारण किया होता, यदि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया होता और वह ऐसा करना तब तक जारी रखेगा जब तक उसके नियोजन को समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक ऐसी पदावधि, पारिश्रमिक और निबंधनों और शर्तों को इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं विनियमों द्वारा सम्यक्तः परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है :

परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो उसके नियोजन को, यथास्थिति, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण या राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा उस कर्मचारी के साथ हुई संविदा के निबंधनों के अनुसार या यदि इस निमित्त उनमें कोई उपबंध नहीं किया गया है तो, यथास्थिति, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण या राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा उसे स्थायी कर्मचारियों की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक के और अन्य कर्मचारियों की दशा में एक मास के पारिश्रमिक के समतुल्य प्रतिकर का संदाय करके समाप्त किया जा सकेगा ;

(च) यदि सोसाइटी द्वारा या सोसाइटी के विरुद्ध कोई कार्यवाहियां जिनके अंतर्गत कोई अनुशासनिक, माध्यस्थम्, अपील या विधिक कार्यवाहियां भी हैं, चाहे वे किसी भी प्रकृति की हों लंबित हैं, तो इस अधिनियम के अधीन उनका सोसाइटी के निगमन के कारण उपशमन नहीं किया जाएगा या उन्हें जारी रखना समाप्त नहीं किया जाएगा, किंतु ऐसी कार्यवाहियों का, यथास्थिति, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी

अभिकरण या राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा या उनके विरुद्ध उसी रीति में तथा उस परिमाण तक जारी रह सकेंगी या प्रवृत्त हो सकेंगी मानो वे सोसाइटी द्वारा जारी रहती या सोसाइटी के विरुद्ध प्रवृत्त हुई होती यदि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया होता ;

(छ) ऐसे प्रारंभ से पूर्व बनाए गए नियम और विनियम, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से संगत हैं, तब तक लागू होते रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन नए नियम और विनियम नहीं बना दिए जाते हैं ।

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 19)

[19 दिसम्बर, 2022]

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2001 का 52 **2.** ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन ।

(i) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ग) "भवन" से ऐसी कोई संरचना या निर्माण अथवा संरचना या

निर्माण का भाग अभिप्रेत है—

(i) जो धारा 14 के खंड (त) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा और धारा 15 के खंड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण तथा संधारणीय निर्माण संहिता से संबंधित नियमों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात् निर्मित है ;

(ii) जिसमें 100 किलोवाट (के डब्ल्यू) का संयोजित भार या 120 किलोवाट ऐम्पियर (के वी ए) की मांग संविदा है ; और

(iii) जिसका वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए या किसी कार्यालय भवन के रूप में या आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित है:

परंतु राज्य सरकार, उपरोक्त विनिर्दिष्ट भार या मांग से निम्न संयोजित भार या मांग संविदा विनिर्दिष्ट कर सकेगी ;';

(ii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(घक) "कार्बन साख प्रमाणपत्र" से धारा 14कक के अधीन केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(घख) "कार्बन साख व्यापार स्कीम" से धारा 14 के खंड (ब) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए स्कीम अभिप्रेत है ;' ;

(iii) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ज) "ऊर्जा" से जीवाश्म ईंधनों या गैर-जीवाश्म स्रोतों या नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का कोई भी रूप अभिप्रेत है ;';

(iv) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(झक) "ऊर्जा संपरीक्षक" से कोई ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है जिसके पास धारा 14 के खंड (ड) के अधीन विहित अर्हताएं हैं ;';

(v) खंड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ञ) "ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय निर्माण संहिता" से वह संहिता अभिप्रेत है, जो ऊर्जा दक्षता और इसके संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग तथा किसी निर्माण हेतु अन्य हरित निर्माण अपेक्षाओं के लिए मानदंड और मानक प्रदान करता है ;';

(vi) खंड (थ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(थक) "रजिस्ट्रीकृत इकाई" से ऐसी कोई इकाई अभिप्रेत है जिसमें धारा 14 के खंड (ब) के अधीन विनिर्दिष्ट कार्बन साख व्यापार स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकृत अभिहित उपभोक्ता भी सम्मिलित हैं ;';

(vii) खंड (न) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(नक) "यान" का वही अर्थ होगा जो उसका मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (28) में है ;

1988 का 59

(नख) "जलयान" के अन्तर्गत अंतर्देशीय जल या तटीय जल में प्रयुक्त या प्रयोग किए जाने के लिए सक्षम प्रत्येक प्रकार के जलयान सम्मिलित हैं जिसके अंतर्गत गैर-विस्थापन यान, जलस्थलीय यान, विंग-इन-ग्रांउड यान, फेरी, रोल-आन-रोल-आफ जलयान, अंतर्वेष्टिक जलयान, टैंकर जलयान, गैस वाहक या प्लवमान इकाई या परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले डम्ब जलयान, अंतर्देशीय जल और तटीय जल के भीतर या उसके माध्यम से भंडारण या आवासन सहित कोई पोत, नाव, चलत जलयान, टग, बजरा या अन्य प्रकार के जलयान भी हैं ;'।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,— धारा 4 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में "कम से कम बीस, किन्तु छब्बीस से अनधिक" शब्दों के स्थान पर "कम से कम इकतीस, किन्तु सैंतीस से अनधिक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(छक) सचिव, भारत सरकार, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक है—पदेन सदस्य ;

(छख) सचिव, भारत सरकार, जो आवासन और शहरी कार्य से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक है—पदेन सदस्य ;

(छग) सचिव, भारत सरकार, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक है—पदेन सदस्य ;

(छघ) सचिव, भारत सरकार, जो इस्पात से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक है—पदेन सदस्य ;

(छङ) सचिव, भारत सरकार, जो नागरिक उड्डयन से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक है -पदेन सदस्य ;

(छच) सचिव, भारत सरकार, जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक है—पदेन सदस्य ;

(छछ) रेलवे बोर्ड का सदस्य (ऊर्जा का भारसाधक), रेल मंत्रालय—पदेन सदस्य ;";

(ii) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(डक) महानिदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय—पदेन सदस्य ;";

(iii) खंड (ण) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ण) पांच विद्युत क्षेत्रों से पांच राज्यों के ऊर्जा या विद्युत विभाग से प्रत्येक से एक पदधारी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा—सदस्य;";

(iv) खंड (त) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(त) केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से जो केन्द्रीय सरकार की राय में, उद्योग, उपस्कर और साधित्र विनिर्माता, वास्तुविद्, संस्थानों तथा उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने में विशेषज्ञ या सक्षम हैं, सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले सात से अनधिक उतने व्यक्ति जो विहित किए जाएं—सदस्य;''।

धारा 13 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 13 की, उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) में, "धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित किए जाने के लिए अपेक्षित प्रक्रिया के लिए मान और ऊर्जा उपभोग मानक" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के पश्चात् "तथा इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन विहित किए गए अपेक्षित अन्य मानकों की" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) में, ''ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता'' शब्दों के स्थान पर ''ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय निर्माण संहिता'' शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ज) में, "संप्रवर्तन" शब्द के पश्चात् "या वचनबंध" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) खंड (न) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(नक) केन्द्रीय सरकार के परामर्श से किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन के साथ सहयोग करना या ब्यूरो के समान उद्देश्यों वाले निकायों की सदस्यता प्राप्त करना ;

"(नख) ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ब्यूरो के किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए देश में या देश से बाहर किसी अभिकरण को प्राधिकृत करना ;

(नग) धारा 14 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए नमूनों को परीक्षण करने के लिए वचनबंध करना या, ऐसी तकनीकी अर्हताओं

जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,को पूरा करने वाले किसी अन्य निकाय को प्राधिकृत करना ;

(नघ) अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा दक्षता और कार्बन साख व्यापार क्रियाकलापों को प्रोन्नत करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को पैनल में रखना ;

(नङ) धारा 14 में खंड (ब) के अधीन अधिसूचित की जाने वाली कार्बन साख व्यापार स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अपेक्षाओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना ;

(नच) ऊर्जा या फीडस्टाक के रूप में अभिहित उपभोक्ताओं द्वारा गैर-जीवाश्म स्रोतों के उपभोग के न्यूनतम हिस्से की सिफारिश करना ;"।

नई धारा 13क का अंतःस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

प्रवंचक नाम, आदि के उपयोग का प्रतिषेध ।

"13क. (1) कोई भी व्यक्ति, ब्यूरो की पूर्व अनुमति के बिना, किसी ऐसे नाम का उपयोग नहीं करेगा, जो ब्यूरो के नाम से इतना मिलता-जुलता हो कि जनता धोखे में या धोखे की संभावना में पड़ जाए ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, जो ब्यूरो के नाम से मिलता-जुलता कोई नाम या चिह्न धारण करता हो, को रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा ।"।

धारा 14 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(i) खंड (क) में "या साधित्र" शब्दों के स्थान पर "साधित्र, यान, जलयान, औद्योगिक इकाई, निर्माण या स्थापन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "उपस्करों या साधित्रों के वर्ग" के पश्चात् "या यान, जलयान, औद्योगिक इकाई, निर्माण या स्थापन," शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी उपस्कर या साधित्र या यान या जलयान के विनिर्माण या आयात को तब तक के लिए प्रतिषिद्ध कर सकेगी, जब तक कि यह खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट ऊर्जा उपभोग के मानकों के अनुरूप न हो :

परन्तु खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई औद्योगिक इकाई, अपने प्रचालनों को तब तक बंद रखेगी जब तक कि वह खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के लिए मानदंडों या ऊर्जा उपभोग के मानकों के अनुरूप न हो :

परंतु यह और कि खंड (क) के अधीन प्रक्रियाओं के लिए मानदंडों और ऊर्जा उपभोग के मानकों की अधिसूचना की तारीख से, ऐसे विनिर्माण या आयात को प्रतिषिद्ध करने वाली कोई अधिसूचना—

(i) ऐसे उपस्कर या साधित्र या यान या जलयान के मामले में छह मास की अवधि के भीतर; और

(ii) औद्योगिक इकाई की बन्दी के लिए दो वर्ष की अवधि के भीतर,

जारी नहीं की जाएगी :

परंतु यह भी कि केन्द्रीय सरकार, बाजार शेयर और उपस्कर या साधित्र या यान या जलयान पर समाघात करने वाले प्रौद्योगिकीय विकास को ध्यान में रखते हुए और कारणों को लेखबद्ध करते हुए, उपरोक्त में निर्दिष्ट छह मास की उक्त अवधि को, छह मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी ;";

(iv) खंड (च) में, "ऊर्जा गहनता उद्योगों" शब्दों के पश्चात् "और अन्य स्थापनों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(v) खंड (ज) में, "ऊर्जा गहन उद्योगों" शब्दों के पश्चात् "और अन्य स्थापनों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(vi) खंड (ठ) में "ऊर्जा प्रबंधक" शब्दों के स्थान पर "ऊर्जा संपरीक्षक या ऊर्जा प्रबंधक" शब्द रखे जाएंगे ;

(vii) खंड (त), खंड (थ) और खंड (द) में "ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता" शब्दों के स्थान पर "ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय निर्माण संहिता" शब्द रखे जाएंगे;

(viii) खंड (फ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ब) कार्बन साख व्यापार स्कीम को विनिर्दिष्ट करना ;

(भ) ऊर्जा या फीडस्टाक के रूप में अभिहित उपभोक्ताओं द्वारा गैर-जीवाश्म स्रोतों के उपभोग का न्यूनतम हिस्सा विनिर्दिष्ट करना, परंतु उपभोग के विभिन्न हिस्से को विभिन्न अभिहित उपभोक्ताओं के लिए गैर-जीवाश्म स्रोतों के विभिन्न प्रकारों के लिए विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे ;"।

धारा 14क का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 14क में,—

(क) पार्श्व टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र का जारी किया जाना ।" ;

(ख) उपधारा (1) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात् "या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अभिकरण" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कोई अन्य व्यक्ति भी स्वैच्छिक आधार पर ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र या कार्बन प्रत्यय प्रमाणपत्र क्रय कर सकेगा ।"।

नई धारा 14कक का अंतःस्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 14क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"14कक. (1) केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अभिकरण, ऐसी रजिस्ट्रीकृत इकाई को कार्बन प्रत्यय प्रमाणपत्र जारी कर सकेगी, जो कार्बन प्रत्यय व्यापार स्कीम की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है । कार्बन प्रत्यय प्रमाणपत्र जारी करना ।

(2) रजिस्ट्रीकृत इकाई, धारा 14 के खंड (ब) के अधीन विनिर्दिष्ट कार्बन प्रत्यय व्यापार स्कीम के अनुसार कार्बन प्रत्यय प्रमाणपत्र क्रय करने या विक्रय करने का हकदार होगी ।"।

9. मूल अधिनियम की धारा 15 में,— धारा 15 का संशोधन ।

(i) खंड (क) में,—

(I) "ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता" के स्थान पर जहां-जहां ये शब्द आए हों उनके स्थान पर "ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय निर्माण संहिता" शब्दों को रखा जाएगा ;

(II) "भवनों में ऊर्जा के उपयोग" शब्दों के पश्चात् "और राज्य की उपविधियों का निर्माण करते हुए इसे लागू करने" शब्दों को रखा जाएगा ;

(ii) खंड (ख) में, "ऊर्जा सरंक्षण निर्माण संहिता" के स्थान पर "ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय निर्माण संहिता" शब्दों को रखा जाएगा ;

(iii) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(जक) ऐसी फीस उद्‌गृहीत कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन ऊर्जा के प्रभावी उपयोग और इसके संरक्षण की अभिवृद्धि करने के लिए अभिहित अभिकरण द्वारा दी गई सेवाओं के लिए विहित की जाए;"।

10. मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 15क का अंतःस्थापन ।

"15क. अभिहित अभिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाए, प्राक्कलित प्राप्तिया और व्यय दर्शाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा और इसे राज्य सरकार को भेजेगा, जिसे वार्षिक बजट में शामिल किया जाएगा ।"। अभिहित अभिकरण का बजट ।

11. मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 16 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"16. (1) राज्य के भीतर ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण के संप्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए एक निधि का गठन किया जाएगा जिसे राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि कहा जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा— राज्य सरकार द्वारा निधि की स्थापना ।

(क) वे सभी अनुदान और उधार, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन या व्यष्टिक द्वारा दिए जाएं ;

(ख) राज्य सरकार या अभिहित अभिकरण द्वारा इस अधिनियम के

अधीन प्राप्त सभी फीसें ;

(ग) राज्य सरकार या अभिहित अभिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियां, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं ।

(2) निधि का उपयोजन,—

(क) अभिहित अभिकरण के कृत्यों के निर्वहन में;

(ख) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए,

व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन सृजित निधि का प्रशासन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाए ।"।

धारा 26 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌:—

शास्ति ।

"26. (1) यदि कोई व्यक्ति, धारा 14 के खंड (ज) या खंड (झ) या खंड (ट) या खंड (ठ) अथवा धारा 15 के खंड (ग) या खंड (ज) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह दस लाख रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा :

परन्तु असफलताओं के जारी रहने की दशा में, वह व्यक्ति ऐसी अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा, जो प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, जिसके दौरान ऐसी असफलताएं जारी रहती हैं ।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति धारा 14 के खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह दस लाख रुपए की शास्ति के अतिरिक्त, ऐसी अतिरिक्त शास्ति का भी दायी होगा जो प्रत्येक साधित्र या उपस्कर के लिए, जिसके संबंध में अननुपालन किया गया है, पांच हजार रुपए से अनधिक होगी किन्तु वह दो हजार रुपए से कम नहीं होगी :

परन्तु जहां ऐसा अननुपालन किसी औद्योगिक इकाई या जलयान से संबंधित है, तो वह अतिरिक्त शास्ति का भी दायी होगा जो विहित मानदंडों के आधिक्य में उपभोग किए गए प्रत्येक समतुल्य मीट्रिक टन तेल की कीमत के दुगने से अनधिक होगी :

परन्तु यह और कि यदि किसी यान का विनिर्माता ईंधन उपभोग मानदंडों का अनुपालन करने में असफल होता है, तो वह निम्नानुसार तत्स्थानी वर्ष में विक्रय किए गए यानों की प्रति यूनिट अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, अर्थात्‌:—

(i) 0.2 लीटर प्रति 100 किलोमीटर तक मानदंडों का अनुपालन न करने पर प्रति यान पच्चीस हजार रुपए;

(ii) 0.2 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से अधिक मानदंडों का अनुपालन न करने पर प्रति यान पचास हजार रुपए।

(3) यदि कोई व्यक्ति, धारा 14 के खंड (ढ) और खंड (भ) के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह प्रत्येक ऐसी असफलता के लिए दस लाख रूपए से अनधिक शास्ति का दायी होगा :

परन्तु वह ऐसी अतिरिक्त शास्ति का भी दायी होगा जो इस अधिनियम के अधीन विहित प्रत्येक समतुल्य मीट्रिक टन तेल की कीमत के दो गुने से अनधिक होगी जो विहित मानदंडों के आधिक्य में है ।

(4) यदि कोई व्यक्ति, धारा 13क की उपधारा (1) के उपबंधों का पालन करने में या धारा 52 के अधीन किसी सूचना को प्रदान करने में असफल रहता है तो वह पहली बार ऐसे अननुपालन या असफलता पर पचास हजार रुपए तक की शास्ति का दायी हो सकेगा :

परंतु प्रत्येक पश्चातवर्ती अननुपालन या असफलता के लिए, वह अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा जो ऐसे अननुपालन या असफलता के प्रतिदिन के लिए दस हजार रूपए से अधिक नहीं होगी ।

(5) इस धारा के अधीन संदेय कोई रकम, यदि संदत्त नहीं की जाती है तो उसकी वसूली की जा सकेगी, मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो ।"।

13. मूल अधिनियम की धारा 27 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 27क का अंतःस्थापन ।

"27क. (1) राज्य आयोग, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए विनियम बना सकेगा । राज्य आयोग की विनियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे—

(क) राज्य आयोग के समक्ष आवेदन करने की रीति और संदेय फीस ;

(ख) कोई अन्य विषय, जो अपने कृत्यों के प्रयोजनों के लिए राज्य आयोग द्वारा विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाना है या किया जा सकेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन राज्य आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, इसे बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहां यह दो सदनों से मिलकर बनी है, या जहां ऐसी विधायिका एक सदन से मिलकर बनती है, उस सदन के समक्ष, रखे जाएंगे ।"।

14. मूल अधिनियम की धारा 28 में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 28 का संशोधन ।

"(ग) उपभोक्ता को हुई हानि और उसके प्रतिकर की रकम ।"।

15. मूल अधिनियम की धारा 52 में, "धारा 14 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट उपस्कर या साधित्र का प्रत्येक अभिहित उपभोक्ता या विनिर्माता, ब्यूरो को ऐसी जानकारी देगा" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों तथा अंकों के स्थान पर "इस अधिनियम के धारा 52 का संशोधन ।

अधीन आने वाला प्रत्येक अभिहित उपभोक्ता या उपस्कर या साधित्र का विनिर्माता या कोई अन्य व्यक्ति या इकाई, ब्यूरो को ऊर्जा उपभोग से संबंधित ऐसी जानकारी, दस्तावेज या अभिलेख देगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 56 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ठ) में "ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता" शब्दों के स्थान पर "ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय निर्माण संहिता" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 57 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) में "ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता" शब्दों के स्थान पर "ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय निर्माण संहिता" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(खक) धारा 15 के खंड (जक) के अधीन ऊर्जा के प्रभावी उपयोग और इसके संरक्षण का संवर्धन करने के लिए अभिहित अभिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उद्गृहीत की जाने वाली फीस;

(खख) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जब धारा 15क के अधीन अभिहित अभिकरण का बजट तैयार किया जाएगा ;";

(iii) खंड ग में, "उपधारा (4)," शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, "उपधारा (3)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 58 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(जक) वे प्रयोजन और निबंधन तथा शर्तें, जिनके अधीन किसी अभिकरण को धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (नख) के अधीन ब्यूरो के कृत्यों के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा ;

(जख) धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (नग) के अधीन नमूनों की जांच करने के लिए तकनीकी अर्हता ;"।

भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 23)

[11 अगस्त, 2023]

भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 4 का संशोधन ।

2. भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 2017 का 33

'(1क) भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ की तारीख से ही, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई, को "भारतीय प्रबंध संस्थान, मुंबई" कहा जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध उक्त संस्थान को लागू होंगे ।'।

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(i) खंड (घ) में,—

"(क) "प्रत्येक विद्यमान संस्थान द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक विद्यमान संस्थान द्वारा नियोजित निदेशक से भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि पहले परंतुक के उपबंध, संस्थानों के निदेशकों को भी लागू होंगे ;";

(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय प्रबंध संस्थान, मुंबई के संबंध में धारा 4 और धारा 5 में निम्नलिखित अभिव्यक्तियों—

(i) "इस अधिनियम के प्रारंभ से ही" ;

(ii) "ऐसे प्रारंभ से पूर्व" ;

(iii) "इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व" ; और

(iv) "इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व",

के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस तारीख के प्रति निर्देश है, जिसको भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं ।'।

धारा 10 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (2) के खंड (क) में, "बोर्ड द्वारा, उद्योग या शिक्षा या विज्ञान या प्रौद्योगिकी या प्रबंध या लोक प्रशासन के क्षेत्र में या ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में ख्यातिप्राप्त विख्यात व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाने वाला एक अध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर, "कुलाध्यक्ष द्वारा, उद्योग या शिक्षा या विज्ञान या प्रौद्योगिकी या प्रबंध या लोक प्रशासन के क्षेत्र में या ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में पारंगत ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक अध्यक्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि बोर्ड को, ऐसी शर्तों या प्रक्रिया के अधीन जो विहित की जाए, निलंबित या विघटित किया जाता है तो केंद्रीय सरकार छह मास की कालावधि के लिए या इस

अधिनियम उपबंधों के अनुसार किसी नियमित बोर्ड के गठन तक एक अंतरिम बोर्ड का गठन करेगी ।"।

5. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 10क का अंतःस्थापन ।

"10क. (1) भारत का राष्ट्रपति, प्रत्येक संस्थान का कुलाध्यक्ष होगा । कुलाध्यक्ष ।

(2) कुलाध्यक्ष, किसी भी संस्थान के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने तथा उसके कार्यों की जांच करने और उन पर ऐसी रीति में रिपोर्ट करने के लिए, जैसा कुलाध्यक्ष निदेश दे, एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा ।

(3) बोर्ड, कुलाध्यक्ष को उस संस्थान के विरुद्ध, जांच, जो उचित समझी जाए, की सिफारिश भी कर सकेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों और उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है ।

(4) कुलाध्यक्ष, उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसी किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, रिपोर्ट में चर्चा किए गए किसी भी विषय के संबंध में ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह आवश्यक समझे तथा संस्थान, ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा ।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 12 का संशोधन ।

"(1क) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि बोर्ड अन्यथा निदेश न दे, कोई पद छोड़ने वाला सदस्य, तब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर सदस्य के रूप में नियुक्त या नामनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता ।"।

7. मूल अधिनियम की धारा 16 में,— धारा 16 का संशोधन ।

(क) उपधारा (2) में, "नियुक्ति बोर्ड द्वारा सेवा के ऐसे निबंधनों" शब्दों के स्थान पर, "नियुक्ति, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड द्वारा ऐसी रीति में तथा सेवा के ऐसे निबंधनों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) निदेशक की नियुक्ति, बोर्ड द्वारा गठित की जाने वाली खोजबीन-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल में से की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,:—

(क) बोर्ड का अध्यक्ष, जो खोजबीन-सह-चयन समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ख) एक सदस्य, जिसको कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ; और

(ग) दो सदस्य, जिनको ख्यातिप्राप्त प्रशासकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगविदों और प्रबंध विशेषज्ञों में से चुना जाएगा ।

(3क) निदेशक के चयन के लिए अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए ।";

(ग) उपधारा (7) में, "बोर्ड," शब्द के स्थान पर, "बोर्ड, कुलाध्यक्ष के पूर्व

अनुमोदन से" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(10) निदेशक की सेवाओं को कुलाध्यक्ष द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, समाप्त किया जा सकेगा ।"।

धारा 17 का लोप ।

8. मूल अधिनियम की धारा 17 का लोप किया जाएगा ।

धारा 29 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) एक ख्यातिप्राप्त व्यक्ति जो कुलाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाए ;";

(ii) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) प्रत्येक संस्थान का अध्यक्ष - सदस्य, पदेन;"।

धारा 34 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) वे शर्तें और प्रक्रिया, जिनके अधीन रहते हुए बोर्ड को धारा 10 की उपधारा (6) के अधीन निलंबित या विघटित किया जा सकेगा ;

(कक) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ब) के अधीन बोर्ड की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य ;";

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(खक) धारा 16 की उपधारा (3क) के अधीन निदेशक के चयन के लिए अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया ;

(खख) धारा 16 की उपधारा (10) के अधीन निदेशक की सेवाओं की समाप्ति की रीति ।"।

धारा 39 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घ) भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से ठीक पूर्व, उस रूप में कार्य कर रहे राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान बोर्ड, मुंबई, इस प्रकार तब तक कार्य करता रहेगा, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन उस संस्थान के लिए नए बोर्ड का गठन नहीं कर दिया जाता है, किंतु इस अधिनियम के अधीन नए बोर्ड के ऐसे गठन होने पर, ऐसे गठन से ठीक पूर्व पद धारण करने वाले बोर्ड के सदस्य पद पर नहीं रहेंगे ;

(ङ) भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से पूर्व, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई के संबंध में गठित विद्या परिषद्, इस प्रकार तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन उस संस्थान के लिए नई विद्या परिषद् का गठन नहीं कर दिया जाता है, किंतु इस अधिनियम के अधीन नई विद्या परिषद् के ऐसे गठन पर, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई की विद्या परिषद् कार्य करना बन्द कर देगी ;

(च) इस अधिनियम के अधीन, जब तक राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी

संस्थान, मुंबई के संबंध में प्रथम विनियम नहीं बना दिए जाते हैं, तब तक राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई के नियमों और उप विधियों का, जो भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई को, आवश्यक उपांतरणों और अनुकूलनों सहित, वहां तक लागू होते रहेंगे जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं ।"।

अनुसूची का संशोधन ।

12. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ की तारीख से ही, मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"21.	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी ।	मुंबई	भारतीय प्रबंध संस्थान, मुंबई ।"।

अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 28)

[15 अगस्त, 2023]

ऐसे सेना कार्मिकों, जो वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम,1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 के अध्यधीन हैं, जो अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए, अपनी कमान के अधीन सेवा कर रहे हैं या उससे संलग्न हैं, के संबंध में अंतर-सेना संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर को सशक्त करने के लिए, और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अधिनियम का लागू होना ।

2. इस अधिनियम के उपबंध, उन सभी व्यक्तियों को, जो वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 के अध्यधीन हैं तथा ऐसे अन्य बलों के व्यक्तियों को, जो अंतर-सेना संगठन में कार्य कर रहे हैं या उनसे संलग्न हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, धारा 4 के अधीन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, लागू होंगे ।

1950 का 45
1950 का 46
1957 का 62

परिभाषाएं ।

3. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "एयर आफिसर" से ग्रुप कैप्टन के रैंक से ऊपर का वायु सेना का कोई आफिसर अभिप्रेत है ;

(ख) "चीफ आफ डिफेंस स्टाफ" से, यथास्थिति, नियमित सेना या भारतीय नौसेना या भारतीय वायु सेना का कोई आफिसर अभिप्रेत है, जिसे इस रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है ;

(ग) "कमांडर-इन-चीफ" से नियमित सेना का जनरल आफिसर या भारतीय नौसेना का फ्लैग आफिसर या वायु सेना का कोई एयर आफिसर, जिसे किसी संयुक्त सेना कमान का कमांडर-इन-चीफ नियुक्त किया गया है या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा आफिसर, जो कमान करता है, अभिप्रेत है ;

(घ) "कमान अधिकारी" से किसी यूनिट, पोत या स्थापन का वास्तव में कमान करने वाला कोई अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उस रूप में, यथास्थिति, किसी अंतर-सेना संगठन का कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर सम्मिलित है ;

(ङ) "फ्लैग आफिसर" से फ्लीट-एडमिरल, एडमिरल, वाइस-एडमिरल या रियर-एडमिरल अभिप्रेत है ;

(च) "जनरल आफिसर" से बिग्रेडियर के रैंक से ऊपर का सेना का नियमित आफिसर अभिप्रेत है ;

(छ) "अंतर-सेना संगठन" से फौज का कोई निकाय अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 या उक्त अधिनियमों में से किन्हीं दो अधिनियमों के अधीन आने वाले व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली संयुक्त सेना कमान भी है ;

1950 का 45
1950 का 46
1957 का 62

(ज) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(झ) किसी अंतर-सेना संगठन के संबंध में "आफिसर" से, यथास्थिति, वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 4 के खंड (23) या सेना अधिनियम, 1950 की धारा 3 के खंड (18) या नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 3 के खंड (16) में यथा परिभाषित कोई आफिसर अभिप्रेत है ;

1950 का 45
1950 का 46
1957 का 62

(ञ) किसी अंतर-सेना संगठन के "समादेशक आफिसर" से या तो नियमित सेना का जनरल आफिसर या भारतीय नौसेना का फ्लैग आफिसर या वायु सेना का एयर आफिसर, जिसे संयुक्त सेना कमान से भिन्न अंतर-सेना संगठन के समादेशक आफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है और उसकी अनुपस्थिति में ऐसा आफिसर, जो कमान करता है, अभिप्रेत है;

(ट) "विनियम" से संबंधित सेना अधिनियमों के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(ठ) "नियम" से, यथास्थिति, इस अधिनियम के और संबंधित सेना अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं ;

1950 का 45
1950 का 46
1957 का 62

(ड) "सेना अधिनियम" से वायु सेना अधिनियम, 1950 या सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम, 1957 या उक्त अधिनियमों में से कोई दो अधिनियम या उक्त सभी अधिनियम अभिप्रेत हैं ;

(ढ) "सेना कार्मिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जिनको कोई भी सेना अधिनियम लागू होता है ।

1950 का 45
1950 का 46
1957 का 62

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु वायु सेना अधिनियम, 1950 या सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम, 1957 में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियमों में उनके हैं ।

अध्याय 2

कतिपय बलों के लिए विशेष उपबंध

केन्द्रीय सरकार के अधीन कतिपय बलों के लिए विशेष उपबंध ।

4. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी बल या उसके किसी भाग को, जिसे उक्त सरकार के प्राधिकार के अधीन भारत में समुत्थापित और बनाए रखा गया है, विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसको इस अधिनियम के सभी या कोई उपबंध, उपांतरणों सहित या रहित लागू होंगे और तदनुसार, धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट सभी अधिकारियों को उक्त बलों से संबंधित, संबद्ध अधिनियमों के अर्थांतर्गत अधिकारी समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने पर, ऐसे बल या उसके किसी भाग को शासित करने वाले संबंधित अधिनियमों के अधीन सभी अनुशासनिक और प्रशासनिक शक्तियों, जिनके अंतर्गत ऐसे बल या उसके किसी भाग को शासित करने वाले ऐसे अधिनियमों के अधीन जारी अधिदेशों या कमीशनों द्वारा प्रदत्त शक्तियां भी हैं, का प्रयोग करने का प्राधिकार, यथास्थिति, अंतर-सेना संगठन के कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर में निहित होगा ।

(3) जहां इस अधिनियम का कोई उपबंध, उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी बल या उसके भाग को लागू होता है, वहां, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उस बल या उसके भाग के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन से आनुषंगिक अधिकारिता, शक्तियां या कर्तव्यों का निर्वहन या अनुपालन किस प्राधिकारी या किस अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

अध्याय 3

अंतर-सेना संगठन और उसके अधिकारियों का गठन

अंतर-सेना संगठन या संयुक्त सेना कमान का गठन ।

5. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक अंतर-सेना संगठन का गठन कर सकेगी, जिसमें ऐसी यूनिट या सेना कार्मिक, जो सेना अधिनियमों के किसी भी सेना अधिनियम के अधीन हैं, यथास्थिति, कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर की कमान के अधीन है, से मिलकर बनने वाली संयुक्त सेना कमान है, सम्मिलित हो सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का, उक्त सरकार द्वारा विशेष रूप से इस निमित्त सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकेगा ।

विद्यमान अंतर-सेना संगठन और कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर का बना रहना ।

6. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित और इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ठीक पहले उस रूप में कार्य करने वाले अंतर-सेना संगठनों को, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित हुआ समझा जाएगा ;

(ख) यथास्थिति, अंतर-सेना संगठन का कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर, जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से ठीक पहले नियुक्त किया गया है और उस रूप में कार्य कर रहा है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया गया समझा जाएगा ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले की गई किसी कार्रवाई या किए गए किसी कृत्य को, यथास्थिति, अंतर-सेना संगठन या अंतर-सेना संगठन के कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर द्वारा, उस समय लागू किसी विधि के अधीन उस रूप में कार्य करते समय अविधिमान्य नहीं करेगी ।

कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर की शक्तियां ।

7. (1) यथास्थिति, किसी अंतर-सेना संगठन का कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर ऐसे अंतर-सेना संगठन का प्रमुख होगा और उस अंतर-सेना संगठन में सेवा कर रहे या उससे संलग्न कार्मिकों पर अनुशासन बनाए रखने और उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन के प्रयोजन के लिए कमान और नियंत्रण करेगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, अंतर-सेना संगठन का कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर, उनमें विहित सभी अनुशासनिक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, जो निम्नलिखित के द्वारा प्रयोक्तव्य होगी, सक्षम होंगे—

(क) सेना को कमान करने वाला जनरल आफिसर ;

(ख) किसी नौसेना कमान का चीफ कमांडिंग फ्लैग आफिसर ;

(ग) किसी एयर कमान का चीफ कमांडिंग एयर आफिसर ;

(घ) सेना अधिनियमों या तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों में विनिर्दिष्ट कोई अन्य आफिसर या प्राधिकारी जिसके अंतर्गत ऐसे सेना अधिनियमों के उपबंधों के अधीन जारी अधिदेशों या कमीशनों द्वारा प्रदत्त शक्तियां भी हैं ; और

(ङ) कोई अन्य अधिकारी या प्राधिकारी, जो धारा 4 के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

कमान अधिकारी ।

8. किसी अंतर-सेना संगठन का कमान अधिकारी, किसी यूनिट, पोत या स्थापन पर कमान करने के अतिरिक्त, ऐसे अंतर-सेना संगठनों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा जो उसे, यथास्थिति, उसके कमांडर-इन-चीफ या समादेशक आफिसर द्वारा सौंपे जाएं और वह उस अंतर-सेना संगठन में नियुक्त, प्रतिनियुक्त, तैनात या उनसे

संलग्न कार्मिकों के लिए सभी अनुशासनिक या प्रशासनिक कार्रवाइयां आरंभ करने के लिए सशक्त होगा ।

केन्द्रीय सरकार का अधीक्षण ।

9. अंतर-सेना संगठन का अधीक्षण केन्द्रीय सरकार में निहित होगा, जिसके पास ऐसे प्रत्येक संगठन को, राष्ट्रीय सुरक्षा या साधारण प्रशासन से संबंधित किन्हीं विषयों पर निदेश जारी करने की शक्ति होगी, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है ।

व्यक्तियों को सक्रिय सेवा में घोषित करने की शक्ति ।

10. सेना अधिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि कोई सेना कार्मिक या सेना कार्मिकों का वर्ग, जिनको सेना अधिनियम लागू होते हैं, ऐसे किसी अंतर-सेना संगठन के संदर्भ में, जिसमें वह या वे सेवा कर रहा है या रहे हैं या उससे संलग्न हैं या इस अधिनियम के किसी उपबंध के प्रतिनिर्देश को, इस अधिनियम और सेना अधिनियमों के अर्थांतर्गत उनका सक्रिय सेवा में होना समझा जाएगा ।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति ।

11. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।

इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव ।

12. इस अधिनियम के उपबंधों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

13. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

14. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

15. इस अधिनियम के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, ऐसे नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि नियम नहीं बनाने चाहिए तो तत्पश्चात् नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होंगे या निष्प्रभावी

होंगे, तथापि, ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभावी होने से, उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 33)

[8 दिसम्बर, 2023]

अधिवक्ता अधिनियम, 1961
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

1961 का 25

नई धारा 45क का अंत:स्थापन ।

2. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 45 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

दलालों की सूची बनाने और उन्हें प्रकाशित करने की शक्ति ।

'45क. (1) प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और प्रत्येक राजस्व अधिकारी, जो जिले के कलेक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो (प्रत्येक जहां तक उनके या स्वयं के न्यायालय और न्यायालयों, यदि कोई हो, का संबंध है, जो उसके अधीनस्थ हो) अपने समाधान के लिए, या किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के समाधान के लिए, साधारण ख्याति के साक्ष्य द्वारा या अन्यथा, जैसा उपधारा (3) में उपबंधित किए गए अनुसार अभ्यासतः दलालों के रूप में कार्य करने के लिए साबित व्यक्तियों की सूची विरचित और प्रकाशित कर सकेगा, और समय-समय पर, ऐसी सूचियों में परिवर्तन और संशोधन कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—किसी न्यायालय या राजस्व-कार्यालय में विधि व्यवसायियों के रूप में व्यवसाय करने के हकदार व्यक्तियों के संगम की किसी बैठक में, जो विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए बुलाई जाती है, उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किसी व्यक्ति को दलाल घोषित करने या न करने का प्रस्ताव पारित करना, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति की साधारण ख्याति का साक्ष्य होगा ।

(2) किसी व्यक्ति का नाम किसी ऐसी सूची में तब तक शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे इस तरह शामिल किए जाने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दलालों की सूची विरचित करने और प्रकाशित करने के लिए सशक्त कोई भी प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी न्यायालय को, दलाल होने के लिए अभिकथित या संदिग्ध किन्हीं व्यक्तियों के नाम भेज सकेगा और यह आदेश दे सकेगा कि न्यायालय ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जांच करे ; और तदुपरि अधीनस्थ न्यायालय ऐसे व्यक्तियों के आचरण की जांच करवाएगा तथा, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को उपधारा (2) में यथा उपबंधित हेतुक दर्शित करने का अवसर दिए जाने के पश्चात्, उस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसने प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के नाम की जांच का आदेश दिया है, जो अधीनस्थ न्यायालय के समाधानप्रद रूप में दलाल साबित हो चुका है ; और वह प्राधिकारी, ऐसे किसी व्यक्ति का नाम उस प्राधिकारी द्वारा विरचित और प्रकाशित दलालों की सूची में शामिल कर सकेगा :

परंतु ऐसा प्राधिकारी, ऐसे किसी व्यक्ति को सुनेगा, जो अपना नाम इस प्रकार शामिल किए जाने से पूर्व, उसके समक्ष उपस्थित होता है और सुने जाने की वांछा करता है ।

(4) ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रति ऐसे प्रत्येक न्यायालय में टांगकर रखी जाएगी, जिससे वह संबंधित है ।

(5) न्यायालय या न्यायाधीश, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे किसी भी व्यक्ति को न्यायालय की प्रसीमा से बाहर कर सकेगा, जिसका नाम ऐसी किसी सूची में शामिल है ।

(6) कोई व्यक्ति, जो ऐसी किसी सूची में अपना नाम शामिल होने के दौरान दलाल के रूप में कार्य करता है, तो उसे कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "न्यायाधीश" से प्रत्येक सिविल और दांडिक न्यायालय में पीठासीन न्यायिक अधिकारी अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी पदनाम से नामनिर्दिष्ट हो ;

(ख) "अधीनस्थ न्यायालय" से उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालय अभिप्रेत हैं, जिनमें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित लघुवाद न्यायालय भी हैं ;

(ग) "राजस्व-कार्यालय" के अन्तर्गत भूधारकों और उनके किराएदारों या अभिकर्ताओं से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वादों का विचारण करने वाले सभी न्यायालय (सिविल न्यायालयों से भिन्न) भी हैं ;

(घ) "दलाल" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो,—

(i) किसी विधि व्यवसायी से किसी पारिश्रमिक के प्रतिफलस्वरूप किसी विधिक कारबार में विधि व्यवसायी का नियोजन उपाप्त करता है ; या जो किसी विधि व्यवसायी को या किसी विधिक कारबार में हितबद्ध किसी व्यक्ति को, उनमें से किसी से भी किसी पारिश्रमिक के प्रतिफलस्वरूप, ऐसे कारबार में विधि व्यवसायी का नियोजन उपाप्त कराने का प्रस्ताव करता है ; या

(ii) जो ऐसे उपापन के प्रयोजनों के लिए, सिविल या दांडिक न्यायालयों या राजस्व-कार्यालयों, या रेलवे स्टेशनों, उतरने के स्थानों, वासा स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट के अन्य स्थानों की प्रसीमाओं में बार-बार आता-जाता है ।'।

3. मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 50 का संशोधन ।

1961 का 25 "(6) ऐसी तारीख को, जिसको अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 45क
1879 का 18 प्रवृत्त होती है, विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 की धारा 1, धारा 3 और धारा 36 निरसित हो जाएगी ।"।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 35)

[15 दिसम्बर, 2023]

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 14 का संशोधन ।

2. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 14 में,— 2019 का 34

(i) उपधारा (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु धारा 60 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ की तारीख से ही इस उपधारा के उपबंध उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो अंक "107" के स्थान पर अंक "114" रखा गया हो';

(ii) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

'(10) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की दूसरी अनुसूची में, "II. संघ राज्यक्षेत्र" उपशीर्षक के अधीन, "जम्मू-कश्मीर" से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ 2 से स्तंभ 7 के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात् :— 1950 का 43

1	2	3	4	5	6	7
"3. जम्मू-कश्मीर	90	7	9	90	7	9"।'

नई धारा 15क और 15ख का अंत:स्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

कश्मीरी विस्थापितों का नामनिर्देशन ।

'15क. धारा 14 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी विस्थापितों के समुदाय से दो से अनधिक सदस्यों को नामनिर्देशित कर सकेगा, जिनमें से एक महिला होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विस्थापित" पद का वही अर्थ होगा जो जम्मू-कश्मीर विस्थापित अचल संपत्ति (परिरक्षण, संरक्षण और करस्थम् विक्रय पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1997 की धारा 2 के खंड (ङ) में उसका है । 1997 का जम्मू-कश्मीर अधिनियम 16

विस्थापित व्यक्तियों का नामनिर्देशन ।

15ख. धारा 14 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों में से एक सदस्य को जम्मू-कश्मीर विधान सभा में नामनिर्देशित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विस्थापित व्यक्ति" पद से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत और पाकिस्तान के डोमिनियन की स्थापना किए जाने के कारण या सिविल उपद्रव या वर्तमान में पाकिस्तान के अधिभोग के अधीन तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के किसी क्षेत्र में ऐसे उपद्रवों के भय के कारण वर्ष 1947-48, वर्ष 1965 और वर्ष 1971 के दौरान ऐसे क्षेत्र में ऐसे उपद्रवों के कारण अपने निवास स्थान को छोड़ दिया था या उससे विस्थापित हो गया था और जो तत्पश्चात् ऐसे क्षेत्र से बाहर निवास

करता रहा है तथा इसके अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति का हित-उत्तराधिकारी भी है ।’।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 36)

[17 दिसम्बर, 2023]

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

नई धारा 3छ का अंतःस्थापन ।

2. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3च के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 2009 का 25

सम्माक्का सारक्का केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना ।

"3छ. भारत की जनजातीय जनता के लिए मुख्यतः उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान प्रसुविधाओं के अवसर प्रदान करने के लिए, एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जो सम्माक्का सारक्का केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय नाम से ज्ञात एक निगमित निकाय होगा, जिसकी राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता का विस्तार इस अधिनियम की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट संपूर्ण तेलंगाना राज्य पर होगा ।"।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची में, क्रम संख्यांक 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"17.	तेलंगाना	सम्माक्का सारक्का केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण तेलंगाना राज्य ।"।

———

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 38)

[20 दिसम्बर, 2023]

**जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम**

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2019 का 34 **2.** जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 14 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— नई धारा 14क और धारा 14ख का अंत:स्थापन ।

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण ।

"14क. (1) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे ।

(2) धारा 14 की उपधारा (7) के अधीन आरक्षित स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

(3) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है), ऐसी रीति में, महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे, जिसे संसद्, विधि द्वारा अवधारित करे ।

महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना ।

14ख. (1) इस अधिनियम के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित उपबंध, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात्, की गई पहली जनगणना के सुसंगत आकड़ों को प्रकाशित हो जाने के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए परिसीमन किए जाने के पश्चात् प्रभावी होंगे तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे ।

(2) धारा 14क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान ऐसी तारीख तक आरक्षित रहेंगे, जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे ।

(3) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम, ऐसे पश्चातवर्ती परिसीमन कार्य के पश्चात्, उस रूप में प्रभावी होगा, जैसा संसद् विधि द्वारा अवधारित करे ।

(4) धारा 14क की कोई बात, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की उस समय विद्यमान विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है ।"।

संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 39)

[20 दिसम्बर, 2023]

संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

नई धारा 3क और धारा 3ख का अंत:स्थापन ।

1963 का 20

2. संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण ।

"3क. (1) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे ।

(2) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

(3) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है), ऐसी रीति में, जो संसद्, विधि द्वारा अवधारित करे, महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना ।

3ख. (1) इस अधिनियम के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित उपबंध, संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात् हुई पहली जनगणना के सुसंगत आकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए परिसीमन कार्रवाई किए जाने के पश्चात् प्रभावी होंगे और संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे ।

(2) धारा 3क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान, ऐसी तारीख तक आरक्षित बने रहेंगे, जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे ।

(3) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम, ऐसी पश्चातवर्ती परिसीमन कार्रवाई के पश्चात् प्रभावी होगा, जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे ।

(4) धारा 3क की कोई बात, पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि तत्कालीन विद्यमान पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है ।"।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 42)

[24 दिसम्बर, 2023]

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध)
दूसरा अधिनियम, 2011
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2023 है । संक्षिप्त नाम ।

2011 का 20 **2.** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् नाम में "2023" अंकों के स्थान पर, "2026" अंक रखे जाएंगे । वृहत् नाम का संशोधन ।

उद्देशिका का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की उद्देशिका में,—

(क) सातवें पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विनियम, 2019 में यथाउपबंधित अप्राधिकृत कालोनियों के लिए विकास नियंत्रण सन्नियम 8 मार्च, 2022 को अधिसूचित किए गए हैं ;

और अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों के स्वामित्व अधिकारों को प्रदत्त करने की प्रक्रिया और अप्राधिकृत कालोनियों के लिए विकास नियंत्रण सन्नियमों के अनुसार कार्रवाई प्रगति पर है और इसमें समय लगेगा ;";

(ख) सतरहवें पैरा का लोप किया जाएगा ;

(ग) अंतिम पैरा में, "2023" अंकों के स्थान पर, "2026" अंक रखे जाएंगे ।

धारा 1 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) में, "2023" अंकों के स्थान पर, "2026" अंक रखे जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (3) में, "2023" अंकों के स्थान पर, "2026" अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) में, "2023" अंकों के स्थान पर, "2026" अंक रखे जाएंगे ।

दूर संचार अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 44)

[24 दिसम्बर, 2023]

दूर संचार सेवाओं और दूर संचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और प्रचालन; स्पेक्ट्रम के समनुदेशन से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने तथा उससे संसक्त और उससे आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दूर संचार अधिनियम, 2023 है ।

(2) इसका विस्तार,—

(i) संपूर्ण भारत पर ; और

(ii) भारत के बाहर,

किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम में यथा उपबंधित किसी अपराध के कारित किए जाने या उसके उल्लंघन पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

परिभाषाएं । **2.** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से ऐसा दिन अभिप्रेत है जो धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे ;

(ख) रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल के "समनुदेशन" से किसी रेडियो स्टेशन को विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल का उपयोग करने की अनुज्ञा अभिप्रेत हैं ;

(ग) "समनुदेशिती" से धारा 4 के अधीन रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल का समनुदेशन धारण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(घ) "प्राधिकार" से इस अधिनियम के अधीन—

(i) दूर संचार सेवाएं प्रदान करने ;

(ii) दूर संचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करने ; या

(iii) रेडियो उपस्कर रखने,

के लिए प्रदत्त, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात, अनुज्ञा अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्राधिकृत इकाई" से धारा 3 के अधीन प्राधिकार धारण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(च) "महत्वपूर्ण दूर संचार अवसंरचना" से धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित दूर संचार नेटवर्क अभिप्रेत है ;

(छ) "संदेश" से दूर संचार के माध्यम से भेजा गया कोई हस्ताक्षर, संकेत, लेखन, पाठ, छवि, ध्वनि, वीडियो, डाटा स्ट्रीम, आसूचना या सूचना अभिप्रेत है ;

(ज) "राष्ट्रीय आवृत्ति आबंटन योजना" से स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांत अभिप्रेत है ;

(झ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ञ) "व्यक्ति" में चाहे किसी भी नाम से ज्ञात या निर्दिष्ट, कोई व्यष्टि, कोई कंपनी या संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं सम्मिलित है ;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ठ) "रेडियो उपस्कर" से हर्टजीएन या रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने में सक्षम दूर संचार उपस्कर अभिप्रेत हैं ;

(ड) "रेडियो तरंगें" से किसी कृत्रिम मार्गदर्शन के बिना अंतरिक्ष में प्रसारित आवृत्तियों की विद्युत चुंबकीय तरंगें अभिप्रेत हैं ;

(ढ) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ण) "स्पेक्ट्रम" से हर्टजीएन या रेडियो तरंगों की आवृत्तियों की सीमा अभिप्रेत है ;

(त) "दूर संचार" से तार, रेडियो, आप्टिकल या अन्य विद्युत-चुंबकीय प्रणालियों द्वारा किसी संदेश का पारेषण, उत्सर्जन या प्राप्ति, चाहे ऐसे संदेश उनके पारेषण, उत्सर्जन या प्राप्ति के क्रम में किसी भी माध्यम से पुनर्व्यवस्था, गणना या अन्य प्रक्रिया के अधीन हो या नहीं, अभिप्रेत है ;

(थ) "दूर संचार उपस्कर" से दूर संचार के लिए प्रयुक्त या प्रयोक्तव्य कोई उपस्कर, साधित्र, उपकरण, युक्ति, रेडियो स्टेशन, रेडियो उपस्कर, सामग्री, यंत्र या उपयोक्ता उपस्कर अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत ऐसे दूर संचार उपस्कर के साफ्टवेयर और समेकित आसूचना भी सम्मिलित हैं ; और उसमें ऐसे उपस्कर सम्मिलित नहीं है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ;

(द) "दूर संचार पहचानकर्ता" से अंकों, वर्णों और प्रतीकों या उनके संयोजन की एक आवली अभिप्रेत है, जिसका उपयोग विशिष्ट रूप से एक उपयोगकर्ता, दूर संचार सेवा, दूर संचार नेटवर्क, दूर संचार नेटवर्क के तत्वों, दूर संचार उपस्कर या प्राधिकृत इकाई की पहचान करने के लिए किया जाता है ;

(ध) "दूर संचार नेटवर्क" से दूर संचार उपस्कर या अवसंरचना की प्रणाली या प्रणालियों की आवली अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत दूर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित स्थलीय या उपग्रह नेटवर्क या जलमग्न नेटवर्क या ऐसे नेटवर्कों का समुच्चय सम्मिलित है, परंतु उसमें ऐसे दूर संचार उपस्कर सम्मिलित नहीं हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ;

(न) "दूर संचार सेवाएं" से दूर संचार के लिए कोई सेवा अभिप्रेत है ;

(प) "उपयोक्ता" से दूर संचार सेवा का उपयोग करने या अनुरोध करने वाला प्राकृतिक या विधिक व्यक्ति अभिप्रेत है, किंतु इसमें ऐसी दूर संचार सेवा या दूर संचार नेटवर्क प्रदान करने वाला व्यक्ति सम्मिलित नहीं है ;

अध्याय 2

प्राधिकार और समनुदेशन की शक्ति

3. (1) कोई व्यक्ति जो— प्राधिकार ।

(क) दूर संचार सेवाएं प्रदान करने,

(ख) दूर संचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करने ; या

(ग) रेडियो उपस्कर धारण करने,

का आशय रखता है, वह केन्द्रीय सरकार से ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अंतर्गत ऐसी फीस या प्रभार भी है, जो विहित की जाए, प्राधिकार प्राप्त करेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन नियम बनाते समय, भिन्न-भिन्न प्रकार की दूर संचार सेवाओं, दूर संचार नेटवर्क या रेडियो उपस्कर के प्राधिकार के लिए भिन्न-भिन्न निबंधनों और शर्तों का उपबंध कर सकेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि यह अवधारित करती है कि ऐसा करना लोकहित में

आवश्यक है, तो वह उपधारा (1) के अधीन प्राधिकार की अपेक्षा से ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, छूट प्रदान कर सकेगी ।

(4) भारतीय तार अधिनियम, 1885 या भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 के अधीन नियत दिन से पूर्व प्रदत्त कोई छूट इस अधिनियम के अधीन जारी रहेगी, जब तक कि केन्द्रीय सरकार अन्यथा अधिसूचित न करे । 1885 का 13 1933 का 17

(5) कोई प्राधिकृत इकाई, तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन रहते हुए, कोई विलयन, निर्विलयन या अर्जन या अन्य प्रकार की पुनर्संरचना कर सकेगी और कोई प्राधिकृत इकाई, जो ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में उभरती है, मूल प्राधिकृत इकाई पर लागू ऐसे निबंधनों और शर्तों जिसके अंतर्गत फीस और प्रभार भी है और ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, का पालन करेगी ।

(6) दूर संचार सेवाओं या दूर संचार नेटवर्क की बाबत भारतीय तार अधिनियम, 1885 या भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 के अधीन नियत दिन से पूर्व प्रदत्त चाहे किसी भी नाम से ज्ञात अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञा— 1885 का 13 1933 का 17

(क) जहां एक निश्चित विधिमान्यता अवधि दी गई है, सुसंगत प्राधिकार ऐसी अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञा के अधीन निबंधनों और शर्तों के अधीन और उसमें यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए काम करना जारी रखने के लिए हकदार होगा या सुसंगत प्राधिकार के ऐसे निबंधनों और शर्तो पर, जो विहित किए जाएं प्रवर्जित होने का हकदार होगा ;

(ख) जहां कोई निश्चित अधिमान्यता नहीं दी गई है, वहां नियत दिन से पांच वर्ष की अवधि के लिए ऐसी अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञा के निबंधनों और शर्तां पर काम जारी रखने का हकदार होगा या सुसंगत प्राधिकार के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित किए जाएं, प्रवर्जित होने का हकदार होगा ।

(7) कोई प्राधिकृत इकाई, जो ऐसी दूर संचार सेवाएं प्रदान करती हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, उस व्यक्ति की जिसे दूर संचार सेवाएं प्रदान की जाती है, किसी सत्यापन योग्य बायोमैट्रिक आधारित पहचान, जैसा विहित किया जाए, के प्रयोग के माध्यम से पहचान करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार, ऐसे निबंधनों और शर्तो के अधीन रहते हुए, जिसके अंतर्गत फीस और प्रभार, जो विहित किए जाएं, भी हैं, प्राधिकृत इकाईयों द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए दूर संचार पहचानकर्ताओं का आबंटन करेगी ।

(9) केन्द्रीय सरकार, अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा आबंटित दूर संचार पहचानकर्ताओं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यता दी जाती है, का उपयोग करना अनुज्ञात कर सकेगी ।

स्पेक्ट्रम का समनुदेशन ।

4. (1) केन्द्रीय सरकार, जनसाधारण की ओर से स्पेक्ट्रम की स्वामी होते हुए, इस अधिनियम के अनुसार स्पेक्ट्रम का समनुदेशन करेगी और समय-समय पर राष्ट्रीय आवृत्ति आबंटन योजना अधिसूचित कर सकेगी ।

(2) कोई व्यक्ति, जो स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का आशय रखता है, उसे केन्द्रीय सरकार से समनुदेशन अपेक्षित होगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार, स्पेक्ट्रम के ऐसे समनुदेशन के लिए ऐसे निबंधन और शर्तें, जो

लागू हो, विहित कर सकेगी जिसके अंतर्गत आवृत्ति सीमा, मूल्य निर्धारण, मूल्य, फीस और प्रभार के लिए पद्धति, संदाय तंत्र, उसके लिए अवधि और प्रक्रिया सम्मिलित है ।

(4) केन्द्रीय सरकार, पहली अनुसूची में सूचीबद्ध इकाईयों के सिवाय, जिनके लिए प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा समनुदेशन किया जाएगा, नीलामी के माध्यम से दूर संचार के लिए स्पेक्ट्रम समनुदेशित करेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "प्रशासनिक प्रक्रिया" से नीलामी किए बिना स्पेक्ट्रम का समनुदेशन अभिप्रेत है ;

(ख) "नीलामी" से स्पेक्ट्रम के समनुदेशन के लिए बोली की प्रक्रिया अभिप्रेत है ।

(5)(क) केन्द्रीय सरकार, स्पेक्ट्रम के समनुदेशन के लिए, अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची का संशोधन कर सकेगी,—

(i) लोकहित में ;

(ii) सरकारी कृत्यों के निर्वहन के लिए ;

(iii) उस दशा में, जहां स्पेक्ट्रम की नीलामी तकनीकी या आर्थिक कारणों से, समनुदेशन की अधिमानी रीति नहीं है ।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट अधिसूचना, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

(6) केन्द्रीय सरकार, यदि यह अवधारित करे कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, तो वह,—

(क) धारा 2 के अधीन समनुदेशन की अपेक्षा से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए ; और

(ख) उपधारा (2) की अपेक्षाओं से विनिर्दिष्ट आवृत्तियों और मानदंडों के भीतर विनिर्दिष्ट उपयोगों को अधिसूचना द्वारा, छूट प्रदान कर सकेगी ।

1885 का 13
1933 का 17

(7) भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 के अधीन नियत दिन से पूर्व अनुदत्त स्पेक्ट्रम के उपयोग के संबंध में कोई छूट इस अधिनियम के अधीन भी तब तक जारी रहेगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाए ।

(8) नियत दिन से पूर्व प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से समनुदेशित स्पेक्ट्रम नियत दिन से पांच वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी समनुदेशन के अवसान की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर जारी रहेगा जिन पर वह समनुदेशित किया गया था ।

(9) नियत दिन से पूर्व नीलामी के माध्यम से समनुदेशित, किसी स्पेक्ट्रम का उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर वैध रहना जारी रहेगा, जिन पर वह समनुदेशित किया गया था ।

पुनः विरचना और सुव्यवस्थीकरण ।

5. केन्द्रीय सरकार, स्पेक्ट्रम के अधिक दक्ष उपयोग को समर्थ बनाने के लिए धारा 4 के अधीन समनुदेशित किसी आवृत्ति रेंज को ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रि-फार्म या सुव्यवस्थित कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) "सुव्यवस्थीकरण" से आवृत्ति रेंज का पुनः प्रबंधन अभिप्रेत है ;

(ख) "रि-फार्मिंग" से किसी आवृत्ति रेंज को उस उपयोग से भिन्न, जिसके लिए उसका विद्यमान समनुदेशिती द्वारा उपयोग किया जा रहा है, किसी उपयोग के लिए पुनः प्रस्तावित करना अभिप्रेत है ।

प्रौद्योगिकीय रूप से स्पेक्ट्रम का तटस्थ रूप ।

6. केन्द्रीय सरकार, स्पेक्ट्रम का ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अंतर्गत यथा विहित लागू फीस और प्रभार सम्मिलित हैं, किसी लोचनीय, स्वतंत्र और प्रौद्योगिकीय रूप से तटस्थ रीति में उपयोग समर्थ कर सकेगी ।

स्पेक्ट्रम का अनुकूलतम उपयोग ।

7. (1) केन्द्रीय सरकार उपलब्ध स्पेक्ट्रम के अनुकूलतम उपयोग का संवर्धन करने के लिए स्पेक्ट्रम के किसी विशिष्ट भाग, जिसे मूल समनुदेशिती के रूप में ज्ञात निकाय को समनुदेशित किया गया है, को गौण समनुदेशितियों के रूप में ज्ञात एक या अधिक अतिरिक्त निकायों को वहां ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, समनुदेशित कर सकेगी, जहां ऐसा गौण समनुदेशिती मूल समनुदेशिती द्वारा स्पेक्ट्रम के सुसंगत भाग के उपयोग में हानिकर मध्याक्षेप नहीं करता है ।

(2) केन्द्रीय सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी, संबंधित समनुदेशिती को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, अवधारित कर सकेगी कि कोई स्पेक्ट्रम अपर्याप्त कारणों से ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, के लिए अनुपयोजित रह गया है, ऐसे समनुदेशन को या ऐसे समनुदेशन के किसी भाग को समाप्त कर सकेगी या स्पेक्ट्रम उपयोजन के संबंध में और निबंधन और शर्तें विहित कर सकेगी ।

मानीटरी और प्रवर्तन तंत्र की स्थापना ।

8. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसा मानीटरी और प्रवर्तन तंत्र स्थापित कर सकेगी, जो वह स्पेक्ट्रम उपयोजन के लिए निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए और समनुदेशित स्पेक्ट्रम के हस्तक्षेप मुक्त उपयोजन के लिए उचित समझे ।

(2) केन्द्रीय सरकार समनुदेशित स्पेक्ट्रम को बांटने, व्यापार करने, पट्टे पर देने और अभ्यर्पित करने को ऐसे निबंधनों और शर्तों, जिनके अंतर्गत लागू फीस या प्रभार हैं, अनुज्ञात कर सकेगी ।

फीस का प्रतिदाय न करना ।

9. कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या समनुदेशन की बाबत संदत्त किसी फीस या प्रभार के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा, यदि ऐसा प्राधिकार या समनुदेशन निलंबित किया जाता है, कम किया जाता है, प्रतिसंहृण किया जाता है या उसमें फेर-फार किया जाता है ।

अध्याय 3

दूर संचार नेटवर्क के लिए मार्ग का अधिकार

इस अध्याय में उपयोग किए गए पदों की परिभाषा ।

10. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "प्रसुविधा प्रदाता" से केन्द्रीय सरकार या कोई प्राधिकृत अस्तित्व अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या प्राधिकृत निकाय के लिए कार्य करने वाला कोई ठेकेदार या उप-ठेकेदार या अभिकर्ता सम्मिलित है और इसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिती सम्मिलित होंगे ;

(ख) "लोक अस्तित्व" से,—

(i) केन्द्रीय सरकार;

(ii) राज्य सरकार;

(iii) स्थानीय प्राधिकारी;

(iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी कानून के अधीन निगमित या स्थापित कोई प्राधिकरण, निकाय, कंपनी या संस्था; या

(v) कोई गैर-सरकारी अस्तित्व जिसमें किसी लोक उपयोगिता या लोक उपयोगिताओं के वर्ग जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, का स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन विहित किया गया है ;

(ग) "लोक संपत्ति" से कोई संपत्ति अभिप्रेत है चाहे जंगम हो या स्थावर, जिसके अंतर्गत कोई मशीनरी सम्मिलित है, जो किसी लोक उपयोगिता के स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन हों ।

लोक संपत्ति में दूर संचार नेटवर्क के लिए मार्ग का अधिकार ।

11. (1) कोई प्रसुविधा प्रदाता, किसी लोक अस्तित्व को जिसके स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन कोई लोक संपत्ति निहित है, ऐसी लोक संपत्ति के नीचे, उस पर, उसके साथ, उसमें से, उसमें या उस पर दूर संचार नेटवर्क के लिए मार्ग के अधिकार की अनुज्ञा के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रसुविधा प्रदाता से किसी आवेदन की प्राप्ति पर लोक अस्तित्व उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों के लिए अनुज्ञा अनुदत्त करेगा, अर्थात् :—

(क) दूर संचार नेटवर्क स्थापित करने की साध्यता का पता लगाने के प्रयोजन के लिए ऐसी संपत्ति के सर्वेक्षण ; या

(ख) किसी दूर संचार नेटवर्क को स्थापित करने, प्रचालन करने, अनुरक्षण करने, मरम्मत करने, प्रतिस्थापित करने, बढ़ाने, हटाने या किसी अन्य स्थान पर ले जाने के लिए समय-समय पर ऐसी संपत्ति में प्रवेश करने ।

(3) लोक अस्तित्व, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा, शीघ्र रीति में और ऐसी समय-सीमा के भीतर, जो विहित की जाए, और ऐसे प्रशासनिक व्ययों तथा मार्ग के अधिकार के लिए प्रतिकर की शर्तें के अधीन रहते हुए, जो ऐसी रकम से अधिक नहीं होगा, जो विहित की जाए, प्रदान करेगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की अस्वीकृति वित्तीय आधार, जिन्हें अभिलिखित किया जाएगा, के आधार पर होगी ।

(5) प्रसुविधा प्रदाता लोक संपत्ति को यथा संभव कम से कम नुकसान पहुंचाएगा और सुनिश्चित करेगा कि ऐसी लोक संपत्ति पर संक्रियाओं की कृत्यशीलता और सततः तब प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो जब कोई ऐसी संक्रिया की जाए जिसके लिए उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा अनुदत्त की गई है ।

(6) यदि संपत्ति को कोई नुकसान कारित किया जाता है तो प्रसुविधा प्रदाता लोक अस्तित्व के विकल्प पर या तो,—

(क) संपत्ति को उसी अवस्था में बहाल करेगा जिसमें वह ऐसी संक्रियाएं करने से पूर्व विद्यमान थी ; या

(ख) ऐसे नुकसान के लिए परस्पर सहमत प्रतिकर का संदाय करेगा ।

(7) इस धारा के उपबंध किसी लोक संपत्ति को, जो ऐसी परियोजनाओं या परियोजनाओं के वर्ग, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, लागू होंगे, जिनकी बाबत उपधारा (1) के अधीन ऐसी परियोजनाओं के लिए छूट, संविदा या अनुज्ञा के लिए आवेदन किए जाएंगे ।

ऐसी संपत्ति पर, जो धारा 11 के अधीन नहीं आती है, दूर संचार नेटवर्क के लिए मार्ग का अधिकार ।

12. (1) कोई प्रसुविधा प्रदाता उस व्यक्ति को, जिसमें धारा 11 के अधीन न आने वाली संपत्ति विहित है, के नीचे, उस पर, उसके साथ, उसमें से दूर संचार नेटवर्क के लिए मार्ग के अधिकार की ईप्सा करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) प्रसुविधा प्रदाता से आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदन प्राप्त करने वाला व्यक्ति परस्पर रूप से सहमत प्रतिफल को विनिर्दिष्ट करते हुए, निम्नलिखित के लिए करार कर सकेगा,—

(क) दूर संचार नेटवर्क स्थापित करने की साध्यता का पता लगाने के प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण, जो अपेक्षित हो ; या

(ख) प्रसुविधा प्रदाता द्वारा किसी दूर संचार नेटवर्क को स्थापित करने, प्रचालन करने, अनुरक्षण करने, मरम्मत करने, प्रतिस्थापित करने, बढ़ाने, हटाने या किसी अन्य स्थान पर ले जाने के लिए समय-समय पर ऐसी संपत्ति में प्रवेश कर सकेगा ।

(3) प्रसुविधा प्रदाता कोई भी संक्रिया, जिसके लिए उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा अनुदत्त की गई है, करते समय संपत्ति को कम से कम संभव नुकसान पहुंचाएगा ।

(4) संपत्ति को कोई नुकसान होने की दशा में प्रसुविधा प्रदाता संपत्ति को उसी अवस्था में बहाल करेगा जिसमें वह ऐसी संक्रियाएं करने से पूर्व विद्यमान थी, ऐसा करने में असफल रहने पर उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा अनुदत्त करने वाला व्यक्ति, किसी ऐसे नुकसान के लिए, पारस्परिक रूप से सहमत प्रतिकर का हकदार होगा ।

(5) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा किसी प्रसुविधा प्रदाता द्वारा दूर संचार नेटवर्क के लिए प्रवेश, सर्वेक्षण, प्रचालन, अनुरक्षण, मरम्मत, प्रतिस्थापित क्रिया किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत नोटिस की अवधि, नोटिस जारी करने की रीति, संपत्ति के स्वामी या अधिभोगी द्वारा आक्षेपों को शासित करने के लिए ढांचा, वह रीति जिसमें ऐसे आक्षेपों का समाधान किया जाएगा और नुकसान के लिए संदेय प्रतिकर से संबंधित विषय भी है, उपबंध कर सकेगी ।

(6) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (2) के अधीन अनुरोध किए गए मार्ग के अधिकार को प्रदान करने में असफल रहता है और केन्द्रीय सरकार अवधारित करती है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है तो वह स्वयं या इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित किसी अन्य प्राधिकारी के माध्यम से अवधारित करेगी कि ऐसे प्रसुविधा प्रदाता को ऐसा दूर संचार नेटवर्क स्थापित करने, प्रचालित करने, अनुरक्षण करने के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अंतर्गत मार्ग के अधिकारी के लिए प्रभार और संपत्ति को नुकसान के लिए प्रतिकर, यदि कोई हों, जिसका ऐसे व्यक्ति के

द्वारा संदाय किया जाना है, जो विहित की जाए, मार्ग का अधिकारी अनुज्ञात किया जाएगा ।

मार्ग के अधिकार का अविभेदकारी और गैर-अनन्य अनुदत्त किया जाना ।

13. धारा 11 या धारा 12 के अधीन मार्ग का अधिकार प्रदान करने वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि प्रसुविधा प्रदाता को मार्ग का अधिकार अविभेदकारी रीति और जहां तक व्यवहार्य हों, गैर-अनन्य आधार पर अनुदत्त किया जाए ।

दूर संचार नेटवर्क का उस संपत्ति, जिस पर वह प्रतिस्थापित है, से सुभिन्न होना ।

14. (1) प्रसुविधा प्रदाता को उस संपत्ति पर, धारा 11 या धारा 12 में उपबंधित संपत्ति के उपयोग के अधिकार के सिवाय, कोई अधिकार, हक या हित नहीं होगा जिस पर दूर संचार नेटवर्क स्थापित है ।

(2) किसी संपत्ति पर प्रतिष्ठापित दूर संचार नेटवर्क, ऐसी संपत्ति पर किसी दावे, विल्लंगमों, परिसमापन या सदृश के अधीन नहीं होगा ।

(3) किसी संपत्ति पर प्रतिष्ठापित दूर संचार नेटवर्क को ऐसी संपत्ति का भाग नहीं समझा जाएगा जिसके अंतर्गत उस संपत्ति से संबंधित कोई संव्यवहार या संपत्ति कर, उद्ग्रहण, उपकर, फीस, शुल्क, जो उस संपत्ति को लागू हों, के प्रयोजन सम्मिलित है ।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय किसी लोक अस्तित्व को किसी प्राधिकृत अस्तित्व द्वारा स्थापित किसी दूर संचार नेटवर्क को बंद करने, उस तक पहुंच रोकने या बलपूर्वक बंद करने के सिवाय तब जब ऐसी कार्रवाई किसी प्राकृतिक आपदा या सार्वजनिक आकस्मिकता के लिए आवश्यक हों, अधिकार नहीं होगा ।

केन्द्रीय सरकार की सामान्य डक्ट और केबल कोरीडोर स्थापित करने की शक्ति ।

15. (1) केन्द्रीय सरकार अवसंरचना परियोजनाओं या अवसंरचना परियोजनाओं के वर्ग को चाहे लोक अस्तित्व स्वयं विकसित किए जा रहे हों या किसी पब्लिक प्राईवेट भागीदारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिनके लिए दूर संचार नेटवर्क प्रतिष्ठापित करने के लिए सामान्य डक्ट या कांडयूट या केबल कोरीडोरों की स्थापना की अपेक्षा हों, अधिसूचित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट दूर संचार नेटवर्क, प्रसुविधा प्रदाताओं को ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो विहित की जाए, जिसके अंतर्गत फीस और प्रभार है, के अधीन रहते हुए, खुली पहुंच के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

दूर संचार नेटवर्क को हटाना, दूसरे स्थान पर ले जाया जाना या उसमें परिवर्तन करना ।

16. (1) जब धारा 11 या धारा 12 के अधीन किसी प्रसुविधा प्रदाता द्वारा किसी दूर संचार नेटवर्क को किसी संपत्ति के नीचे, ऊपर, के साथ, में या उस पर रखा गया है और ऐसा करने के लिए हकदार कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति से ऐसी रीति में व्यौहार करने की वांछा करता है, जिससे ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है कि दूर संचार नेटवर्क को उसके किसी अन्य भाग से हटा दिया जाना चाहिए या भाग पर ले जाया जाना चाहिए या किसी उच्चतर या निम्नतर स्तर पर ले जाया जाना चाहिए और उसके रूप में परिवर्तन किया जाना चाहिए तो वह प्रसुविधा प्रदाता से दूर संचार नेटवर्क को हटाने, किसी और स्थान पर ले जाने या परिवर्तन करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) यदि धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन या धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन प्रतिकर का संदाय किया गया है तो ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन अध्यपेक्षा करते समय प्रसुविधा प्रदाता को हटाए जाने, किसी स्थान पर ले जाए जाने या परिवर्तन करने के अपेक्षित व्यय को ऐसे निबंधन पर, जो पारस्परिक रूप से सहमत हों, चुकाएगा ।

(3) यदि इस अध्याय के अधीन कोई विवाद उद्‌भूत होता है तो मामले का धारा 18 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्‌वारा अवधारण किया जाएगा ।

(4) यदि प्रसुविधा प्रदाता अध्यपेक्षा का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी अध्यपेक्षा करने वाला व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट, जिसकी अधिकारिता के भीतर संपत्ति अवस्थित है, को दूर संचार नेटवर्क को कहीं ओर ले जाए जाने या परिवर्तित करने का आदेश करने का आवेदन कर सकेगा ।

(5) आवेदन प्राप्त करने वाला जिला मजिस्ट्रेट अपने स्वविवेक पर और कारणों को लेखबद्‌ध करते हुए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह उपयुक्त समझे, दूर संचार नेटवर्क के ऐसे किसी और स्थान पर ले जाए जाने या परिवर्तित करने जिसके अंतर्गत दूर संचार नेटवर्क का संपत्ति के किसी अन्य भाग पर ले जाया जाना या किसी उच्चतर या निम्नतर स्तर पर ले जाया जाना या उसके रूप में परिवर्तन करना सम्मिलित है ऐसे किसी और स्थान पर ले जाए जाने या परिवर्तन किए जाने का अनुमोदन या उसे अस्वीकार कर सकेगा और इस प्रकार किया गया आदेश अंतिम होगा ।

सुविधा प्रदाता को सूचना ।

17. (1) कोई व्यक्ति, जो अपने किसी अधिकार का प्रयोग करने में अपनी संपत्ति को इस प्रकार बरतना चाहता है जिससे किसी दूर संचार नेटवर्क, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सम्यकत: स्थापित किया गया है, को नुकसान होने या दूर संचार सेवाओं में विध्न या हस्तक्षेप होने की संभाव्यता हो, तो ऐसे अधिकार के प्रयोग करने के अपने आशय की ऐसी अवधि और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सुविधा प्रदाता को या केंद्रीय सरकार या ऐसे किसी प्राधिकारी को, जो केंद्रीय सरकार द्‌वारा अधिसूचित किया जाए, पूर्व सूचना देगा ।

(2) सुविधा प्रदाता ऐसे दूर संचार नेटवर्क और रक्षोपाय, जो किए गए हों, ऐसी समय सीमा के भीतर, जो विहित की जाए, के ब्यौरों सहित ऐसी सूचना का प्रति उत्तर देगा ।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक क्षति के आसन्न खतरे से बचाने के सद्‌भावपूर्ण आशय से किसी संपत्ति से उस प्रकार बरतता है, जो उक्त धारा में निर्दिष्ट है, उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उक्त धारा के उपबंधों का अनुपालन कर दिया है ।

(4) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अनुबंधों की अनुपालना करने में विफल रहता है, जिससे किसी दूर संचार नेटवर्क को नुकसान होने या दूर संचार सेवाओं में विध्न या हस्तक्षेप होने की संभाव्यता हो तो जिला मजिस्ट्रेट सुविधा प्रदाता के आवेदन पर ऐसे व्यक्ति को आदेश दे सकेगा कि वह उस संपत्ति से उस प्रकार बरतने से उसके आदेश की तारीख से एक मास से अनधिक की कालावधि तक प्रविरत रहे और उस संपत्ति के बारे में तुरंत ऐसी कार्यवाही करे जो उस जिला मजिस्ट्रेट की राय में ऐसी कालावधि के दौरान ऐसे नुकसान, विध्न या हस्तक्षेप का उपचार या निवारण करने के लिए आवश्यक हो ।

(5) यदि नुकसानों से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह विषय धारा 18 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

18. (1) जिला मजिस्ट्रेट या केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता के भीतर संपत्ति अवस्थित है, को इस धारा की उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट विवादों के सिवाय, इस अध्याय के अधीन किन्हीं विवादों का समाधान करने की अनन्य शक्तियां होंगी । इस अध्याय से संबंधित विवाद समाधान ।

(2) यदि कोई विवाद धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन प्रतिकर, धारा 12 की उपधारा (2) और उपधारा (4), धारा 17 की उपधारा (5) से संबंधित उत्पन्न होता है तो विवाद करने वाले किसी भी पक्षकार द्वारा उस जिला न्यायाधीश को, जिसकी अधिकारिता के भीतर संपत्ति अवस्थित है, आवेदन के प्रयोजन से किए गए आवेदन का उसके द्वारा अवधारण किया जाएगा ।

(3) इस धारा के अधीन किसी जिला मजिस्ट्रेट या जिला न्यायाधीश द्वारा किसी विवाद का प्रत्येक अवधारण अंतिम होगा ।

(4) उपधारा (3) की किसी बात का किसी सुविधा प्रदाता द्वारा संदत्त किसी प्रतिकर के संपूर्ण या किसी भाग को वाद द्वारा उस व्यक्ति से, जिसने उसे प्राप्त किया है, किसी व्यक्ति के वसूली के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।

अध्याय 4

दूर संचार नेटवर्क के मानक, लोक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षण

19. केंद्रीय सरकार निम्नलिखित के संबंध में मानक और अनुरूप मूल्यांकन उपाय अधिसूचित कर सकेगी,— मानक अधिसूचित करने की शक्ति ।

(क) दूर संचार उपस्कर, दूर संचार पहचान कारक, और दूर संचार नेटवर्क ;

(ख) समय-समय पर भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किन्हीं नियमों के अनुरूप दूर संचार सेवाएं ;

(ग) दूर संचार उपस्करों का विनिर्माण, आयात, वितरण और विक्रय ;

(घ) दूर संचार सुरक्षा, जिसके अंतर्गत दूर संचार सेवाओं और दूर संचार नेटवर्कों में पहचान, विश्लेषण और प्रवेशन का निवारण भी सम्मिलित है ;

(ङ) दूर संचार सेवाओं और दूर संचार नेटवर्कों की साइबर सुरक्षा ; और

(च) दूर संचार में गूढ़लेखन और डाटा प्रक्रमण ।

20. (1) किसी लोक आपात के होने पर, जिसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन भी है या लोकहित में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या इस निमित्त केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, उस दशा में जब उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो अधिसूचना द्वारा,— लोक आपात और लोक सुरक्षा के लिए उपबंध ।

(क) किसी प्राधिकृत इकाई से दूर संचार सेवाओं या दूर संचार नेटवर्क का अस्थायी कब्जा ले सकेगा ; या

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित तंत्र उपलब्ध कराना कि लोकापात

के दौरान किसी उपयोक्ता को या उपयोक्ताओं के समूह को, जो प्रति उत्तर के लिए प्राधिकृत हों और वसूली के लिए संदेश पूर्विकता के आधार पर भेजे जाएं ;

(2) किसी लोक आपात के होने पर या लोक सुरक्षा के हित में, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, उस दशा में जब उसका यह समाधान हो जाता है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की रक्षा और सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हितों में अथवा किसी अपराध के किए जाने के उद्दीपन के निवारण के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, ऐसी प्रक्रिया और सुरक्षापायों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आदेश द्वारा निम्नलिखित निदेश दे सकेगा,—

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को या उसके द्वारा या किसी विशिष्ट विषय से संबंधित कोई संदेश या संदेशों का कोई वर्ग, जो किसी दूर संचार सेवा या दूर संचार नेटवर्क द्वारा पारेषणार्थ लाया गया है या पारेषित या प्राप्त हुआ है, पारेषित नहीं किया जाएगा या अंतर्रुद्ध या निरुद्ध किया जाएगा या आदेश देने वाली सरकार या आदेश में वर्णित किसी अधिकारी को प्रकट किया जाएगा ; या

(ख) कोई दूर संचार सेवा या दूर संचार सेवाओं के वर्ग को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से दूर संचार उपस्कर या दूर संचार उपस्करों के वर्ग से या किसी विशिष्ट विषय से संबंधित संदेश को किसी दूर संचार सेवा या दूर संचार नेटवर्क से ले गए या ले जाए गए संदेश को निलंबित किया जाएगा ।

(3) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को प्रत्याशित संवाददाताओं के वे प्रेस संदेश, जो भारत में प्रकाशित किए जाने के लिए आशयित हैं, तब तक अंतर्रुद्ध या निरुद्ध नहीं किए जाएंगे जब तक उनका पारेषण उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रतिषिद्ध न किया गया हो ।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन कोई कार्रवाई ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, होगी ।

राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के लिए उपाय ।

21. केंद्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, या युद्ध की दशा में, ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, अधिसूचना द्वारा ऐसे उपाय कर सकेगी, जो मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हों, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में निदेश जारी करना भी है, अर्थात् :—

(क) दूर संचार उपस्कर, दूर संचार सेवाएं, दूर संचार नेटवर्क और दूर संचार पहचानकारक का उपयोग ;

(ख) दूर संचार उपस्कर के विनिर्माण, आयात और वितरण को लागू मानक ;

(ग) प्राधिकृत इकाइयों या समनुदेशितियों द्वारा अंगीकृत किए जाने वाले मानक ;

(घ) केवल विश्वस्त स्रोतों से दूर संचार उपस्कर और दूर संचार सेवाओं का उपापन ;

(ङ) ऐसे देशों या व्यक्ति से, जो अधिसूचित किए जाएं, विनिर्दिष्ट दूर संचार

उपस्कर और दूर संचार सेवाओं का निलंबन, उन्हें हटाना या उनके उपयोग को प्रतिषिद्ध करना ; या

(च) केन्द्रीय सरकार के, किसी या सभी में से किसी दूर संचार सेवा, या दूर संचार नेटवर्क या उसके किसी भाग का, जो ऐसी दूर संचार सेवाओं के साथ सहबद्ध हो, प्रबंधन करने के लिए, किसी प्राधिकार को न्यस्त करने, या उसका प्रचालन निलंबित करने, या उसे नियंत्रण और प्रबंधन में लेने ।

दूर संचार नेटवर्क और दूर संचार सेवाओं का संरक्षण ।

22. (1) केंद्रीय सरकार, दूर संचार नेटवर्कों और दूर संचार सेवाओं को सुरक्षित करने के उपायों और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगी ।

(2) इन उपायों में संग्रहण, विश्लेषण और यातायात डाटा का प्रसार, जिसे दूर संचार नेटवर्कों में सृजित, पारेषित, प्राप्त या भांडागारित किया जाए ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''यातायात डाटा'' पद से दूर संचार नेटवर्कों में सृजित, पारेषित, प्राप्त या भांडागारित कोई डाटा अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत किसी दूर संचार में प्रकार, राउटिंग, अवधि या समय से संबंधित डाटा भी है ।

(3) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी दूर संचार नेटवर्क, या उसके भाग की, महत्वपूर्ण दूर संचार अवसंरचना के रूप में घोषणा कर सकेगी जिसके भंग होने से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर दुर्बल प्रभाव होगा ।

(4) केंद्रीय सरकार, ऐसे महत्वपूर्ण दूर संचार अवसंरचना के कार्यान्वयन के लिए मानक, सुरक्षा उपाय और उन्नयन अपेक्षाएं और प्रक्रियाओं का उपबंध करने हेतु नियम बना सकेगी ।

निदेश देने की शक्ति ।

23. यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, तो केंद्रीय सरकार किसी प्राधिकृत इकाई को उसके दूर संचार सेवाओं या दूर संचार नेटवर्क को विशिष्ट संदेश पारेषित करने की ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, निदेश दे सकेगी ।

अध्याय 5

डिजिटल भारत निधि

डिजिटल भारत निधि की स्थापना ।

1885 का 13

24. (1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन सृजित सर्वव्यापी सेवा बाध्यता निधि, नियत दिन से ही ''डिजिटल भारत निधि'' केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन होगी और इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन किए जाने के लिए उपयोग की जाएगी ।

(2) डिजिटल भारत निधि को देय कोई धन राशि, जो धारा 3 के अधीन प्राधिकार के अनुसरण में संदत्त है, वह डिजिटल भारत निधि में जमा की जाएगी ।

(3) डिजिटल भारत निधि में जमा अतिशेष वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होगा ।

(4) सर्वव्यापी सेवा बाध्यता को नियत दिन के पूर्व अनुदत्त अनुज्ञप्तियों के अधीन संदेय सभी रकम डिजिटल भारत निधि को संदेय रकम मानी जाएंगी ।

भारत की समेकित निधि में राशि जमा करना ।

25. धारा 24 के अधीन डिजिटल भारत निधि के लिए प्राप्त धन राशियां पहले भारत की समेकित निधि में जमा की जाएंगी, और केंद्रीय सरकार, यदि संसद् इस निमित्त विधि द्वारा किए गए विनियोग द्वारा ऐसा उपबंध करे, तो जमा ऐसे आगमों को समय-

समय पर प्रयोग किए जाने के लिए डिजिटल भारत निधि में जमा करेगी, जो अनन्य रूप से निम्नलिखित एक या सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होगी, अर्थात् :—

(क) सर्वव्यापी सेवा समर्थन को पहुंच से दूर ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में दूर संचार सेवाओं के माध्यम से पहुंच सुकर बनाना और परिदत्त करना ;

(ख) दूर संचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का शोध और विकास करने में सहयोग करना ;

(ग) इस धारा में खंड (क) के अधीन सेवा के उपबंधों हेतु महत्वकांक्षी परियोजनाओं, परामर्श संबंधी सहायता और सलाहकार सहयोग में सहायता करना ; और

(घ) दूर संचार सेवाओं, प्रौद्योगिकी और उत्पादों के प्रारंभ में सहयोग करना ।

निधि का प्रशासन ।

26. डिजिटल भारत निधि ऐसी रीति में प्रशासित की जाएगी, जो विहित की जाए ।

अध्याय 6

नवोन्मुख और प्रौद्योगिकी विकास

विनियामक सैंड बाक्स ।

27. केंद्रीय सरकार, दूर संचार में नवोन्मुख और प्रौद्योगिकी विकास के प्रोत्साहन और सुकर बनाने के प्रयोजनों हेतु एक या अधिक विनियामक सैंड बाक्स, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के लिए, जो विहित किए जाएं, बना सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनियामक सैंड बाक्स" पद से ऐसा सीधा पर्यावरण परीक्षण निर्दिष्ट है, जहां ऐसे नए उत्पाद, सेवा, प्रक्रमण और कारबार नमूने, जो इस अधिनियम के उपबंधों से कतिपय छूटों सहित, विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए सीमित उपयोक्ताओं पर लगाए जाएं ।

अध्याय 7

उपयोक्ताओं का संरक्षण

उपयोक्ताओं के संरक्षण हेतु उपाय ।

28. (1) इस धारा के प्रयोजन हेतु, "विनिर्दिष्ट संदेश" से ऐसा कोई संदेश, जो माल, सेवाओं, संपत्ति हित, कारबार अवसर, नियोजन अवसर या विनिधान अवसर हेतु प्रस्ताव, विज्ञापन या संवर्धन करने हेतु है, चाहे निम्नलिखित हो या न हो,—

(क) माल, सेवा, हित या अवसर वास्तव में हैं ; या

(ख) ऐसे माल, सेवा, संपत्ति, अर्जित हित या लिया गया अवसर विधिपूर्ण हैं ।

(2) केंद्रीय सरकार, समय-समय पर भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण अधिसूचित किन्हीं विनियमों के अनुरूप उपयोक्ताओं के संरक्षण हेतु उपायों के लिए नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित उपाय, भी हैं जैसे—

(क) कतिपय विनिर्दिष्ट संदेश या विनिर्दिष्ट संदेशों के वर्ग को प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता की पूर्व सहमति ;

(ख) एक या एक से अधिक को रजिस्टरों की तैयारी और रखरखाव, जिसे "परेशान न करें" रजिस्टर कहा जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि

उपयोगकर्ता की पूर्व सहमति के बिना विनिर्दिष्ट संदेश या विनिर्दिष्ट संदेशों का वर्ग प्राप्त नहीं हुआ है ; या

(ग) उपयोगकर्ताओं को इस धारा के उल्लंघन में प्राप्त किसी भी मालवेयर या विनिर्दिष्ट संदेश को समर्थ बनाने के लिए क्रियाविधि ।

(3) दूर संचार सेवाएं प्रदान करने वाली एक प्राधिकृत इकाई उपयोगकर्ताओं को दूर-संचार सेवा से संबंधित किसी भी शिकायत को रजिस्टर करने के लिए और ऐसी शिकायत का निवारण करने में सक्षम बनाने के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक ऑनलाइन क्रियाविधि स्थापित करेगी ।

29. कोई उपयोगकर्ता,— उपयोगकर्ताओं के कर्तव्य ।

(क) दूर संचार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपनी पहचान स्थापित करते समय कोई मिथ्या विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा, किसी महत्वपूर्ण जानकारी को नहीं छिपाएगा या किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण नहीं करेगा ।

(ख) इस अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित जानकारी को साझा करने में विफल नही होगा ।

30. (1) केन्द्रीय सरकार, उपयोगकर्ताओं और दूर संचार सेवाएं प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाइयों के बीच विवादों के समाधान के लिए एक या अधिक ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र स्थापित या अनुमोदित कर सकेगी । उपयोगकर्ता की शिकायत के निवारण के लिए विवाद समाधान तंत्र ।

(2) दूर संचार सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक प्राधिकृत इकाई, उपधारा (1) के अधीन स्थापित विवाद समाधान तंत्र में भाग लेगी, और ऐसे तंत्र में भाग लेने के लिए ऐसे निबंधन और शर्तों का पालन करेगी, जो विहित किया जाए ।

2019 का 35 (3) यह धारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी ।

अध्याय 8

कतिपय उल्लंघनों का न्यायनिर्णयन

31. इस अध्याय के प्रयोजन के लिए,— इस अध्याय में प्रयुक्त पदों की परिभाषाएं ।

(क) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से धारा 35 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ; और

(ख) "अभिहित अपील समिति" से धारा 36 के अधीन नियुक्त समिति अभिप्रेत है ।

32. (1) न्यायनिर्णायक अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत प्राधिकार या समनुदेशन के किसी निबंधन और शर्तों के भंग के मामले में, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन जांच के अनुसरण में,— प्राधिकार या समनुदेशन के निबंधन और शर्तों का भंग ।

(क) निम्नलिखित में से, एक या दोनों के संबंध में लिखित में कोई आदेश पारित करेगा, अर्थात् :—

(i) ऐसी प्राधिकृत इकाई को, या समनुदेशिती को, ऐसे उल्लंघन को रोकने या अनुपालन करने के लिए, किसी कार्य या चीज को करने या करने से रोकने के लिए निदेश देना ;

(ii) दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सिविल शास्तियां अधिरोपित करना ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के विचार के लिए प्राधिकार या समनुदेशन की अवधि के निलंबन, प्रतिसंहरण या कम करने के संबंध में सिफारिश करना ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी की सिफारिशों पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात्, प्राधिकार या समनुदेशन को, यथास्थिति, निलंबित, कम या प्रतिसंहृत कर सकेगी, जिसे, यदि सारवान् उल्लंघन का केंद्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप से उपचार कर दिया जाता है, तो इसे उल्टा जा सकेगा ।

(3) इस धारा या धारा 33 के अधीन दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी को निम्नलिखित कारकों पर उचित ध्यान देना होगा, अर्थात् :—

(क) उल्लंघन के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, उल्लंघन की प्रकृति, गंभीरता और अवधि ;

(ख) ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या, और उनके द्वारा होने वाले नुकसान का स्तर ;

(ग) उल्लंघन का जानबूझकर या लापरवाही का प्रकार ;

(घ) उल्लंघन के दोहराव की प्रकृति ;

(ङ) उल्लंघन को शमन करने के लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाई, जिसमें धारा 34 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन स्वैच्छिक वचनबंध उपलब्ध करना भी सम्मिलित है ;

(च) केन्द्रीय सरकार को हुई राजस्व हानि ;

(छ) मामले की परिस्थितियों से संबंधित कोई भी उत्तेजक कारक, जैसे अनुपातहीन लाभ या अनुचित लाभ की रकम, जहां भी मात्रात्मक हो, उल्लंघन के परिणाम के रूप में हो ; और

(ज) मामले की परिस्थितियों से संबंधित सुसंगत कोई की शमन कारक, जैसे उल्लंघन के समय पर परिशोधन, या उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाली हानि से बचने के लिए उठाए गए कदम ।

अधिनियम का उल्लंघन ।

33. (1) न्यायनिर्णायक अधिकारी, तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट, इस अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में, ऐसे प्ररूप, रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, प्राप्त किसी शिकायत की प्राप्ति पर, या स्वतः, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन जांच करेगा, ऐसा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति द्वारा संदेय, तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रकम तक के सिविल शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए, लिखित रूप में आदेश पारित करेगा ।

(2) तीसरी अनुसूची के उपबंध, दुष्प्रेरण या ऐसे उल्लंघन कारित करने का प्रयास करने, या षड़यंत्र कारित करने, जैसा वे ऐसे उल्लंघन पर लागू होते हैं, लागू होगें ।

उल्लंघनों के लिए स्वैच्छिक वचनबंध ।

34. (1) धारा 32 के अधीन या तीसरी अनुसूची के क्रम संख्याक 4 के अधीन यथा उपबंधित उल्लंघन करने वाली कोई प्राधिकृत इकाई या समनुदेशिती, ऐसे उल्लंघन के अवधारण की प्रक्रिया की किसी सूचना या प्रारंभ से पूर्व, न्यायनिर्णायक अधिकारी को ऐसे उल्लंघन को प्रकट करते हुए और ऐसे उल्लंघन का शमन करने के लिए किए गए या किए जाने वाले उपायों का स्वैच्छिक वचनबंध प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन दिए गए स्वैच्छिक वचनबंध की स्वीकृति से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों का वर्जन करेगी ।

(3) जहां न्यायनिर्णायक अधिकारी को यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि धारा 32 या तीसरी अनुसूची के क्रम संख्यांक 4 के अधीन यथा उपबंधित उल्लंघन हुआ है, तो वह सुसंगत धारा के अधीन संबंधित प्राधिकृत इकाई या समनुदेशिती को नोटिस देगा ।

(4) प्राधिकृत इकाई या समनुदेशिती, उपधारा (3) के अधीन सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय, ऐसे उल्लंघन के संबंध में प्रस्तावित शमन उपायों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक स्वैच्छिक वचनबंध प्रस्तुत कर सकेगा ।

(5) उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत स्वैच्छिक वचनबंध की स्वीकृति का शमन उपाय के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (क) या तीसरी अनुसूची के क्रम संख्याक 4 के अधीन सिविल शास्ति के अवधारण के प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा ।

(6) इस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन स्वैच्छिक वचनबंध, विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिर्दिष्ट कार्रवाई करने का वचनबंध ; विनिर्दिष्ट कार्रवाई को करने से विरत रहने का वचनबंध ; और स्वैच्छिक वचनबंध को प्रचारित करने का वचनबंध सम्मिलित हो सकेगा ।

(7) न्यायनिर्णायक अधिकारी, उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन स्वैच्छिक वचनबंध को स्वीकार कर सकेगा या स्वैच्छिक वचनबंध प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाई या समनुदेशिती के करार के साथ, ऐसे स्वैच्छिक वचनबंध में सम्मिलित निबंधनों में परिवर्तन कर सकेगा ।

(8) जब स्वैच्छिक वचनबंध प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाई या समनुदेशिती, ऐसे वचनबंध की किन्हीं शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी, ऐसे प्राधिकृत इकाई या समनुदेशिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची में यथा लागू, के अधीन विनिर्दिष्ट सिविल शास्ति का अधिरोपण कर सकेगा ।

न्यायनिर्णायक अधिकारी ।

35. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी को, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच करने के लिए एक या अधिक न्यायनिर्णयन अधिकारियों के रूप में नियुक्त करेगी ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी, जांच करने के पश्चात्, धारा 32 या धारा 33 के उपबंधों के अनुसार ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे ।

अभिहित अपील समिति ।

36. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को, जो अपर सचिव के पद से नीचे का न हो, एक या अधिक अभिहित अपील समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जिसको धारा 32 की उपधारा (1) या धारा 33 के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील कर सकेगा ।

(2) व्यथित व्यक्ति द्वारा, उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, फाइल की जाएगी ।

न्यायनिर्णायक अधिकारी और अभिहित अपील समिति द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया ।

37. (1) न्यायनिर्णायक अधिकारी और अभिहित अपील समिति की कार्यप्रणाली, जहां तक संभव हो, रूपरेखा के अनुसार डिजिटल होगी और वे डिजिटल कार्यालयों के रूप में कार्य करेंगे तथा ऐसे तकनीकी विधिक उपायों को, जो विहित किए जाएं, अभिनियोजित करेंगे, जो उसकी कार्यप्रणाली के लिए आनलाइन प्रक्रिया को सक्षम बनाएगी ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी और अभिहित अपील समिति की वही शक्तियां होंगी जो सिविल न्यायालय की होती है, और इसके समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएंगी । 1860 का 45

प्रवर्तन ।

38. न्यायनिर्णायक अधिकारी या अभिहित अपील समिति, द्वारा दिया गया कोई आदेश उसी रीति मे निष्पादनीय होगा मानो वह सिविल न्यायालय की डिक्री हो ; और ऐसे आदेश को धारा 36 और धारा 39 में यथा उपबंधित ऐसे आदेशों के विरूद्ध अपील करने के लिए दी गई अवधि की समाप्ति पर इस धारा के अधीन अंतिम डिक्री माना जाएगा ।

धारा 32 से संबंधित मामलों पर अपील ।

39. कोई व्यक्ति, जो धारा 36 के अधीन अभिहित अपील समिति के आदेश से व्यथित है, जहां तक इसका संबंध धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन मामलों से है, या धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार के आदेश से है, इसकी अपील भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14 के अधीन गठित दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण में, उस तारीख से जिसको ऐसे प्राधिकृत इकाई या समनुदेशिती द्वारा आदेश की प्रति प्राप्त हुई है, से तीस दिन की अवधि के भीतर अपील की जा सकेगी । 1997 का 24

धारा 33 से संबंधित मामलों पर अपील ।

40. धारा 36 के अधीन अभिहित अपील समिति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, जहां तक इसका संबंध धारा 33 के अधीन मामलों से संबंधित है, की अपील मामले पर अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय में कर सकेगा ।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ।

41. किसी सिविल न्यायालय के पास किसी भी मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसे न्यायनिर्णायक अधिकारी, अभिहित अपील समिति, केन्द्रीय सरकार या दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण, इस अध्याय के अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है ।

अध्याय 9

अपराध

अपराधों से संबंधित साधारण उपबंध ।

42. (1) जो कोई धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन बिना प्राधिकार के दूर संचार नेटवर्क स्थापित करता है या दूर संचार सेवाएं प्रदान करता है या संकटपूर्ण दूर संचार की अवसंरचना को नुकसान पहुंचाता है तो वह ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो दो करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या प्रतिरूपण के माध्यम से—

(क) किसी दूर संचार नेटवर्क या किसी प्राधिकृत इकाई के डाटा तक अनधिकृत पंहुच प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है या किसी प्राधिकृत इकाई के डाटा को स्थानान्तरित करता है ; या

(ख) किसी संदेश को विधिविरूद्ध तरीके से अंतर्रुद्ध करता है,

वह कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो दो करोड़ रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

1860 का 45 (i) "प्रतिरूपण" पद का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 416 के अधीन इसमें नियत है ;

(ii) प्राधिकृत इकाई में कॉल डाटा रिकार्ड, इंटरनेट प्रोटोकाल डाटा रिकार्ड, ट्रैफिक डाटा, सब्सक्राइबर डाटा रिकार्ड और इसी तरह की अन्य चीजें सम्मिलित हैं ।

(3) जो कोई—

(क) किसी उपस्कर को बिना प्राधिकार के अपने पास रखता है या इसका उपयोग करता है जो दूर संचार को अवरूद्ध करता है ;

(ख) इन दूर संचार पहचानकर्ताओं का उपयोग करता है जो धारा 3 की उपधारा (8) और उपधारा (9) के अनुसार आबंटित या अनुज्ञात नहीं है ;

(ग) दूर संचार पहचानकर्ताओं के साथ छेड़छाड़ करता है ;

(घ) बिना प्राधिकार या छूट के रेडियो उपस्कर रखता है जो विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक ग्राहक पहचान माड्यूल को समायोजित कर सकता है ;

(ङ) धोखाधड़ी, छल या प्रतिरूपण के माध्यम से ग्राहक पहचान मॉड्यूल या अन्य दूर संचार पहचानकर्ता प्राप्त करता है ;

(च) जानबूझकर रेडियो उपस्कर अपने पास रखता है, यह जानते हुए कि यह अनधिकृत या छेड़छाड़ किए गए दूर संचार पहचानकर्ताओं का उपयोग करता है, वह कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(4) जो कोई धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा पर अधिसूचना में किन्हीं उपायों का जानबूझकर अतिलंघन करेगा, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष के लिए होगा या ऐसे जुर्माने से जो दो करोड़ रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा तथा केंद्रीय सरकार यदि उचित समझती है, ऐसे व्यक्ति को दूर संचार सेवा से निलंबित या बर्खास्त भी कर सकेगी ।

(5) जो कोई संकटकालीन दूर संचार अवसंरचना के सिवाय दूर संचार नेटवर्क को क्षति कारित करेगा ऐसी कारित क्षति तथा जुर्माने के लिए प्रतिकर के लिए दायी होगा, जो पचास लाख रुपए तक हो सकेगी ।

(6) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है अथवा कारित करने का प्रयास करता है या कारित करने का षड्यंत्र करता है, यदि इस प्रकार

दुष्प्रेरित या षड्यंत्र कार्य ऐसे दुष्प्रेरण या षड्यंत्र के परिणामस्वरूप कारित किया जाता है, अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा ।

(7) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा में विनिर्दिष्ट सभी अपराध संज्ञेय तथा गैर-जमानतीय होंगे । 1974 का 2

(8) मेट्रोपोलिटेन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम वर्ग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के दंड के लिए विचारण नहीं करेगा ।

खोज करने की शक्ति ।

43. इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी भवन, यान, जलयान, हवाई जहाज या किसी ऐसे स्थान की खोज कर सकेगा, जिसमें उसके यह विश्वास करने का कारण है कि कोई अप्राधिकृत दूर संचार नेटवर्क या दूर संचार उपस्कर या रेडियो उपस्कर जिसके संबंध में धारा 42 के अधीन दंडनीय कोई अपराध कारित किया गया है, उसको रखता है या छिपाता है और कब्जा करता है ।

प्राधिकृत अधिकारियों को जानकारी देना ।

44. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान होता है कि किसी इकाई या उपभोक्ता या अभिदाता द्वारा उपभोग की गई कोई दूर संचार सेवा, दूर संचार नेटवर्क या स्पेक्ट्रम के प्रयोग के संबंध में किसी प्राधिकृत इकाई या निर्धारिती के कब्जे या नियंत्रण में कोई सूचना, दस्तावेज या अभिलेख को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसके संबंध में कोई लंबित मामला या आशंकित सिविल या आपराधिक कार्यवाही इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा लिखित में विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी उसको ऐसी सूचना, दस्तावेज या अभिलेख को प्रस्तुत करने के लिए ऐसे प्राधिकृत इकाई या निर्धारिती को निदेश देगा तथा प्राधिकृत इकाई या निर्धारिती ऐसे अधिकारी के निदेश का अनुपालन करेंगे ।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

सुरक्षा हितों का सृजन ।

45. केंद्रीय सरकार ऐसी सुरक्षा के लिए हित प्रदान कर सकती है, जो ऐसे सुरक्षा हित के निबंधन और शर्तें, जो विहित की जाएं, ऐसी योजना पर जिसमें किसी प्राधिकृत इकाई को ऐसी इकाई वित्तीय उधार के लिए प्रदान किया जा सके ।

किसी जलयान या वायुयान पर रेडियो उपस्कर के प्रचालन के लिए व्यक्ति का प्रमाणन ।

46. केंद्रीय सरकार वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयानों के ऐसे प्रवर्ग पर एक रेडियो उपस्कर प्रचालित करने वाले किसी व्यक्ति को या वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वायुयान तथा जलयान या वाहन के किसी अन्य प्रवर्ग को प्रमाणपत्र मंजूर कर सकती है, जो ऐसे निबंधनों और शर्तों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सके, जिसके अंतर्गत फीस और प्रभार लागू होते हैं, जो विहित की जाए । 1958 का 44 1934 का 22

अव्यवसायी स्टेशन प्रचालक के लिए प्रमाणन ।

47. केंद्रीय सरकार किसी अव्यवसायी स्टेशन में संस्थापित करने तथा प्रचालित करने के लिए किसी व्यक्ति के प्रमाण की रीति के लिए नियम उपबंधित कर सकेगी तथा ऐसे नियम, ऐसे निबंधनों और शर्तों, जिसमें किसी अव्यवसायी स्टेशन को प्रचालित करने के लिए प्रमाणपत्र मंजूर किया जा सकता है, के लिए अर्हता को नियम द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रमाणपत्र को मंजूर करने के लिए परीक्षा आयोजित कराने, उसके लिए संदत्त फीस और प्रभार देना तथा अन्य सुसंगत मामले भी सम्मिलित हैं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अव्यवसायी सेवा" से स्वयं प्रशिक्षण, अंतर संसूचना तथा किसी अव्यवसायी द्वारा किया गया तकनीकी अन्वेषण के प्रयोजन के लिए रेडियो संसूचना सेवा अभिप्रेत है, जिसे व्यक्तिगत लक्ष्य तथा बिना किसी धनीय हित के केवल रेडियो तकनीकी में सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है ;

(ख) "अव्यवसायी स्टेशन" से किसी अव्यवसायी सेवा के लिए अव्यवसायी द्वारा प्रचालित रेडियो स्टेशन अभिप्रेत है ।

उपस्कर के प्रयोग का प्रतिषेध जो दूर संचार को अवरुद्ध करता हो ।

48. कोई व्यक्ति ऐसा उपस्कर नहीं रखेगा या उपयोग करेगा, जो दूर संचार अवरुद्ध करता हो जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञा प्रदान न कर दी गई हो या केंद्रीय सरकार द्वारा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए किसी प्राधिकरण को प्राधिकृत न कर दिया गया हो ।

ऐसी शास्तियां जिससे अन्य दायित्व प्रभावित नहीं होते हैं ।

49. (1) अध्याय 8 या अध्याय 9 के उपबंधों के अनुसरण में अधिरोपित शास्तियां किसी प्राधिकृत इकाई या निर्धारिती द्वारा प्रतिकर या किसी फीस या सम्यक् प्रभार के संदाय के संबंध में किसी देयता के अतिरिक्त, न कि उसके अल्पीकरण में किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य दायित्व के अतिरिक्त न कि प्रतिकूल प्रभाव में, जिससे किसी व्यक्ति को तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपगत किया जा सकता है ।

भारत के बाहर कारित किए जाने वाले किसी अपराध या अतिलंघन के लिए अधिनियम का लागू होना ।

50. यह अधिनियम किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर कारित किए जाने वाले किसी अपराध या अतिलंघन को लागू होगा, यदि ऐसे अपराध या अतिलंघन के गठन में कोई कृत्य या आचरण में भारत में प्रदान की गई दूर संचार सेवा या दूर संचार उपस्कर या भारत में स्थित दूर संचार नेटवर्क अंतर्वलित है ।

सद्भावना में की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

51. कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी के विरुद्ध नहीं की जाएगी या इस निमित्त कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, यथास्थिति, जिसने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या आदेश के अनुसार सद्भावपूर्वक किया जाता है, या करने का आशय रखता है ।

अन्य विधियों के साथ संगतता ।

52. (1) इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त, किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, और उनके अल्पीकरण में उनका अर्थ नहीं लगाया जाएगा, तथा उनका अर्थ ऐसी विधि से सुसंगत लगाया जाएगा ।

(2) यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध तथा संपूर्ण भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध या किसी राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर लागू किसी प्रतिबंध के मध्य कोई विरोध उत्पन्न होता है, इस अधिनियम के उपबंध ऐसे विरोध के विस्तार तक अभिभावी होगा ।

अधिनियम का क्रियान्वयन ।

53. अधिनियम का क्रियान्वयन डिजाइन द्वारा डिजिटल रूप से किया जाएगा तथा केंद्रीय सरकार ऐसे उपाय करेगी, जो इस अधिनियम के डिजिटल क्रियान्वयन को समर्थ बनाने में आवश्यक हो ।

प्राधिकृत इकाई के कर्मचारी का साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं होना ।

54. किसी प्राधिकृत इकाई का कोई कर्मचारी किसी ऐसी विधिक कार्यवाही, जिसमें ऐसी प्राधिकृत इकाई पक्षकार नहीं है विशेष कारण के लिए किसी न्यायालय या न्यायाधीश के आदेश द्वारा यथा अपेक्षित के सिवाय, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख में अंतर्विष्ट जानकारी को साबित करने के लिए किसी साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा । 1872 का 1

महाद्वीपीय मग्नतट और अनन्य आर्थिक जोन में अधिकार ।

55. भारत के महाद्वीपीय मग्नतट और अनन्य आर्थिक जोन में इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण या निर्धारण को मंजूर करने तथा यथास्थिति, किसी प्राधिकृत इकाई या निर्धारिती के अधिकार के लिए केंद्रीय सरकार के विशेषाधिकार राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 और लागू अंतरराष्ट्रीय विधियों के अधीन होंगे जैसा भारत में स्वीकार और समर्थित किया गया हो । 1976 का 80

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

56. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से संगत हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों में सभी या किन्हीं के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत अधिप्रमाणन अभिप्राप्त करने के लिए फीस और प्रभार्य ही है ;

(ख) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन अधिप्रमाणन प्रदान करने के लिए छूट की रीति ;

(ग) धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन निबंधन और शक्ति, जिसके अंतर्गत मूल प्राधिकृत इकाई के लिए लागू फीस और प्रभार्य जो किसी विलयन, निर्विलयन अधिग्रहण या पुनर्संरचना के अन्य प्ररूप के अनुसार प्रकट होती हों, है ;

(घ) धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन नए सेट के लिए प्रव्रजन के लिए अधिप्रमाणन निबंधन और शर्तें ;

(ङ) धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन दूर संचार सेवाओं की किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए सत्यापन योग्य बायोमैट्रिक आधारित पहचान ;

(च) धारा 3 की उपधारा (8) के अधीन निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रयोग करने के लिए दूर संचार पहचानकर्ता के आबंटन के लिए फीस और प्रभार भी सम्मिलित हैं ;

(छ) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन स्पेक्ट्रम के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत क्रिया विधि, अवधि और प्रक्रिया की कीमत, शुल्क, फीस और प्रभार के लिए आवृत्ति रेंज, प्रणाली विज्ञान भी सम्मिलित है ;

(ज) धारा 4 की उपधारा (7) के अधीन स्पेक्ट्रम के निर्धारण के लिए छूट की रीति ;

(झ) धारा 5 के अधीन पुनर्संरचना तथा सामंजस्य के लिए निबंधन और शर्तें ;

(ञ) धारा 6 के अधीन निबंधन और शर्तें जिसके अंतर्गत लागू फीस और प्रभार तथा अन्य सुसंगत शर्तें, जिसके अधीन वहन योग्य, उदारीकृत तथा प्रौद्योगिक रूप से प्राकृतिक रीति में स्पेक्ट्रम की उपयोगिता भी है ;

(ट) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्पेक्ट्रम के अधिकतम उपयोग के लिए निबंधन और शर्तें ;

(ठ) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन अपर्याप्त कारणों के लिए स्पेक्ट्रम के अनुपयोग की अवधि स्पेक्ट्रम उपोयोगिता से संबंधित और निबंधन और शर्तें ;

(ड) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन निबंधन और शर्तें जिसके अंतर्गत निर्धारित किए गए स्पेक्ट्रम की भागीदारी, व्यापार, पट्टा और अभ्यर्पण के लिए लागू फीस और प्रभार भी है ;

(ढ) धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन लोक संपत्ति में दूर संचार नेटवर्क के मार्गाधिकार के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए समय-सीमा, तथा मार्गाधिकार के लिए प्रशासनिक व्यय तथा प्रतिकर के लिए रकम का उपयोग;

(ण) धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन दूर संचार नेटवर्क में प्रवेश, सर्वे, स्थापित, प्रचालित, रखरखाव, अनुरक्षण, बदलने या पुन:स्थापन के लिए प्रसुविधा प्रदाता द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत संपत्ति के स्वामी या अधिभोगी द्वारा सूचना को जारी करने की रीति, शासी आक्षेपों का कार्यढ़ांचा, वह रीति जिसमें ऐसे आक्षेपों का पुन:समाधान किया जाएगा तथा किसी हानि के लिए संदेय प्रतिकर से संबंधित मामले भी हैं ;

(त) धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन निबंधन और शर्तें जिसके अन्तर्गत संपत्ति से हानि पर मार्ग अधिकार के लिए प्रभार और प्रतिकर;

(थ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत फीस और प्रभार जिसके अधीन दूर संचार नेटवर्क को प्रसुविधा प्रदाता के लिए खुले स्थान में पहुंच के आधार पर उपलब्ध कराना भी है ;

(द) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन दी जाने वाली पूर्व सूचना के लिए प्रक्रिया और रीति ;

(ध) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन प्रसुविधा प्रदाता द्वारा अपनाई जाने वाली दूर संचार नेटवर्क तथा पूर्वावधानी उपायों के लिए सूचना का प्रत्युत्तर देने के लिए समय-सीमा ;

(न) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन लोक आपात या लोक सुरक्षा के लिए प्रक्रिया तथा सुरक्षोपाय ;

(प) धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन लोक आपात या लोक सुरक्षा के लिए की गई कार्यवाही की अवधि और रीति ;

(फ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन दूर संचार नेटवर्क तथा दूर संचार सेवा की संरक्षा तथा साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उपाय ;

(ब) धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन संकटकालीन दूर संचार अवसंरचना के

लिए क्रियान्वित किए जाने वाले मानक, सुरक्षा व्यवहार, अद्यतन अपेक्षाएं और प्रक्रिया ;

(भ) धारा 26 के अधीन डिजिटल भारत निधि के प्रशासन के लिए रीति ;

(म) धारा 27 के अधीन विनियामक सेंडबॉक्स के सृजन के लिए रीति और अवधि ;

(य) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन उपयोक्ताओं के संरक्षण के लिए उपाय ;

(यक) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन दूर संचार सेवा से संबंधित ऐसी शिकायतों के लिए किसी शिकायत और समाधान के रजिस्ट्रिकरण के लिए रीति ;

(यख) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन विवाद समाधान तंत्र में भाग लेने के लिए निबंधन और शर्तें ;

(यग) धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन शिकायतों के निवारण के लिए प्ररूप, रीति और फीस ;

(यघ) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयक अधिकारी द्वारा जांच करने की रीति ;

(यङ) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन अभिहित अपील समिति के समक्ष किसी अपील को फाइल करने का प्ररूप, रीति और फीस ;

(यच) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी और अभिहित अपील समिति के कृत्यों को करने के लिए तकनीकी-विधिक उपाय ;

(यछ) धारा 45 के अधीन सुरक्षा हित के निबंधन और शर्तें ;

(यज) धारा 46 के अधीन निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए लागू फीस और प्रभार्य ;

(यझ) धारा 47 के अधीन अव्यवसायी स्टेशन प्रचालक की परीक्षा के लिए प्रमाणपत्र की रीति, अर्हता और निबंधन और शर्तें जिसके अन्तर्गत फीस और प्रभार भी हैं ;

(यञ) कोई ऐसा अन्य मामला जिसे, ऐसे उपबंध के संबंध में जिसे नियमों द्वारा बनाया जाना है, विहित किया जाना है या किया जा सकेगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 57 के अधीन बनाई गई अनुसूची का संशोधन इसे बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अनुसूची का कोई उपांतरण करने के लिए कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या अनुसूची का संशोधन करने के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । तथापि नियम या अनुसूची का संशोधन करने के लिए ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

57. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन, केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा,— केंद्रीय सरकार की अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति ।

(क) पहली अनुसूची ;

(ख) दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची,

का संशोधन कर सकेगी :

परंतु ऐसी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट शास्ति या सिविल शास्ति दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई संशोधन इस प्रकार प्रभावी होगा मानो यदि अधिनियम अधिनियमित हो गया हो तथा अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा जब तक अधिसूचना अन्यथा निदेश दे ।

58. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभाव में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ऐसे उपबंध बनाएगी, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो सकता हो : कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

1997 के अधिनियम संख्यांक 24 का संशोधन । **59.** भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में,—

(क) धारा 2 में,—

(i) खंड (1) में,—

(अ) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ङ) "अनुज्ञप्तिधारी" से दूर संचार अधिनियम, 2023 के अधीन दूर संचार सेवाएं प्रदान करने वाला या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन केबल टेलीविजन नेटवर्क प्रदान करने के लिए रजिस्ट्रीकृत कोई प्राधिकृत अस्तित्व अभिप्रेत है ;'; (1995 का 7)

(आ) खंड (ङक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ङक) "अनुज्ञापक" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है, जो दूर संचार अधिनियम, 2023 के अधीन दूर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करती है ;'; (1995 का 7)

(इ) खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ञक) "दूर संचार" का वही अर्थ होगा, जो उसका दूर संचार अधिनियम, 2023 में है ;';

(ई) खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ट) "दूर संचार सेवाओं" से दूर संचार के लिए कोई सेवा अभिप्रेत है ;';

(ii) उपधारा (2) में, "भारतीय तार अधिनियम, 1885 या भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "दूर संचार अधिनियम, 2023 या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ; 1885 का 13 1995 का 7

(ख) धारा 4 में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कोई व्यक्ति, जो सरकार की सेवा में है या रहा है,—

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति ने भारत सरकार के सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद धारण नहीं किया हो ; या

(ख) सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति ने भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद धारण नहीं किया हो :

परंतु यह और कि कोई व्यक्ति, जो सरकार से भिन्न किसी सेवा में है या रहा है—

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति न्यूनतम तीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखता हो तथा धारा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड के सदस्य या मुख्य कार्यकारी के रूप में सेवा कर चुका हो ; या

(ख) सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति न्यूनतम पच्चीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखता हो तथा इस धारा के अधीन यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड के सदस्य या मुख्य कार्यकारी के रूप में सेवा कर चुका हो ।";

(ग) धारा 11 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(अ) "भारतीय तार अधिनियम, 1885" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "दूर संचार अधिनियम, 2023 या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ; 1885 का 13 1995 का 7

(आ) पांचवें परंतुक में, "पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर" शब्दों से

प्रारंभ होने वाले और "अंतिम विनिश्चय करेगी ।" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"तीस दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए निर्देश पर विचार करने के पश्चात् अपनी कोई और सिफारिशें, जो इसके पास हों, केन्द्रीय सरकार को संसूचित करेगा और अतिरिक्त सिफारिशें, यदि कोई हों, प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार अंतिम विनिश्चय करेगी ।";

(ii) उपधारा (2) में,—

1885 का 13 (अ) "भारतीय तार अधिनियम, 1885" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "दूर संचार अधिनियम, 2023 या केबल टेलीविजन नेटवर्क
1995 का 7 (विनियमन) अधिनियम, 1995" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(आ) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि प्राधिकरण, दूर संचार सेवाएं प्रदान करने वाले प्राधिकृत अस्तित्व या प्राधिकृत अस्तित्वों के वर्ग को, अत्यंत सस्ती कीमतों, जो प्रतिस्पर्धा, दीर्घावधि विकास और दूर संचार सेक्टर के संपूर्ण आरोग्य के लिए हानिकर है, से दूर रहने का निदेश दे सकेगा ।";

(घ) धारा 14 के खंड (क) में,—

(i) उपखंड (i) का लोप किया जाएगा ;

(ii) पैरा (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) दूर संचार अधिनियम, 2023 के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी या अभिहित अपील समिति द्वारा न्यायनिर्णीत किए जाने वाले कोई विवाद ;";

(iii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"(घ) दूर संचार अधिनियम, 2023 की धारा 39 के अधीन अपीलों की सुनवाई और उनका निपटारा,

1997 का 24 भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन संस्थित तथा नियत दिन के ठीक पूर्व दूर संचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण में लंबित किसी कार्रवाई की दूर संचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण द्वारा सुनवाई की जाती रहेगी तथा उसका निपटारा किया जाएगा, मानो यह अधिनियम पारित नहीं हुआ हो ;

(ङ) धारा 38 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"38. इस अधिनियम के उपबंध, दूर संचार अधिनियम, 2023 के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, और विशिष्टतया इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसी अधिकारिता, शक्तियों और कृत्यों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका प्रयोग या

पालन ऐसे प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी क्षेत्र के संबंध में समुचित प्राधिकरण द्वारा किया जाना अपेक्षित है ।"।

अध्याय 11

निरसन और व्यावृत्तियां

कतिपय अधिनियमों का निरसन और व्यावृत्तियां ।

60. (1) इस भाग के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अधिनियमितियां, अर्थात् भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 निरसित की जाती हैं । 1885 का 13 1933 का 17

(2) पूर्वोक्त उपबंधों का निरसन होते हुए भी, निरसित उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जिसके अंतर्गत कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त करना, रजिस्ट्रीकरण या समनुदेशन, कोई आदेश या लंबित अथवा चल रही कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी और उसके संबंध में इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे ।

(3) भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग 3 के उपबंध, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अधीन पारेषण लाइनों को बिछाने से संबंधित सभी मामलों को इस प्रकार लागू होते रहेंगे, मानो भारतीय तार अधिनियम, 1885 का निरसन नहीं किया गया हो तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के प्रति निर्देश से भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग 3 के उपबंध, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 का संशोधन होने तक, निरंतर प्रवर्तन में रहेंगे । 1885 का 13 2003 का 36

विद्यमान नियमों का जारी रहना ।

61. भारतीय तार अधिनियम, 1885 या भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 के अधीन बनाए गए या बनाए जाने के लिए तात्पर्यित सभी नियम, किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित सभी आदेश, जहां तक वे उन विषयों से संबंधित हैं, जिनके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है तथा वे उससे असंगत नहीं हैं, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए या किए गए समझे जाएंगे, मानों यह अधिनियम उस तारीख को प्रवर्तन में था, जिसको ऐसे नियम बनाए गए या आदेश किए गए, और वे निरंतर प्रवर्तन में रहेंगे, जब तक उन्हें इस अधिनियम के अधीन किन्हीं नियमों द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता । 1885 का 13 1933 का 17

कतिपय अधिनियमों का विधिमान्यकरण और क्षतिपूर्ति ।

62. केन्द्रीय सरकार द्वारा, या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, स्पेक्ट्रम प्रदान करने या दूर संचार सेवाओं का उपबंध करने या दूर संचार नेटवर्क अथवा दूर संचार अवसंरचना की स्थापना के संबंध में, नियत दिन के पूर्व, कार्यकारी कार्रवाइयों के किए गए सभी कृत्य, लिए गए विनिश्चय, की गई कार्रवाइयां और की गई कार्यवाहियां और पारित किए गए आदेश, इस विश्वास या तात्पर्यित विश्वास में किए गए कृत्य, लिए गए विनिश्चय, की गई कार्रवाइयां और की गई कार्यवाहियां, भारतीय तार अधिनियम, 1885 या भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 के अधीन किए गए थे, लिए गए थे या पारित किए गए थे, इस प्रकार विधिमान्य और प्रचालित होंगे, मानों वे विधि के अधीन किए गए या पारित किए गए हों ; और किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, चाहे जो कोई भी हो, इस आधार पर कि किए गए ऐसे कृत्य, लिए गए विनिश्चय, की गई कार्यवाहियां, विधि के अनुसार नहीं किए गए थे, कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी । 1885 का 13 1933 का 17

पहली अनुसूची

[धारा 4(4), (5) और धारा 57(1) देखिए]

प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से स्पेक्ट्रम का समनुदेशन

1. राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा ।
2. विधि प्रवर्तन और अपराध निवारण ।
3. लोक प्रसारण सेवाएं ।
4. आपदा प्रबंधन, जीवन और संपत्ति की रक्षा ।
5. वैज्ञानिक अनुसंधान, संसाधन विकास और खोज का संवर्द्धन ।
6. सड़कों, रेल मार्गों, मैट्रो, क्षेत्रीय रेल, अन्तरदेशीय जलमार्गों, विमानपत्तनों, पाइप लाइनों, पोत परिवहन और अन्य यातायात प्रणालियों की सुरक्षा और प्रचालन ।
7. प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवन का संरक्षण ।
8. मौसम विभाग और मौसम पूर्वानुमान ।
9. अव्यवसायी स्टेशनों, नौ-परिवहन, दूरमिति और अन्य समान उपयोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त समर्पित बैंड ।
10. खानों, पत्तनों और तेल की खोज की सुरक्षा और प्रचालनों तथा ऐसे अन्य क्रियाकलापों के लिए, जहां स्पैक्ट्रम का उपयोग प्राथमिक रूप से सुरक्षा और प्रचालनों का समर्थन करने के लिए है, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, या उनके अस्तित्वों या अन्य प्राधिकृत अस्तित्वों द्वारा उपयोग ।
11. पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाएं ।
12. दूर संचार सेवाओं के लिए रेडियो बैकहाल ।

    स्पष्टीकरण—'रेडियो बैकहाल' पद से दूर संचार नेटवर्कों में उपभोक्ता उपस्कर से भिन्न, केवल दूर संचार उपकरण को आपस में जोड़ने के लिए, रेडियो बारम्बारता का उपयोग अभिप्रेत होगा ।
13. सामुदायिक रेडिया स्टेशन ।
14. इन-फ्लाइट और समुद्रीय सहबद्धता ।
15. अंतरिक्ष अनुसंधान और अनुप्रयोग, प्रस्थान यान प्रचालन और सेटेलाइट नियंत्रण के लिए आधार स्टेशन ।
16. कतिपय सेटेलाइट आधारित सेवाएं, जैसे टेलीपोर्ट, टेलीविजन चैनल, डाइरेक्ट टू होम, हैडएंड इन द स्काई, डिजिटल सेटेलाइट समाचार एकत्रीकरण, वैरी स्माल अपेरचर टर्मिनल, सेटेलाइट द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार, राष्ट्रीय लंबी दूरी, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी, एल एंड एस बैंड में मोबाइल सेटेलाइट सेवा ।
17. दूर संचार सेवाओं के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, या उनके प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा उपयोग ।
18. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन नेटवर्क लिमिटेड (एमटीएनएल) ।
19. नई प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन को समर्थ बनाने के लिए परीक्षण जांच, परिप्रयोग, प्रदर्शन, जिसके अंतर्गत एक या अधिक विनियामक सैंडबाक्स का सृजन भी है ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 32(1)(क) और धारा 34(8) देखिए]

धारा 32 और धारा 34 के अधीन निबंधनों और शर्तों के भंग के लिए सिविल शास्तियां

प्रवर्गीकरण	सिविल शास्ति
कठोर	पांच करोड़ रुपए तक
वृहत्	एक करोड़ रुपए तक
मध्यम	दस लाख रुपए तक
लघु	एक लाख रुपए तक
अकठोर	लिखित चेतावनी ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 33(1), (2), धारा 34(1),(3), (5) और धारा 34(8) देखिए]

कतिपय उल्लंघनों के लिए सिविल शास्तियां

क्र.सं.	अधिनियम के अधीन उल्लंघन	सिविल शास्ति
1.	(क) धारा 42 की उपधारा (3) के खंड (घ) और खंड (च) के अधीन अपराध के सिवाय, प्राधिकार या छूट के बिना रेडियो उपस्कर रखना ; (ख) अधिसूचित संख्या के आधिक्य में अंशदाता पहचान मोड्यूल का उपयोग ।	प्रथम अपराध : पचास हजार रुपए तक सिविल शास्ति । प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध : ऐसे प्रत्येक अवसर के लिए दो लाख रुपए तक की सिविल शास्ति ।
2.	यह जानते हुए या ऐसा विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसी दूर संचार सेवा या दूर संचार नेटवर्क के पास इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित प्राधिकार नहीं है, किसी व्यक्ति या अस्तित्व द्वारा किसी दूर संचार सेवा या दूर संचार नेटवर्क का उपयोग ।	दस लाख रुपए तक की सिविल शास्ति ।
3.	धारा 28 (उपयोक्ताओं के संरक्षण हेतु उपाय) के उपबंधों का उल्लंघन ।	प्रथम अपराध : पचास हजार रुपए तक सिविल शास्ति । प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध : ऐसे प्रत्येक अवसर के लिए दो लाख रुपए तक की सिविल शास्ति, या दूर संचार सेवा का निलंबन या दोनों का संयोजन ।
4.	इस अधिनियम के अधीन किसी विषय के संबंध में इस अधिनियम या नियमों, या किसी समनुदेशन या प्राधिकार के किन्हीं निबंधनों या शर्तों का उल्लंघन, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई शास्ति या दंड का उपबंध नहीं किया गया है ।	प्रथम अपराध : पच्चीस हजार रुपए तक सिविल शास्ति । द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध : प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, पचास हजार रुपए तक की और सिविल शास्ति।

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024

(2024 का अधिनियम संख्यांक 4)

[12 फरवरी, 2024]

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 है ।

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 का संशोधन ।

सं0आ0 52

2. संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 की अनुसूची में, प्रविष्टि 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"5. वाल्मीकि (केवल जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में), चूड़ा, भंगी, बाल्मीकि, मेहतर"।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024

(2024 का अधिनियम संख्यांक 7)

[15 फरवरी, 2024]

आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में, अनुसूचित जातियों की सूची का उपांतरण करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 है । संक्षिप्त नाम ।

सं. आ. 22 **2.** संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 की अनुसूची के, भाग 1 - आंध्र प्रदेश की,— संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन।

(क) प्रविष्टि 25 के स्थान पर, "निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
"25. पुर्जा, बोंडो पुर्जा, खोंड पुर्जा, पेरंगीपेर्जा" ;

(ख) प्रविष्टि 28 के स्थान पर, "निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
"28. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, कोंडा सवार, खुट्टा सवार" ।

———

मुसलमान वक्फ (निरसन) अधिनियम, 2025

(2025 का अधिनियम संख्यांक 15)

[5 अप्रैल, 2025]

मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 का निरसन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुसलमान वक्फ (निरसन) अधिनियम, 2025 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

1923 के अधिनियम संख्यांक 42 का निरसन ।

2. (1) मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 का निरसन किया जाता है ।

(2) इस अधिनियम द्वारा निरसन, इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रचालन या तद्धीन की गई या हुई किसी बात या इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत या उपगत किसी बाध्यता या दायित्व या पूर्वोक्त किसी ऐसी बाध्यता या दायित्व के संबंध में किसी विधिक कार्यवाही या उपचार को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी किसी विधिक कार्यवाही या उपचार को जारी रखा जा सकेगा या प्रवृत्त किया जा सकेगा, मानो यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था ।

डॉ राजीव मणि,
सचिव, भारत सरकार।

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

KSHITIZ MOHAN Digitally signed by KSHITIZ MOHAN Date: 2025.12.02 18:56:47 +05'30'

MGIPMRND—104GI(S4)—02-12-2025.